छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

{छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम –2005 के अंतर्गत स्थापित}

राजपत्रों का संकलन निम्नानुसार :–

- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम – 2005
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2006
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2008
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2010
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2011
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2011
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2014
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2015
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2016
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2018
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2018
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2020
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित अधिनियम – 2021
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम – 2005
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित नियम – 2013
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित नियम – 2014
- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधित नियम – 2017

कार्यालय पता– सेक्टर 24, ब्लॉक 7B, ग्राउंड फ्लोर, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771–2277580

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2005—भाद्र 3, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 17-8-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

विषय सूची

खण्ड :

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ
2. परिभाषाएं

अध्याय - 2

निजि विश्वविद्यालय की स्थापना

3. निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य
4. निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण
5. प्रस्ताव का मूल्यांकन
6. आशय पत्र जारी करना
7. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें
8. परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण
9. स्थापना तथा निगमन

अध्याय - 3

निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

10. स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालय
11. विन्यास निधि
12. सामान्य निधि
13. सामान्य निधि का उपायोजन
14. विश्वविद्यालय के अधिकारी
15. कुलाध्यक्ष
16. कुलाधिपति
17. कुलपति
18. कुल सचिव
19. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी
20. अन्य अधिकारी
21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी
22. शासी निकाय
23. प्रबंध मंडल

24. शैक्षणिक परिषद्
25. अन्य प्राधिकारी
26. प्रथम परिनियम
27. अनुगामी परिनियम
28. प्रथम अध्यादेश
29. अनुगामी अध्यादेश
30. रिक्तियां, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं
31. आपात रिक्तियों की पूर्ति
32. समिति
33. विश्वविद्यालय अभिलेख, साक्ष्य का उपकरण
34. विनियम
35. परिनियम, अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता

अध्याय - 4
निजी विश्वविद्यालय का विनियम

36. विनियामक आयोग
37. वार्षिक प्रतिवेदन
38. वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा
39. नियतकालिक निरीक्षण

अध्याय - 5
निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

40. प्रायोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन
41. कतिपय परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां

अध्याय - 6
प्रकीर्ण

42. नियम बनाने की शक्ति
43. कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियां
44. निरसन एवं व्यावृत्ति
अनुसूची

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु स्ववित्तीय विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तत्संबंधी विषयों या आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - एक : प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 है.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ द्वारा अपेक्षित न हो, -

(1) "शैक्षणिक परिषद्" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद्.

(2) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 की संख्या 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्.

(3) "भारतीय विधिज्ञ परिषद्" से अभिप्रेत है, एड्व्होकेट एक्ट 1961 (क्र. 25 सन् 1961) की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय विधिज्ञ परिषद्.

(4) "प्रबंधन मण्डल" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का प्रबंधन मण्डल.

(5) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति.

(6) "मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय के मुख्य लेखा एवं वित्त अधिकारी.

(7) "दूरस्थ शिक्षा परिषद्" से अभिप्रेत है - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 (क्र. 50 सन् 1985) की धारा 28 के अधीन स्थापित दूरस्थ शिक्षा परिषद्.

(8) "विन्यास निधि" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय की विन्यास निधि.

(9) "शुल्क" से अभिप्रेत है, विद्यार्थियों से निजी विश्वविद्यालय द्वारा संकलित राशि, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जावे.

(10) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन.

(11) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल.

(12) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का शासी निकाय.

(13) "उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है, ज्ञानार्जन के लिए 10+2 स्तर से आगे निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा पाठ्यसंरचना का अध्ययन.

(14) "मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट 1956 (क्र. 2, सन् 1956) के अधीन गठित मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया.

(15) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में स्थित निजी विश्वविद्यालयों के मुख्य परिसर, जिनके कम से कम पांच अध्यापन विभाग अथवा अध्ययन शालाएं हों और जहां कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो.

(16) "नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वशासी संस्थान नेशनल कौंसिल ऑफ एसेसमेण्ट एण्ड एक्रेडिटेशन, बैंगलौर.

(17) "दूर परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का ऐसा केन्द्र जो मुख्य परिसर से बाहर किन्तु राज्य के भीतर हो तथा जिसका संचालन एवं संधारण विश्वविद्यालय की इकाई के रूप में होता हो.

(18) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का अध्यादेश.

(19) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग.

(20) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन स्थापित एवं संचालित निजी विश्वविद्यालय.

(21) "फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया" से अभिप्रेत है, फार्मेसी अधिनियम 1948 (क्र. 8, सन् 1948) के अधीन गठित फार्मेसी कौंसिल ऑफ इंडिया.

(22) "नियामक अभिकरण" से अभिप्रेत है, केन्द्र शासन अथवा राज्य शासन द्वारा स्थापित नियामक अभिकरण जो उच्च शिक्षा के मानक स्तर को सुनिश्चितता के लिए नियम व शर्तें निर्धारित करें.

(23) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग.

(24) "विनियमन" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित विनियमन.

(25) "कुल सचिव" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुल सचिव.

(26) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

(27) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है, दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित या मान्यता प्राप्त केन्द्र जो कोई दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो

प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की कोई अन्य पद्धति से शिक्षा प्रदान करता है.

(28) "परिनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के परिनियम.

(29) निजी विश्वविद्यालय से संबंधित " प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है :-

(क) छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44, सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी,

(ख) कोई पंजीकृत सार्वजनिक न्यास,

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्र. 1, सन् 1956) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनी तथा,

(घ) अन्य कोई निकाय जो तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत हो.

(30) "विद्यार्थी" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय में नामांकित व्यक्ति जो उपाधि/पत्रोपाधि/प्रमाणपत्र अथवा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टता प्राप्ति के लिए किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है.

(31) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची.

(32) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियां.

(33) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जन-जातियां.

(34) "अध्ययन शाला" से अभिप्रेत है, उच्चतर विद्या तथा गवेषना के स्थान के रूप में निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित की गई संस्था.

(35) "अध्यापक" से अभिप्रेत है, प्राध्यापक, प्रवाचक, व्याख्याता या किसी अन्य पदनाम का व्यक्ति जो शिक्षण कार्य करे अथवा शोधकार्य का निर्देशन करे अथवा विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करे.

(36) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (क्र. 3, सन् 1956) के अधीन स्थापित आयोग.

(37) "यू.जी.सी. विनियमन 2003" से अभिप्रेत है, यू.जी.सी. (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं मानक स्तर का संधारण) का विनियमन 2003.

(38) "कुलाध्यक्ष" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष.

(39) "कुलपति" से अभिप्रेत है, निजी विश्वविद्यालय का कुलपति.

(40) "गरीबी रेखा से नीचे के परिवार" से अभिप्रेत है, ऐसे परिवार जिनकी आय शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित गरीबी रेखा के नीचे हो.

अध्याय - दो : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य.

3. निजी विश्वविद्यालय के नीचे दर्शाए सामान्य उद्देश्य होंगे :-

(क) उच्च शिक्षा में अनुदेशन, अध्यापन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं विसरण का प्रावधान करना.

(ख) उच्चतर बौद्धिक क्षमता का सृजन करना.

(ग) शिक्षा एवं प्रशिक्षण की उन्नत सुविधाओं को सुलभ कराना.

(घ) अध्यापन तथा शोध कराना एवं शिक्षण कार्यक्रमों को निरंतर उपलब्ध कराते रहना.

(ङ) शोध एवं विकास तथा ज्ञान की सहभागिता एवं उसके अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों का सृजन करना.

(च) उद्योग एवं सार्वजनिक संस्थाओं हेतु परामर्श सेवा उपलब्ध कराना.

(छ) यह सुनिश्चित करना कि उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र तथा अन्य अकादमिक उपलब्धियों हेतु मापदण्ड यू.जी.सी., ए.आई.सी.टी.ई., बी.सी.आई., एम.सी.आई., डी.ई.सी. या अन्य नियामक अभिकरणों द्वारा निर्धारित मानक स्तर से निम्नतर स्तर का न हो.

(ज) किसी ऐसे अन्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो समय-समय पर विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हो.

निजी विश्वविद्यालय स्थापना के प्रस्ताव का प्रेषण.

4. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रतिवेदन आवेदन के साथ विनियामक आयोग को, निर्धारित शुल्क तथा ऐसे प्रारूप में जैसा कि विहित किया जाये, प्रस्तुत किया जावेगा.

(2) परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित जानकारी दी जावे अर्थात् :-

(क) प्रायोजक निकाय के पंजीकरण प्रमाणपत्र, संविधान तथा उपविधियों के साथ अन्य विस्तृत विवरण,

(ख) विगत् 03 वर्षों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी,

(ग) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, स्थान तथा मुख्य परिसर,

(घ) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य,

(ङ) भूमि, भवन तथा अन्य अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता,

(च) निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत ब्यौरा यथा: भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों को प्राप्त करने आदि हेतु योजना साथ ही आगामी पांच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप-रेखा,

(छ) पूंजीगत व्यय का आगामी पांच वर्ष के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत,

(ज) संकायों की प्रकृति एवं संख्या यथा: विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि. पढ़े जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार जैसे- स्नातक, स्नातकोत्तर एवं निजी

विश्वविद्यालयों द्वारा प्रत्येक संकाय में किये जाने वाले प्रस्तावित शोध कार्यक्रम एवं राज्य के विकासात्मक लक्ष्यों के संदर्भ में एवं उनकी प्रासंगिकता तथा आगामी 5 वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रमानुसार प्रवेश देने वाले छात्रों की लक्षित संख्या,

(झ) संबंधित विधाओं में प्रायोजक निकाय को उपलब्ध अनुभव तथा विशेषज्ञता,

(ञ) अध्यापन किये जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा शोध कार्य हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधायें यथा : अध्यापक, तकनीकी / गैर-तकनीकी कर्मचारी एवं उपकरणों की उपलब्धता,

(ट) पाठ्यक्रम अनुसार या कार्यक्रम अनुसार आवर्ती व्यय का अनुमान तथा उपलब्ध वित्त के स्रोत तथा अनुमानित प्रति विद्यार्थी व्यय,

(ठ) संसाधनों को गतिमान करने की योजना एवं इस हेतु पूंजी की लागत तथा उसके ऐसी स्रोतों की भुगतान की प्रक्रिया,

(ड) आंतरिक स्रोतों जैसे छात्रों से शुल्क की वसूली परामर्श-सेवा एवं विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों से प्रत्याशित राजस्व एवं अन्य प्रत्याशित आय से कोष-निर्माण की योजना,

(ढ) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढांचा व्यय का विस्तृत विवरण, शुल्क में दी जाने वाली रियायत या छूट या परिहार तथा छात्रवृत्ति, यदि कोई हो, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्ग को दी जाने वाली छूट का विवरण,

(ण) निजी विश्वविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया,

(त) निजी विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया,

(थ) दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित केन्द्र के नाम के साथ विस्तृत विवरण,

(द) स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण,

(ध) कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम,

(न) खेल मैदान तथा अन्य उपलब्ध या प्रस्तावित सुविधाओं का विवरण यथा: राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काऊट एवं गाईड का विवरण,

(प) दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना विशेषकर राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में,

(फ) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता एवं औचित्य का प्रतिपादन,

प्रस्ताव का मूल्यांकन.

5. (1) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव परियोजना प्रतिवेदन के साथ प्राप्त होने के पश्चात् विनियामक आयोग प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों की जांच-पड़ताल, जैसा कि आवश्यक समझेगा यथासंभव 07 दिनों में पूरी करेगा.

(2) जांच पड़ताल की अवधि में विनियामक आयोग किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है और ऐसी जानकारी प्राप्त होने के उपरांत, यथासंभव विनियामक आयोग 45

दिनों के भीतर परियोजना प्रस्ताव के मूल्यांकन का कार्य पूरा करेगा. मूल्यांकन करते समय विनियामक आयोग निम्नांकित बातों विचार में रखेगा :-

(क) जिस क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है वहां उच्च शिक्षा तथा शोध के क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाएं,

(ख) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के पास यदि कोई विशिष्ट योग्यता या कोई नया पाठ्यक्रम या कार्यक्रम हों जो कि राज्य में उपलब्ध अकादमिक संसाधनों की वृद्धि करे एवं मानव संसाधन के विकास में मदद करें,

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के उन्नयन अथवा क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त करने के लिए व राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में दूरस्थ परिसर प्रारंभ करने हेतु निजी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम,

(द) उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ कराते हुए समाज सेवा एवं युवकों का कल्याण निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है.

आशय पत्र जारी करना.

6. (1) धारा 5 में उल्लिखित जांच व मूल्यांकन पूर्ण करने के पश्चात् एवं इस बात से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का अवसर दिया जा सकता है, विनियामक आयोग राज्य सरकार को प्रायोजक निकाय के हक में आशय पत्र जारी करने हेतु अनुशंसा करेगा.

(2) विनियामक आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने पर, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को आशय पत्र जारी करने पर विचार कर सकता है.

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की शर्तें.

7. धारा 6 (2) में उल्लिखित आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें सम्मिलित होगी जो प्रायोजक निकाय को इस राज्य में एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये पूरी करनी होगी, अर्थात् :

(1) वह स्थापित करेगा :-

(क) छत्तीसगढ़ राज्य में ही मुख्य परिसर, दूर परिसर एवं अध्ययन केन्द्र,

(ख) इस अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप विन्यास निधि.

(2) वह न्यूनतम निम्नलिखित प्राप्त करेगा -

(क) 15 एकड़ भूमि यदि रायपुर नगर-निगम की सीमा के अंदर मुख्य परिसर की स्थापना प्रस्तावित है,

(ख) 25 एकड़ भूमि यदि अन्यत्र मुख्य परिसर स्थापना प्रस्तावित है, तथा साथ ही वह इनके भू-स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत करेगा.

(3) वह प्रशासकीय कार्यों तथा अकादमी कार्यों के सम्पादन के लिए कम से कम 25,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र, भवनों तथा अन्य सहायक निर्माणों के रूप में उपलब्ध करायेगा.

(4) वह परिवचन देगा कि -

(क) यह कि निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग केवल निजी विश्वविद्यालय के कार्यों हेतु ही किया जावेगा,

(ख) निजी विश्वविद्यालय के निगमन के तत्काल बाद तथा कक्षायें प्रारंभ होने के पूर्व पर्याप्त संख्या में आवश्यक संकाय सदस्यों तथा अन्य सहायक कर्मचारीवृंदों की नियुक्ति हर विभाग या विषय में कर दी जावेगी,

(ग) पर्याप्त संख्या में उपकरण, कम्प्यूटर, फर्नीचर तथा अन्य आवश्यक सामग्री सुलभ करायी जायेगी, तथा प्रथम पांच वर्षों में रुपये बीस लाख राशि प्रति वर्ष खर्च की जावेगी,

(घ) प्रथम वर्ष में कम से कम दस लाख की पुस्तकें तथा पत्रिकाएं क्रय की जावेगी तथा प्रथम तीन वर्ष में पचास लाख रुपये की राशि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग तथा अन्य सुविधाओं पर व्यय की जावेगी जो कि ग्रंथालय में पर्याप्त समकालीन अध्यापन तथा शोध कार्य की जरूरतों के मुताबिक हो,

(ङ) नियमित पाठ्यक्रम से जुड़ी ऐसी गतिविधियों को संचालित किया जावेगा जिससे कि ऐसे उचित अकादमी तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके, उदाहरणार्थ संगोष्ठी, वाद-विवाद, प्रश्नमंच कार्यक्रम तथा अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियां जैसे कि एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेल-कूद आदि, जो कि विद्यार्थियों के हित में हों तथा इस विषय की अधिकारिता रखने वाली संस्थाओं द्वारा समर्थित हों,

(च) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों हेतु कल्याण कार्यक्रम चलाये जायेंगे,

(छ) केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा समय-समय पर विहीत अन्य सभी शर्तों का अनुपालन किया जायेगा एवं उनके द्वारा चाही गई समस्त जानकारियां को प्रदान किया जायेगा,

(ज) समय-समय पर केन्द्रीय नियामक निकायों द्वारा विहीत ऐसे न्यूनतम मापदण्डों का अनुपालन किया जायेगा, जो पाठ्यक्रम, संकायों, अधोसंरचनात्मक सुविधाओं तथा वित्तीय संसाधनों से संबंधित है,

(झ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के अंत में दिये जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि या पत्रोपाधि यू.जी.सी. अथवा अन्य संबंधित निकायों के विनियमों/मापदंडों के अनुरूप होंगी,

(ञ) प्रवेश प्रक्रिया तथा शुल्क निर्धारण नियामक निकायों द्वारा विहित मापदण्डों/दिशा-निर्देशों, यदि कोई हैं, के अनुरूप होंगे,

(ट) निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारीवृंद के पास यू.जी.सी. व अन्य संबंधित निकायों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता रखते हों; तथा उन्हें उचित वेतन प्रदाय किया जावेगा,

(ठ) निजी विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, धर्म, वंश, लिंग के लिये खुला रहेगा एवं निजी विश्वविद्यालय के लिये यह वैधानिक नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक आस्था या व्यवसाय के कारण किसी भी प्रकार की पृथक परीक्षा से गुजारे, चाहे वह धर्म संबंधी हो या अन्य हो, या किसी व्यवसाय से संबंधित हो जिससे अध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो या अन्य किसी पद पर उसकी नियुक्ति प्रभावित होती हो, या विद्यार्थी के रूप में उसके प्रवेश को प्रभावित करती हो, या उसके किसी भी अधिकार से वंचित करती हो,

(ड) इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिनियम, अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा.

परिपालन प्रतिवेदन की प्रस्तुति, सत्यापन तथा निरीक्षण.

8. (1) प्रायोजक निकाय अनुपालन प्रतिवेदन परिवचन तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों सहित विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगा.

(2) अनुपालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के बाद विनियामक आयोग उसकी तथा ऐसे तरीके में जैसा व उचित समझे, तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगा जिसमें स्थल निरीक्षण भी शामिल है.

(3) उपधारा (2) में उल्लिखित अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन की जांच करने पर यदि इसमें विनियामक आयोग को किसी प्रकार की कमी नजर आये तो वह प्रायोजक निकाय को शीघ्रातिशीघ्र इन पहिचानी कमियों को दूर करने का निर्देश देगा.

(4) विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट होने पर कि, ऊपर उल्लेखित उपधारा (3) के अनुसार पहिचानी कमियों को दूर कर दिया गया है, पहिचानी कमियों को पूरा करने की जानकारी प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर, राज्य शासन को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन भेजेगा.

(5) विनियामक आयोग से उक्त उपधारा (4) के अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, राज्य शासन यू.जी.सी. से प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के निरीक्षण करने का अनुरोध करेगा.

परंतु यह भी कि यू.जी.सी. अपना प्रतिवेदन अधिक से अधिक 3 माह के अंदर देगा अन्यथा राज्य शासन अपने विवेकानुसार आगामी कार्यवाही करेगा.

स्थापना तथा निगमन.

9. (1) विनियामक आयोग द्वारा धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा यू.जी.सी. का निरीक्षण प्रतिवेदन, यदि ऐसा कोई है, पर विचार उपरांत यदि राज्य शासन को संतुष्टि हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 7 के प्रावधानों को पूरा किया है तथा प्रस्ताव के आधार पर एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है तो, इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची में संशोधन कर वह ऐसे नाम तथा विवरण जैसा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा.

(2) इस प्रकार के निजी विश्वविद्यालय का निगमन उस तिथि से माना जावेगा जिस तिथि से अनुसूची का संशोधन हुआ है. परंतु यह भी कि उक्त उपधारा (2) में दर्शायी निगमन की तिथि तथा धारा 4 की उपधारा (1) में उल्लिखित आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होगा.

(3) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में संशोधित नाम का एक निगमित निकाय होगा, जिससे शाश्वत् उत्तराधिकार एवं सामान्य चिन्ह होगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए सम्पत्ति एवं उसका स्वामित्व प्राप्त कर सकेगा, जो अनुबंध कर सकेगा, वाद चला सकेगा या उस नाम से उस पर वाद चलाया जा सकेगा.

(4) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही होने पर अभिवचन कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षरित या सत्यापित किये जावेंगे तथा इस तरह के वाद या कानूनी कार्यवाही की सभी प्रक्रिया निजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव के नाम तामील होगी.

(5) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ऐसे स्थान पर होगा जो अनुसूची के पांचवे कॉलम में दर्शाया गया है.

अध्याय-तीन : निजी विश्वविद्यालय का संचालन एवं प्रबंधन

स्ववित्तीय निजी विश्वविद्यालय.

10. निजी विश्वविद्यालय स्ववित्तीय होगा, तथापि लिखित कारण दर्शाए हुए शासन इसे वित्तीय/भौतिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर सकता है.

विन्यास निधि.

11. (1) उपर्युक्त धारा 6 (2) के अंतर्गत राज्य शासन से इच्छा पत्र प्राप्त होने पर ऐसा प्रायोजक निकाय जो इच्छा पत्र में दी गई शर्तों एवं परिवचनों को पूर्ण करने तत्पर है, निजी विश्वविद्यालय के लिए विन्यास निधि की स्थापना, विनियामक आयोग के कोष में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीचे दर्शाई गयी राशि जमा करेगा.

(क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर एक करोड़ रुपये.

(ख) अन्य प्रकरणों में तीन करोड़ रुपये.

परंतु, प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विन्यास निधि में जमा राशि समायोजित कर ली जावेगी.

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम तथा अध्यादेश के उपबंधों के अनुरूप कार्य कर रहा है, यह विन्यास निधि सुरक्षा निधि के रूप में प्रयुक्त होगी. प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन के किसी भी उपबंध के उल्लंघन या भंग करने पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर, राज्य शासन संपूर्ण विन्यास निधि या उसके किसी अंश को समपहृत कर सकेगा.

(3) विन्यास निधि के स्थापना की विधि, उसके विनियोजन की विधि, इससे प्राप्त आय को प्रायोजक निकाय को भुगतान, उसके राजसात करने और प्रायोजक निकाय को वापस करने की विधि इस प्रकार होगी जैसी कि विहित की जावे.

सामान्य निधि.

12. प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक सामान्य कोष की स्थापना करेगा, जो सामान्य कोष के नाम से जाना जावेगा एवं जिसमें निम्न प्रकार की राशि जमा की जावेगी :-

(क) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त शुल्क तथा अन्य प्रभार.

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा किया गया कोई अंशदान.

(ग) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों के परिपालन में किये जाने वाले किसी परामर्श या अन्य कार्य के द्वारा प्राप्त आय.

(घ) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास तथा अन्य प्रकार का अनुदान, तथा

(ङ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त अन्य सभी प्रकार की राशि.

परंतु विद्यार्थियों से खंड (क) के अंतर्गत प्राप्त शुल्क का एक प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक के माध्यम से नियामक आयोग के पास शुल्क प्राप्ति के माह के अगले माह के 15 दिनों के अंदर जमा किया जाना होगा. यदि कोई निजी विश्वविद्यालय उपरोक्त शुल्क विनियामक आयोग के पास नियत समय में जमा करने में असफल होता है तो प्रति 30 दिन पर 1.5 प्रतिशत शास्तिक ब्याज की दर से साथ संपूर्ण राशि जमा करेगा. यदि इस राशि को जमा करने में 90 दिन से अधिक का व्यतिक्रम होता है तो इस कार्य को अधिनियम का उल्लंघन माना जावेगा एवं विनियामक आयोग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जावेगी.

परंतु आगे यह भी कि विनियामक आयोग इस राशि को यथोचित समय में राज्य के संचित निधि में जमा करेगा.

13. सामान्य निधि का उपयोग निम्न उद्देश्यों हेतु होगा, यथा :- सामान्य निधि का उपयोजन.

(1) इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश, नियमन के उद्देश्य हेतु लिये गये उधार जिसमें ब्याज भी शामिल है, के भुगतान हेतु.

(2) निजी विश्वविद्यालय की सम्पदा के रख-रखाव हेतु;

(3) कोष की धारा (11) एवं (12) के अंतर्गत निर्मित निधियों के अंकेक्षण पर व्यय का भुगतान.

(4) न्यायालय में ऐसे वाद या वैधानिक कार्यवाही संबंधी व्यय, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष हो.

(5) विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, शैक्षणिक एवं शोध कार्य में संलग्न स्टॉफ के वेतन तथा भत्ते का भुगतान तथा भविष्य निधि, अंशदान, उपादान तथा अन्य लाभ का भुगतान.

(6) शासी निकाय, प्रबंधन मंडल, अकादमिक परिषद् तथा विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा घोषित अन्य प्राधिकारी के सदस्यों तथा इस अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश एवं विनियमन के किसी भी प्रावधान के परिपालन हेतु प्रयोजक निकाय के किसी प्राधिकारी या अध्यक्ष या कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये सदस्यों के यात्रा-भत्तों या अन्य भत्तों के भुगतान हेतु.

(7) गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के विद्यार्थियों को अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, शुल्कमुक्ति, सहायकवृत्ति तथा अन्य पुरस्कार या शोध सहायुक्त, प्रशिक्षु या अन्य ऐसे विद्यार्थी जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्मित निजी विश्वविद्यालय के संविधि, अध्यादेशों एवं विनियमनों या नियमों के अंतर्गत इस प्रकार की स्वीकृति की पात्रता रखते हैं.

(8) इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों या विनियमनों के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान.

(9) प्रायोजक निकाय द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निवेश में पूंजीगत व्यय का भुगतान जो ब्याज की प्रचलित बैंक दर से अधिक न हो.

(10) विश्वविद्यालय द्वारा इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित संविधियों, अध्यादेशों तथा विनियमनों के अंतर्गत परामर्श संबंधी किये जाने वाले कार्यों से संबंधित व्यय एवं प्रभार का भुगतान.

(11) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के लिये अनुमोदित होने पर प्रायोजक निकाय की ओर से विश्वविद्यालय की व्यवस्था का दायित्व वहन करने वाली किसी संस्था को किया जाने वाला व्यवस्था शुल्क सहित व्यय का भुगतान.

परंतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंध मंडल के पूर्वानुमोदन बिना जैसा भी निश्चय किया गया हो, कोई व्यय नहीं किया जावेगा जो प्रबंध मंडल द्वारा वर्ष हेतु कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो.

परंतु यह भी कि सामान्य निधि की राशि का उपयोग जैसा कि उपधारा (1) में वर्णित उद्देश्य के लिये उल्लिखित है, निजी विश्वविद्यालय के शासी निकाय के अनुमोदन से किया जा सकेगा.

विश्वविद्यालय के अधिकारी. 14. निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे यथा :-

(1) कुलाध्यक्ष

(2) कुलाधिपति

(3) कुलपति

(4) कुलसचिव

(5) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

(6) अन्य ऐसे अधिकारी, जिसकी घोषणा विश्वविद्यालय के संविधि के अंतर्गत अधिकारी के रूप में की जावे.

कुलाध्यक्ष. 15. (1) छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निजी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे.

(2) कुलाध्यक्ष, जब वे उपस्थित होंगे, निजी विश्वविद्यालय की उपाधि, पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे.

(3) कुलाध्यक्ष की निम्न शक्तियां होगी, यथा :-

(क) कुलपति की नियुक्ति करना,

(ख) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित किसी अभिलेख अथवा सूचना मांगना,

(ग) कुलाध्यक्ष को भेजी गयी जानकारी के आधार पर, यदि वह संतुष्ट है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश, प्रक्रिया अथवा निर्णय इस अधिनियम, विनियमों एवं नियमों के अनुरूप नहीं है, तो कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग से अभिमत प्राप्त कर सकेगा. ऐसा समाधान होने पर कि कोई अनियमितता हुई है तो वह इस प्रकार के निर्देश प्रसारित कर सकेगा जैसा कि वह निजी विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे तथा इस प्रकार जारी किए गए निर्देश निजी विश्वविद्यालयों द्वारा पालन किये जायेंगे.

(घ) कुलाधिपति अथवा अन्य किसी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कुलपति के विरुद्ध जांच कराना.

कुलाधिपति. 16. (1) प्रायोजक निकाय द्वारा कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से 3 वर्षों के लिए की जायेंगी.

परंतु, किसी निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने तथा उसे कार्यात्मक बनाने के लिये, प्रायोजक निकाय, राज्य शासन से सलाह लेकर कम से कम 1 वर्ष के लिये कुलाधिपति की नियुक्ति करेगा परंतु यह 3 वर्षों से अधिक के लिये नहीं होगी.

(2) कुलाधिपति निजी विश्वविद्यालय का संस्था प्रमुख होगा.

(3) कुलाधिपति विश्वविद्यालय की शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाधि तथा पत्रोपाधि प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(4) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी यथा :-

(क) किसी भी सूचना अथवा अभिलेख को मंगा सकना.

(ख) शिकायतों के आधार पर यदि वह संतुष्ट होता है कि कुलपति के कार्य से निजी विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम अथवा अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है अथवा कोई वित्तीय अनियमितता की गई है तो कुलपति को पदच्युत करने के लिए कुलाध्यक्ष को रिपोर्ट (प्रतिवेदन) देना.

17. (1) कुलपति की नियुक्ति, इस कार्य के लिए गठित खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित नाम-सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जावेगी. कुलपति.

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सर्च कमेटी निम्नानुसार होगी :-

(क) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 2 ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्.

(ख) उच्च शिक्षा विभाग से राज्य शासन द्वारा नामांकित एक ख्यातिप्राप्त व्यक्ति. खोजबीन समिति से सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को कुलाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जावेगा.

(3) खोजबीन समिति न्यूनतम 3 ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों की नाम-सूची कुलपति की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगी.

परंतु, यदि खोजबीन समिति द्वारा अनुशंसित नाम-सूची को कुलाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तो वे समिति से नयी अनुशंसा मंगा सकता है.

परंतु आगे यह भी कि, नव-स्थापित निजी विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिए कुलाध्यक्ष द्वारा कुलाधिपति के परामर्श से 2 वर्षों के लिए कुलपति की नियुक्ति की जा सकेगी.

(4) कुलपति की नियुक्ति, उपधारा (10) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप 4 वर्षों के लिए होगी.

परंतु समय सीमा समाप्ति के पश्चात् भी नये कुलपति के कार्यभार ग्रहण करते तक वे अपने पद पर बने रहेंगे. किन्तु किसी भी स्थिति में यह समय सीमा 6 माह से अधिक नहीं होगी..

(5) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी एवं अकादमिक अधिकारी होगा तथा विश्वविद्यालय के क्रिया-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण बनाये रखेगा तथा निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरणों के निर्णयों का क्रियान्वयन करवायेगा.

(6) कुलाध्यक्ष एवं कुलाधिपति दोनों की अनुस्थिति में, कुलपति निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा.

(7) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय में त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है जिसकी शक्तियाँ किसी अन्य प्राधिकारी को इस अधिनियम के द्वारा अवकाश के अंतर्गत प्रदत्त की गई है, तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह उचित समझता हो तथा की गई कार्यवाही से यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी को अवगत करायेगा, जो कि सामान्यतः उस मामले में कार्यवाही करता है :

परंतु, यदि संबंधित प्राधिकारी के अभिमत में इस प्रकार की कार्यवाही कुलपति के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो इस प्रकार का प्रकरण, निर्णय हेतु कुलाधिपति को भेजा जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा.

परंतु, यह भी कि यदि कुलपति के द्वारा की गई कार्यवाही निजी विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही की सूचना प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर शासी निकाय के समक्ष अपील करने हेतु अधिकृत होगा. शासी निकाय का निर्णय संबंधित व्यक्ति को अपील करने की तिथि से अधिकतम 3 माह के भीतर सूचित कर दिया जावेगा.

(8) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों अथवा नियमनों द्वारा प्रदत्त शक्तियों से बाहर है अथवा निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल हो सकता है तो वह इस निर्णय को संशोधित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को अनुरोध करेगा एवं उस स्थिति में जबकि प्राधिकारी 15 दिन के भीतर उक्त निर्णय को पूर्णतः या अंशतः संशोधित करने से अस्वीकार करता है, तो ऐसा प्रकरण कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जावेगा और उनका निर्णय अंतिम होगा जो शासी निकाय को पुष्टि के लिए भेजा जावेगा.

(9) कुलपति द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया जावेगा तथा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जावेगा जैसा कि परिनियम और अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट हो.

(10) यदि किसी समय अभ्यावेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा भी कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि कुलपति ने-

(क) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के निर्वहन में गलती की है अथवा,

(ख) उसने निजी विश्वविद्यालय के हित के प्रतिकूल कार्य किया है अथवा,

(ग) निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों के सम्पादन में अक्षम सिद्ध हुए हैं तो कुलाध्यक्ष, इस तथ्य को जानते हुए भी कि उनके कुलपति पद की समय-सीमा पूरी नहीं हुई है, तथापि कारणों का उल्लेख करते हुए, लिखित आदेश द्वारा, कुलपति के पद को उस तिथि से रिक्त करने के लिए कह सकता है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो.

(11) उपधारा (10) के अंतर्गत ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं होगा जब तक कुलपति को, समुचित आधार दर्शाते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की सूचना न दे दी जाये और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण बताने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया जाये.

(12) उपधारा (10) के अंतर्गत आदेश में उल्लिखित दिनांक से, कुलपति अपने पद से पदमुक्त माने जा सकेंगे और कुलपति का पद रिक्त माना जावेगा.

कुलसचिव. 18. (1) कुलसचिव की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा इस कार्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा पर परिनियम में दर्शाये अनुसार की जावेगी, परंतु प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति प्रायोजक निकाय के द्वारा 2 वर्षों के लिए की जावेगी.

(2) कुल सचिव द्वारा निजी विश्वविद्यालय की ओर से सभी अनुबंध हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सभी दस्तावेज एवं अभिलेख अधिकारिक किये जायेंगे.

(3) कुल सचिव स्वशासी निकाय, प्रबंध मंडल और अकादमिक परिषद् के सदस्य सचिव होंगे किन्तु उन्हें मताधिकार नहीं होगा.

(4) कुल सचिव द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किया जा सके.

(5) किसी समय यह ज्ञापित कराये जाने पर या अन्यथा भी, जांच उपरांत स्थितियां सचेत करती हों कि कुलसचिव का पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में नहीं है; तो कुलपति, उन कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए कुलसचिव को पदमुक्त करने के लिए कुलाधिपति को कह सकता है.

परंतु, इस उपधारा के अंतर्गत कार्यवाही करने के पूर्व कुलसचिव को सुनने का अवसर दिया जावेगा.

19. (1) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति कुलपति द्वारा इस प्रकार की जावेगी जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्देशित किया जावे. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी.

(2) मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किया जावे.

20. (1) निजी विश्वविद्यालय ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है जो कि उसके संचालन के लिए आवश्यक हो. अन्य अधिकारी.

(2) निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां व कार्य उस प्रकार के होंगे, जैसा कि परिनियमों द्वारा निर्धारित किये जावें.

21. (1) निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, यथा- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.

(क) शासी निकाय

(ख) प्रबंध मंडल

(ग) शैक्षणिक परिषद् तथा

(घ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा सृजित किया जाकर निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किया जावे.

(2) शासी निकाय एवं प्रबंध मंडल में नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा. कोई भी नामांकित सदस्य लगातार 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नामांकित नहीं किया जावेगा.

22. (1) विश्वविद्यालय के शासी निकाय का गठन निम्नानुसार होगा, यथा- शासी निकाय.

(क) कुलाधिपति,

(ख) कुलपति,

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित 3 ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, जिनमें कम से कम 01 व्यक्ति शिक्षाविद् होगा.

(घ) राज्य शासन द्वारा ख्यातिप्राप्त छः नामों की सूची में से कुलाध्यक्ष द्वारा तीन व्यक्तियों को नामांकित किया जावेगा.

(ङ) राज्य शासन का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव के स्तर से नीचे का न हो.

(2) कुलाधिपति शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा.

(3) शासी निकाय विश्वविद्यालय का सर्वोच्च प्राधिकारी होगा. विश्वविद्यालय की समस्त चल एवं अचल संपत्ति पर शासी निकाय का अधिकार होगा.

उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा-

(क) इस अधिनियम या परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों के अंतर्गत दी गई ऐसी सभी शक्तियों का उपयोग करते हुए निजी विश्वविद्यालय के संचालन का नियंत्रण करना, सामान्य देखभाल करना एवं निर्देशित करना,

(ख) निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के निर्णयों पर पुनर्विचार करना यदि वे इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों अथवा अध्यादेशों से सुसंगत न हों,

(ग) निजी विश्वविद्यालय के बजट तथा वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन करना,

(घ) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली विस्तृत नीतियों का निर्धारण करना,

(ङ) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये कि निजी विश्वविद्यालय का सुचारू रूप से कार्य करना संभव नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रायोजक निकाय को स्वेच्छया भंग करने की अनुशंसा करना,

(च) ऐसी अन्य शक्तियों जो संविधियों द्वारा निर्धारित की जावे.

(4) शासी निकाय की बैठक प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी.

(5) शासी निकाय की बैठकों के लिये गणपूर्ति कम से कम पांच की होगी.

प्रबंध मंडल. 23. (1) प्रबंध मंडल का गठन निम्नानुसार होगा, यथा-

(क) कुलपति,

(ख) प्रायोजक निकाय द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित दो प्रतिनिधि,

(घ) निजी विश्वविद्यालय के दो क्रमानुसार वरिष्ठतम प्राध्यापक,

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम शिक्षक जो उपधारा (1) (घ) के अतिरिक्त- चक्रीय क्रम में लिये जावेंगे.

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल का अध्यक्ष होगा.

(3) प्रबंध मंडल की शक्तियाँ एवं दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित किये जावेंगे.

(4) प्रति दो माह में प्रबंध मंडल की कम से कम एक बैठक होगी.

(5) प्रबंध मंडल की बैठकों में गणपूर्ति पांच का होगा.

शैक्षणिक परिषद्. 24. (1) शैक्षणिक परिषद् में कुलपति तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जैसा कि संविधि द्वारा निर्धारित की जावेगी :

(2) कुलपति शैक्षणिक परिषद् का अध्यक्ष होगा.

(3) शैक्षणिक परिषद् निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य पर्यवेक्षण बनाये रखेगी.

(4) शैक्षणिक परिषद् की बैठकों में गणपूर्ति परिनियम के प्रावधानों के अनुरूप होगी.

अन्य प्राधिकारी.

25. निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, संविधान, शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि संविधियों द्वारा निर्धारित किये जावेंगे.

प्रथम परिनियम.

26. (1) इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए निजी विश्वविद्यालय प्रथम परिनियम द्वारा निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी विषय का प्रावधान कर सकेगा, यथा-

(क) समय-समय पर गठित निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा अन्य निकायों के गठन, शक्तियाँ एवं कर्तव्य.

(ख) कुलपति की नियुक्ति की शर्तें तथा उसकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(ग) कुलसचिव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(घ) अन्य अधिकारियों एवं संकाय के सदस्यों की नियुक्ति की शर्तें तथा उनकी शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य.

(ङ) निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें.

(च) अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों एवं छात्रों के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थता हेतु प्रक्रिया.

(छ) मानद उपाधियाँ प्रदान करना.

(ज) शिक्षा शुल्क से मुक्ति तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधी प्रावधान.

(झ) प्रवेश संबंधी नीति, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति; विकलांग एवं लड़कियों की श्रेणियों के छात्र-संख्या के आरक्षण का नियमन भी समाहित हो.

(ञ) छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क तथा ऊपर (झ) में उल्लेखित श्रेणियों की रियायत का प्रावधान.

(ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु छात्र-संख्या का प्रावधान.

परंतु, यह कि निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के पूर्वानुमोदन बिना, छात्रों से दान अथवा कैपिटेशन शुल्क लेने संबंधी कोई परिनियम नहीं बनायेगा.

(2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम परिनियम, शासी निकाय द्वारा विनियामक आयोग के अनुमोदन उपरांत बनाया जायेगा.

(3) विनियामक आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रथम परिनियमों पर उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं ऐसे संशोधनों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अपना अनुमोदन प्रदान करेगा.

(4) विश्वविद्यालय, प्रथम परिनियमों पर, जैसा कि वे विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित की गई हैं, अपनी सहमति संसूचित करेगा तथा यदि विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग द्वारा उपधारा (3) के अंतर्गत किये गये संशोधनों के क्रियान्वयन हेतु सहमत न हो, तो वह उसका कारण बता सकेगा. विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये सुझावों को विनियामक आयोग स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है.

(5) राज्य सरकार, प्रथम परिनियमों को, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है, राजपत्र में प्रकाशित करेगा एवं तत्पश्चात् ऐसे परिनियम प्रभावशील होंगे.

अनुगामी परिनियम.

27. (1) इस अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन निजी विश्वविद्यालय के परिनियम में निम्नलिखित में से समस्त अथवा किन्हीं विषयों का प्रावधान हो सकेगा-

(क) निजी विश्वविद्यालय के नये प्राधिकारी का सृजन.

(ख) लेखा नीति एवं वित्तीय प्रक्रिया.

(ग) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व.

(घ) नये विभागों का निर्माण तथा विद्यमान विभागों का विलयन या पुनर्गठन.

(ङ) पदक एवं पुरस्कारों का सृजन.

(च) पदों का सृजन एवं विलयन.

(छ) शुल्क का पुनर्निधारण.

(ज) विभिन्न पाठ्यक्रमों में निर्धारित छात्र-संख्या में परिवर्तन.

(झ) अन्य ऐसे विषय जो अधिनियम के प्रावधानों द्वारा निर्धारित होने हैं.

(2) प्रथम परिनियमों के अतिरिक्त निजी विश्वविद्यालय के अन्य परिनियम, प्रबंध मंडल द्वारा, शासी निकाय के अनुमोदन से बनायी जायेंगी.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत निर्मित परिनियम विनियामक आयोग को भेजी जायेंगी तथा विनियामक आयोग, यदि आवश्यक समझे तो, उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर उनमें संशोधन के सुझाव दे सकेगा.

(4) शासी निकाय, विनियामक आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधनों पर विचार करेगा एवं परिनियमों को अपनी टिप्पणी सहित विनियामक आयोग को वापस भेजेगा.

(5) विनियामक आयोग, शासी निकाय द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगा एवं राज्य शासन, विनियामक आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परिनियमों को राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् वे प्रभावशील होंगे.

प्रथम अध्यादेश.

28. (1) इस अधिनियम, नियम तथा परिनियमों द्वारा निर्मित प्रावधानों के अधीन प्रथम अध्यादेश, निम्नलिखित समस्त बिन्दुओं में से किसी बिन्दु पर विचार कर सकता है अर्थात्-

(क) निजी विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उनका नामांकन, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, विकलांग एवं लड़कियों पर विशेष विचार रखा जावेगा.

(ख) निजी विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, पत्रोपाधियों व प्रमाण-पत्रों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों का निर्धारण,

(ग) निजी विश्वविद्यालय की उपाधियाँ, पत्रोपाधियाँ, प्रमाण-पत्रों तथा अन्य अकादमिक वैशिष्ट्य का प्रदान किया जाना, उनके लिए न्यूनतम अर्हताएँ एवं उन्हें प्रदान करने एवं प्राप्त करने संबंधी अपनाये जाने वाली प्रणाली,

(घ) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति, पदक एवं पुरस्कार प्रदान करने संबंधी शर्तें,

(ङ) परीक्षा समितियों, परीक्षकों एवं मॉडरेटरों की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उनकी सेवावधि व शर्तों सहित परीक्षाओं का संचालन,

(च) निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं पत्रोपाधियों के शुल्क का निर्धारण,

(छ) निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें,

(ज) छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रावधान,

(झ) निजी विश्वविद्यालय के अकादमिक वातावरण में सुधार हेतु आवश्यक होने पर किसी अन्य निकाय का सृजन, गठन एवं कार्यकलाप,

(ञ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के संस्थाओं से सहयोग एवं सहभागिता की प्रणाली,

(ट) अन्य सभी प्रकरण, जो इस अधिनियम या परिनियमों के अंतर्गत हैं, अध्यादेशों द्वारा प्रस्तुत होने हैं.

(2) निजी विश्वविद्यालय का प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा बनाया जायेगा जो विनियामक आयोग को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा.

(3) उपधारा (2) के अंतर्गत कुलपति द्वारा बनाये गये अध्यादेशों पर विनियामक आयोग उनकी प्राप्ति की तिथि से 2 माह के भीतर विचार करेगा एवं उसे या तो अनुमोदित करेगा या संशोधन के सुझाव देगा.

(4) कुलपति, विनियामक आयोग द्वारा दिये गये सुझावों पर अपनी टिप्पणी देगा एवं "प्रथम अध्यादेश" को विनियामक आयोग को वापस करेगा एवं उसकी प्राप्ति पर विनियामक आयोग या तो उसे अनुमोदित करेगा या उसे अस्वीकार कर देगा, एवं उसके अंतिम निर्णय के आधार पर अध्यादेश, जैसा कि विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित होगा, राजपत्र में राज्य शासन द्वारा प्रकाशित किया जायेगा एवं ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेगा.

अनुगामी अध्यादेश.

29. (1) प्रथम अध्यादेश के अतिरिक्त शेष सभी अध्यादेश अकादमिक परिषद् द्वारा प्रबंध मंडल के अनुमोदन से निर्मित किये जायेंगे,

(2) विनियामक आयोग उपधारा 1 अंतर्गत निर्मित अध्यादेशों का अनुमोदन करेगा तथा ऐसा अनुमोदित सभी अध्यादेश राज्य शासन, राजपत्र में प्रकाशित करेगा तथा ऐसे प्रकाशन के पश्चात् अध्यादेश प्रभावशील हो जायेंगे.

रिक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी की कार्यवाही की अवैधता का कारण नहीं.

30. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही केवल कोई रिक्ति होने के कारण अथवा गठन की त्रुटि होने के कारण अवैध नहीं होगी.

आपात रिक्तियों की पूर्ति.

31. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा निकायों के सदस्यों की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा सदस्य को मुक्त करने अथवा जिस पद पर नियुक्ति या नामांकन हुआ था उसमें परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा यथाशीघ्र पूर्ति किया जावेगा, जिसके द्वारा पहले ऐसा किया गया हो.

परंतु निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अथवा निकाय की आपात रिक्तियों में सदस्य के रूप में नियुक्ति अथवा नामांकित होने पर वह सदस्य उस शेष समायावधि के लिये नियुक्ति या नामांकित होगा जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामांकन हुआ है.

समिति.

32. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी ऐसी समितियों का गठन कर सकते हैं जिनके अभ्युद्देश्य की शर्तें वैसी होंगी जैसी कि इस प्रकार के समिति के विशेष कार्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो. इस प्रकार की समितियों का गठन एवं उनके कर्त्तव्य वैसे ही होंगे जैसे कि परिनियम में विहित हो.

विश्वविद्यालय अभिलेख साक्ष्य का उपकरण.

33. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संधारित अथवा विश्वविद्यालय के कब्जे की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही किसी प्राधिकारी या समिति के प्रस्ताव अथवा अन्य दस्तावेज अथवा किसी पंजी की प्रविष्टि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किये जाने पर प्रथम दृष्टया ऐसी रसीद, नोटिस, आवेदन, प्रोसिडिंग प्रस्ताव अथवा इस प्रकार के विषय तथा व्यवहार के रूप में उसी प्रकार ग्राह्य होगीं जैसा कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की दशा में होगी.

विनियम.

34. (1) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन गठित निजी विश्वविद्यालय के प्रधिकारी, इस अधिनियम के अंतर्गत, परिनियम एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश के प्रावधानों के अंतर्गत विनियम का निर्माण कर सकेंगे.

(2) प्रबंध मंडल द्वारा इस धारा के अंतर्गत किसी प्राधिकारी द्वारा निर्मित विनियम को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा.

परिनियम अध्यादेश और विनियम की प्रभावशीलता.

35. सभी परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम शासन के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् प्रभावशील होंगे.

अध्याय-चार : निजी विश्वविद्यालय का विनियम

विनियामक आयोग.

36. (1) निजी विश्वविद्यालयों के विनियम के लिये राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जावेगा जो राज्य शासन एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चत करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्तें सुनिश्चित करने के लिये होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता बनाए रखेगा.

(2) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा.

(3) विनियामक आयोग के गठन में;

(क) एक अध्यक्ष तथा दो पूर्णकालिक सदस्य जिनमें से एक सदस्य "सदस्य अकादमिक" और दूसरा "सदस्य प्रशासनिक" होगा तथा दो से अनधिक अंशकालिक सदस्य होंगे जो कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किये जायेंगे.

(ख) एक पूर्णकालिक या अंशकालिक सचिव होंगे.

(4) अध्यक्ष की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा एक ऐसे पेनल से की जायेगी जिसकी अनुशंसा राज्य शासन के द्वारा की गई हो और जिसमें ऐसे ख्यातिप्राप्त शिक्षाविदों को शामिल किया गया हो, जिन्हें उच्च शिक्षा की संस्थाओं के कार्य का समुचित अनुभव हो.

(5) सदस्यों की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसे पेनल में से की जायेगी जिसे राज्य शासन द्वारा अनुशंसित किया हो और जिसमें शिक्षा, वित्त, विधि, प्रशासनिक/प्रबंधन आदि में प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के नाम शामिल हों.

(6) अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे होंगे जो कि इस अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी तरह से संबंधित न हो.

(7) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें, बैठकों की विधि, आयोग के कर्मचारीवृंद की नियुक्तियों और उनकी सेवा शर्तों, विशिष्ट प्रयोजनों के लिये अस्थायी सहयुक्ति, आयोग की निधि, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, अंकेक्षण और इस प्रकार के अन्य मामले जो कि आयोग के सही संचालन के लिये आवश्यक हो, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये नियमों द्वारा उल्लिखित होंगे.

(8) विनियामक आयोग का यह सामान्य कर्त्तव्य होगा कि :-

(क) निजी विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और शोध के लिये मानक स्तर बनाए रखने के लिये ऐसे आवश्यक कदम उठाना जो वह उचित समझें,

(ख) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय को कितना शुल्क और अन्य राशि एकत्रित करने का अधिकार हो ताकि वे उनके द्वारा दी जाने वाली शिक्षा की लागत को वसूल कर सके और साथ में उनके पास कुछ तर्कसंगत राशि बच भी सके जिसका उपयोग वे संपत्ति के संधारण और आगे के विस्तार के लिये कर सके.

(ग) यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु नियुक्त शिक्षकों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक अभिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ हो.

(घ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदंडों के अनुसार हुई है तथा विश्वविद्यालय की परिनियमों, अध्यादेशों के सुसंगत है.

(ङ) सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के साथ शोषण न हो और उनसे शुल्क वसूल करने के लिये गलत तरीके न अपनाए जाये.

(च) निजी विश्वविद्यालय के विघटन संबंधी सभी मामले में कार्यवाही करें, जिसमें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन करने एवं उपाधि देने का कार्यक्रम शामिल है. इस कार्य को किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस प्रकार सौंपेगें ताकि विद्यार्थियों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो. विद्यार्थियों के लिये किये जाने वाले इन सब कार्यों पर तथा साथ में विश्वविद्यालयों के विघटन पर होने वाले व्यय को विन्यास निधि एवं/सामान्य निधि से पूरा किया जाएगा.

(छ) निजी विश्वविद्यालय के परामर्श से राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित अध्ययन केन्द्रों का नियमन करना.

(9) नीति विषयक प्रश्नों पर राज्य शासन विनियामक आयोग को निर्देश दे सकेगा.

वार्षिक प्रतिवेदन. 37. (1) प्रबंध मंडल द्वारा निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा, जिसमें अन्य विषयों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उठाये गये कदमों का समावेश होगा तथा जिसका अनुमोदन शासी निकाय द्वारा किया जावेगा, एवं इसकी एक प्रति प्रायोजक निकाय को भेजी जायेगी.

(2) उपधारा (1) के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति कुलाध्यक्ष एवं विनियामक आयोग को भी प्रस्तुत की जावेगी.

वार्षिक लेखा एवं संपरीक्षा. 38. (1) निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा बैलेन्सशीट प्रबंध मंडल के निर्देशों के अधीन तैयार की जावेगी तथा वार्षिक लेखा का परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार विश्वविद्यालय द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा किया जावेगा.

(2) वार्षिक लेखा सहित, लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन शासी निकाय को प्रस्तुत किया जावेगा.

(3) वार्षिक लेखा, लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन तथा शासी निकाय की टीप सहित एक प्रति कुलाध्यक्ष को तथा एक प्रति विनियामक आयोग को प्रस्तुत की जावेगी.

(4) लेखा तथा ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न विषय पर विनियामक आयोग द्वारा दिए गए निर्देश, विश्वविद्यालय के लिए बंधनकारी होंगे.

नियतकालिक निरीक्षण. 39. (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, निजी विश्वविद्यालय या उसके किसी केन्द्र का नियतकालिक निरीक्षण कर सकता है. इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संबंधित निजी विश्वविद्यालय से आवश्यक जानकारियां मांग सकता है (विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए विवरण पत्र नियम 1979 में समय-समय पर किये गये संशोधनों सहित दिये गये हों).

(2) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठयक्रम प्रदान करती है, के निरीक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निजी विश्वविद्यालय की कोई न्यूनता एवं असमानता पाती है तो ठीक करने के लिए उचित अवसर प्रदान करेगी. यदि आयोग इस बात से संतुष्ट होता है कि निजी विश्वविद्यालय ने ऐसा अवसर प्राप्त होने के उपरान्त भी किसी नियमन में दिये गये प्रावधानों की पूर्ति करने में असफल है तो आयोग ऐसे आदेश प्रसारित कर सकता है जो निजी विश्वविद्यालय को प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि पाठ्यक्रम जैसी भी स्थिति हो, को प्रतिबंधित करने का आदेश तब तक के लिए प्रसारित कर सकता है जब तक न्यूनताओं की प्रतिपूर्ति न कर ली गई हो.

(3) निजी विश्वविद्यालय जो प्रथम उपाधि और/स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि प्रदान करता है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचित नहीं है, उसके विरुद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यवाही कर सकता है तथा जन-सामान्य को लोक अधिसूचना द्वारा सूचित करेगा. ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम की धारा 24 के अधीन ऐसे निजी विश्वविद्यालय को जो इस प्रकार के कार्यक्रम चलाता है तथा ऐसी गैर निर्धारित उपाधियां देता है को दंडित किया जा सकता है.

अध्याय-पॉच : निजी विश्वविद्यालय का परिसमापन

प्रयोजक निकाय के विघटन होने पर विश्वविद्यालय का प्रबंधन.

40. (1) यदि प्रायोजक निकाय अपने को विघटित कराना चाहे या अधिनियम के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय को चलाना बंद करना चाहे, तो वह इस संबंध मे अपनी योजना की सूचना विनियामक आयोग को देगा जिसमें पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा भविष्य की उस तिथि की भी सार्वजनिक घोषणा की जायेगी जिसके बाद फिर नये विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जायेगा.

(2) इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर विनियामक आयोग को यह अधिकार होगा कि वह प्रायोजक निकाय को ऐसा निर्देश दे जो उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो. यदि प्रायोजक निकाय उपधारा 1 के तहत निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो विनियामक आयोग विन्यास निधि को समपहृत कर लेगा और पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा संचालन, उपाधि देने आदि के संबंध में या तो स्वयं कार्य करने या यह कार्य किसी अन्य विश्वविद्यालय को सौंपने संबंधी व्यवस्था इस प्रकार करेगा कि विद्यार्थियों के हित किसी तरह प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हों विद्यार्थियों के लिए की गई इन व्यवस्थाओं पर जो व्यय होगा, उसे विन्यास निधि एवं/या विश्वविद्यालय की सामान्य निधि से पूरा किया जायेगा.

कतिपय परिस्थितियों में राज्य शासन की विशेष शक्तियां.

41. (1) यदि विनियामक आयोग के प्रतिवेदन पर या अन्यथा राज्य शासन को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अंतर्गत जारी ऐसे किसी निर्देश का विश्वविद्यालय द्वारा उल्लंघन किया गया है या विश्वविद्यालय में वित्तीय तथा प्रशासनिक कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वह निजी विश्वविद्यालय को 45 दिन का कारण बताओ सूचना, इस आशय का जारी करेगा कि :-

(क) क्यों न उसके परिसमापन का आदेश प्रसारित किया जावे,

(ख) क्यों न उपधारा (7) के अंतर्गत प्रबंध मंडल को निलंबित कर, प्रशासक नियुक्त कर दिया जावे.

(2) यदि राज्य शासन की यह धारणा बनती है कि उचित जांच के लिये प्रबंध मंडल को निलंबित करना आवश्यक है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर प्रबंध मंडल को निलंबन के आदेश देगा और प्रायोजक निकाय के परामर्श से निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के संचालन हेतु जांच पूर्ण होने की अवधि के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी कि वह आश्यक समझे.

(3) निजी विश्वविद्यालय को उपधारा (1) के तहत जारी की गई सूचना का उत्तर प्राप्त कर यदि इस बात का समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, कुप्रबंधन, कुप्रशासन या अधिनियम के प्रावधानों या उसके अंतर्गत जारी किये गये निर्देशों के उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के आदेश प्रसारित करेगा जो आवश्यक हो.

(4) उपधारा (3) के अंतर्गत राज्य शासन किसी भी आरोप की जांच के लिए कोई अधिकारी अथवा प्राधिकारी नियुक्त करेगा और उसे जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहेगा.

(5) उपधारा (4) के अंतर्गत नियुक्त जांच अधिकारी को वे सभी शक्तियॉ प्राप्त होंगी जैसा कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का क्र. 40) के अंतर्गत निम्नांकित मामलों के संबंध में किसी वाद के निराकरण हेतु आवश्यक हों यथा-

(क) गवाहों को समन्स जारी करने तथा उनके उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा किसी व्यक्ति का शपथ पर परीक्षण करना.

(ख) किसी दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री जो साक्ष्य में प्रस्तुत की जा सकती हो, का अन्वेषण प्रस्तुत किया जाना.

(ग) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से सार्वजानिक अभिलेख मंगवाया जाना.

(घ) अन्य कोई बिन्दु जो निर्धारित की जावे.

(6) इस अधिनियम के अंतर्गत जॉच कर रहे प्रत्येक जॉच अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का क्र. 2) की धारा 195 तथा अध्याय 26 के प्रयोजन हेतु व्यवहार न्यायालय माना जावेगा.

(7) जॉच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत यदि राज्य शासन संतुष्ट होता है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुप्रशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि निजी विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता या प्रशासन असुरक्षित हो गया है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निजी विश्वविद्यालय को विघटित करने का आदेश देगा अथवा निजी विश्वविद्यालय की गतिविधियों को चलाये रखने हेतु एक प्रशासक को नियुक्त कर सकेगा जिसे शासी निकाय के सभी अधिकार प्राप्त होंगे.

परंतु विघटन का कोई आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे विश्वविद्यालय से संबंधित प्रविष्टि को अधिनियम की अनुसूची से हटा न दिया जाये.

(8) उपधारा (7) के अंतर्गत समापन की अधिसूचना प्रसारित करने के समय राज्य शासन वर्तमान पाठ्यक्रम की समाप्ति के अंत तक कार्य नियमों के अनुरूप विश्वविद्यालय प्रशासन के संचालन हेतु व्यवस्था करेगा.

(9) उपधारा (8) के अंतर्गत विश्वविद्यालय की व्यवस्था की अवधि में राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि का उपयोग किया जावेगा तथा अतिरिक्त राशि यदि कोई हो तो स्वयं के हेतु जब्त किया जायेगा.

(10) जॉच की प्रकिया में और विद्यार्थियों के प्रवेश पूर्ण होते तक हुए सभी व्यय विश्वविद्यालय के विन्यास निधि और सामान्य निधि से पूर्ण किये जायेंगे.

अध्याय-छः : प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति.

42. (1) राज्य शासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बना सकेगी.

(2) ऐसे नियम विशेषतः और पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित बातों के बारे में सभी अथवा किसी का प्रावधान होगा यथा-

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव की प्रक्रिया तथा धारा 4 की उपधारा 1 के अंतर्गत देय शुल्क,

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत परियोजना प्रतिवेदन में निहित अन्य विवरण,

(ग) धारा 11 की उपधारा (3) के अंतर्गत विन्यास निधि के स्थापना की विधि, राशि के विनियोजन की विधि, प्राप्त आय की प्रायोजक निकाय को भुगतान की विधि, उसके समपहृत करने की विधि तथा उसका उपयोग करने की विधि,

(घ) धारा 12 (ङ) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय से प्राप्त शुल्क और इस प्रकार संकलित राशि को संचित निधि में जमा करने की विधि,

(ङ) धारा 26 की उपधारा (1) के अंतर्गत अन्य विषय, जिनका प्रावधान संविधि द्वारा किया जाना है,

(च) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा-शर्तों आयोग की बैठकों की विधि एवं आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा-शर्तों किसी विशेष प्रयोजन के लिए आयोग के कार्यों से व्यक्तियों को जोड़ना आयोग कि निधियों, इसके बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा तथा अंकेक्षण और इस प्रकार की अन्य बातें जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन आयोग के समुचित कृत्यों के लिए अपेक्षित है,

(छ) इस अधिनियम के नियम द्वारा निर्धारित अन्य कोई बिन्दु जो आवश्यक हैं या हो सकते हैं.

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये प्रत्येक नियम राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जायेंगे.

कठिनाईयों के निराकरण की शक्तियाँ.

43. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई आती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के असंगत जैसा आवश्यक समझे या कठिनाईयों को दूर करने के लिए समीचीन हो, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्रवाधान कर सकती है.

निरसन एवं व्यावृत्ति.

44. छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2002 का क्रमांक-2) एवं इस अधिनियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक, यदि कोई आदेश, नियम या संकल्प हो तो जैसी भी स्थिति हो वे इसके उपरान्त, विखंडित या निरस्त माने जावेंगे.

इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन धारा 5 एवं 6 को छोड़कर, सभी आदेश या की गई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा दिए गए या कि, की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

अनुसूची

[धारा 9 (1) के अंतर्गत]

अ. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की विधि	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त, 2005

क्रमांक 6886/21-अ/प्रारुपण/04.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2005)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005

INDEX

Section	Contents	Page No.
	CHAPTER-I	
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	
2.	Definitions	
	CHAPTER-II	
	ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY	
3.	Objects of the Private University	
4.	Submission of Proposal for establishment of a Private University.	
5.	Evaluations of the proposal	
6.	Issuing letter of Intent	
7.	Conditions for establishing a Private University	
8.	Submission of Compliance Report, Verification and Inspection	
9.	Establishment and Incorporation	
	CHAPTER-III	
	OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY	
10.	Private University to be self-financed	
11.	Endowment Fund	
12.	General Fund	
13.	Application of General Fund	
14.	Officers of the University	
15.	The Visitor	
16.	The Chancellor	
17.	The Vice-Chancellor	
18.	The Registrar	
19.	The Chief Finance and Accounts Officer	
20.	Other Officers	
21.	Authorities of the University	
22.	The Governing Body	
23.	The Board of Management	

24. The Academic Council
25. Other Authorities
26. The First Statutes
27. The Subsequent Statutes
28. The First Ordinances
29. The Subsequent Ordinances
30. Vacancies not to invalidate the proceedings of any Authority or Body of the University.
31. Filling up of emergent vacancies
32. Committee
33. Mode of proof of University Record
34. Regulations
35. Enforcement of Statute, Ordinance and Regulation

CHAPTER-IV

REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

36. Regulatory Commission
37. Annual Report
38. Annual Accounts and Audit
39. Periodic Inspection

CHAPTER-V

WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY

40. Management of University on dissolution of Sponsoring Body.
41. Special Powers of the State Government in certain circumstances.

CHAPTER-VI

MISCELLANEOUS

42. Power to make Rules
43. Power to remove difficulties
44. Repeal and Savings

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2005)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005

An Act to provide for establishment and for incorporation of self- financed Universities in the State of Chhattisgarh for imparting Higher Education, and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fiftysixth year of the republic of India as follow :

CHAPTER - I : PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the "CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005."

(2) It extends to whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires :-

(1) "Academic Council" means Academic Council of the private university.

(2) "All India Council of Technical Education" means All India Council of Technical Education established under All India Council of Technical Education Act, 1987 (Central Act No. 52 of 1987).

(3) "Bar Council of India" means Bar Council of India constituted under Section 4 of the Advocates Act, 1961 (No. 25 of 1961).

(4) "Board of Management" means Board of Management of the private university.

(5) "Chancellor" means Chancellor of the private university.

(6) "Chief Finance and Accounts Officer" means Chief Finance and Accounts Officer of the private university.

(7) "Distance Education Council" means Distance Education Council established under Section 28 of Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No. 50 of 1985).

(8) "Endowment Fund" means Endowment Fund of the Private University.

(9) "Fee" means collection made by the private university from the students, by whatever name it may be called.

(10) "Government" means Government of Chhattisgarh.

(11) "Governor" means Governor of Chhattisgarh.

(12) "Governing Body" means Governing Body of the private university.

(13) "Higher Education" means study of curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level.

(14) "Medical Council of India" means Medical Council of India constituted under the Indian Medical Council Act, 1956 (No.2 of 1956).

(15) "Main Campus" means Main Campus of the private university situated

in Chhattisgarh, consisting of minimum five university teaching departments/schools of studies and where Vice-Chancellor and Registrar reside and also the main office of the private university is located.

(16) "National Council of Assessment and Accreditation" means the National Council of Assessment and Accreditation, Banglore, an autonomous Institution of UGC.

(17) "Off-Campus Centre" means centre of the private university established outside the main campus but within the State, operated and maintained as its constituent unit.

(18) "Ordinance" means Ordinance of the private university.

(19) "Other Backward Class" means Other Backward Classes which may be declared by the State Government from time to time by Notification.

(20) "Private University" means a private university established and incorporated under this Act.

(21) "Pharmacy Council of India" means Pharmacy Council of India constituted under the Pharmacy Act, 1948 (No. 8 of 1948).

(22) "Regulatory Body" means a Central or a State Regulatory Body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education.

(23) "Regulatory Commission" means Commission established under Section 36 of this Act.

(24) "Regulations" means Regulations made under the provisions of the Act.

(25) "Registrar" means Registrar of the private university.

(26) "State" means State of Chhattisgarh.

(27) "Study Centre" means centre established in the State and maintained by the private university for the purpose of advising, counseling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education which implies imparting education by combination of any two or more means of communication, viz. broadcasting, telecasting, correspondence courses, seminars, contact programmes and any other such methodology.

(28) "Statute" means Statute made under the provisions of the Act.

(29) "Sponsoring Body" in relations to a private university means :-

(a) A Society registered under Chhattisgarh Societies Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No 44 of 1973);

(b) Any registered Public Trust;

(c) A Company registered under Section 25 of the Company Act 1956 (No. 1 of 1956); and

(d) Any other body registered under any Act time being in force.

(30) "Student" means a person enrolled in the private university for pursuing a course of study for the award of a degree / diploma / certificate or other academic distinction.

(31) "Schedule" means Schedule appended to the Act.

(32) "Scheduled Caste" means the Scheduled Castes specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India.

(33) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribes specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.

(34) "School of Studies" means an institution maintained by private university as a place of the higher learning and research.

(35) "Teacher" means a Professor, Reader, Lecturer or a person known by any other designation who is required to impart education or to guide research or to render guidance to the students for pursuing a course of study of the university.

(36) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956).

(37) "UGC REGULATIONS, 2003" means UGC (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations, 2003.

(38) "Visitor" means Visitor of the private university.

(39) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the private university.

(40) "BPL Family" means a family whose income is below the poverty line as specified by the Government from time to time.

CHAPTER - II : ESTABLISHMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

Objects of the private university.

3. The following shall be the general objects of the private university :-

(a) To provide instructions, teaching and training in Higher Education and make provisions for research, advancement and dissemination of knowledge.

(b) To create higher levels of intellectual abilities.

(c) To establish state of the art facilities for education and training.

(d) To carry out teaching and research and offer continuing education programmes.

(e) To create centers of excellence for research and development and for sharing knowledge and its application.

(f) To provide consultancy to the industry and public organizations.

(g) To maintain the standard of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions in accordance with the norms laid down by UGC, AICTE, BCI, MCI, DEC, or any other Regulatory Body.

(h) To pursue any other objective as may be approved by the State Government based on the recommendations of the Regulatory Commission from time to time.

Submission of proposal for establishment of a private university.

4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a private university for carrying out the objectives enumerated in Section 3 of this Act shall be made by the sponsoring body, to the Regulatory Commission along with such fee and in such form with the project report as may be prescribed.

(2) The project report shall contain the following particulars, namely : -

(a) the details of the sponsoring body along with the copies of its registration certificate, constitution and bye-laws;

(b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for past three years;

(c) the name, location and main campus of the proposed private university;

(d) the objectives of the private university ;

(e) availability of land, and details of buildings and infrastructure facilities;

(f) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities and procurement of equipment etc., to be undertaken before the private university starts functioning, and the phase-wise programme for five years;

(g) phased outlays of capital expenditure proposed for five years and its sources of finance;

(h) the nature and the number of faculties such as Science, Arts, Commerce, Technology, Education etc., types of programmes (under graduate / post graduate) of study and research proposed to be undertaken by the private university in each faculty, and their relevance to the developmental goals of the state, and phasing of such programmes for five years with coursewise enrolment targets;

(i) the experience and expertise in the concerned disciplines at the command of the sponsoring body;

(j) availability of academic facilities such as teaching staff, technical / non technical staff, equipments etc., required for the courses of study and research;

(k) the estimated recurring expenditure coursewise or activity-wise, sources of finance and estimated expenditure per student;

(l) the scheme for mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;

(m) the scheme for generation of funds internally through the recovery of fee from students, revenues anticipated from consultancy services and other activities relating to the objects of the private university, and other anticipated income;

(n) the proposed fee structure for the different courses, with reference to the details of expenditure on unit cost and the extent of concessions or rebates in fee or free-ships and scholarships, if any, for the students belonging to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes and BPL families;

(o) the system proposed to be followed for selection of students for admission to the courses of study at the private university;

(p) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees at the private university;

(q) details of distance education programme with proposed study centres;

(r) programmes related to local needs, the nature of specialized teaching, training or research activities;

(s) programmes for the benefit of farmers, women and industries especially located in this State;

(t) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Scouts and Guides etc;

(u) establishment of off-campus centres and study centres specially in the Scheduled areas of the state;

(v) justification regarding the necessity of establishing the proposed private university.

Evaluations of the Proposal.

5. (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the proposal and the project report for establishment of a private university, make such scrutiny, as far as possible within 7 days from the receipt of proposal as to the facts stated in the project report, as it may deem necessary.

(2) The Regulatory Commission in course of scrutiny may ask for any additional information from the sponsoring body, and after receipt of such information, the Regulatory Commission shall evaluate the project proposal as far as possible, within 45 days. In the course of evaluation, the Regulatory Commission shall take into consideration, the following :-

(a) existing facilities for higher education and research in the area in which the private university is proposed to be established;

(b) the proposed private university has some special features or new programmes and activities which will augment the existing academic resources in the State and help in human resource development;

(c) the private university shall have programmes for the upliftment of backward areas or removal of regional imbalances by starting off campus centres in the Scheduled areas of the state;

(d) the main motive for establishment of the private university is of social service and welfare of youths by providing them high quality education.

Issuing letter of Intent.

6. (1) After inquiry and evaluation as provided in Section 5, if Regulatory Commission is of opinion that an opportunity to establish a private university be given to the Sponsoring Body, it shall make its recommendation to the state government to issue a *Letter of Intent* to the sponsoring body in this regard.

(2) After receiving the recommendation from Regulatory Commission, State Government may issue letter of intent to the Sponsoring Body with regard to establishment of private university in the State.

Conditions for establishing a private university.

7. The letter of intent as provided under Section 6 (2) shall contain the following conditions, which the sponsoring body will be required to fulfill for establishing a private university in the State ; namely : -

(1) It shall establish :-

(a) the main campus, off-campus centres and study centres within the state;

(b) *an endowment fund* in accordance with the provisions of Section 11 of the Act.

(2) It shall procure a minimum :

(a) 15 acres land in case the main campus is proposed to be established within the Municipal Corporation limits of Raipur.

(b) 25 acres of land in case the main campus is proposed to be established at any other place;

and submit its ownership papers.

(3) It shall make available *a minimum built up area of 25,000 square feet* in the form of buildings, and ancillary structures for administrative purposes and for conducting the academic programmes.

(4) It shall give an undertaking :-

(a) that the land and buildings of the private university shall be used for the purpose of the private university only;

(b) further, to appoint immediately after incorporation of the private university and before starting of the classes, adequate number of faculty members along with necessary supporting staff in each department or discipline;

(c) to procure equipments, computers, furniture, and other essential items and invest a minimum of Rs.20 lacs per year during first five years;

(d) to purchase books and journals at least worth Rs.10 lacs in the first year and to invest not less than Rs. 50 lacs on books, journals, computer networking and other facilities to make the library facilities adequate for contemporary teaching and research within first three years;

(e) to take up co-curricular activities to foster a proper academic and healthy environment, such as seminars, debates, quiz programmes and extracurricular activities like games, sports, National Service Scheme, National Cadet Corps etc., for the benefit of students as per the norms laid down by the regulatory bodies;

(f) to establish welfare programmes for the employees of the private university;

(g) to fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the central regulatory bodies from time to time;

(h) to fulfill the minimum criteria in terms of programmes, faculty, infrastructural facilities, financial viability etc. as laid down from time to time by the regulatory bodies;

(i) that the programmes of study leading to a degree and / or a postgraduate degree/diploma offered by a private university shall conform to the relevant regulations/norms of the UGC or the concerned statutory bodies as amended from time to time;

(j) that the admission procedure and fixation of fees shall be in accordance with the norms / guidelines, if any, prescribed by the regulatory bodies;

(k) that the teaching staff of the private university shall have at least the minimum qualifications prescribed by the U.G.C. or other concerned regulatory bodies, and be paid appropriate emoluments;

(l) that the private university shall be open to all persons of either sex, and it shall not discriminate on grounds of caste, creed, religion, race, and it shall not be lawful for the private university to adopt or impose on any person, any test whatsoever of religious belief or any profession in order to entitle him to be appointed as a teacher of the private university or to hold any other office therein or to be admitted as a student or to enjoy or exercise any privilege thereof;

(m) that the admissions and conduct of classes shall not be started till concerned Statutes, Ordinances are approved as per provisions of this Act.

Submission of Compliance Report, Verification and Inspection.

8. (1) The sponsoring body shall submit the Compliance Report and an undertaking alongwith the relevant documents to the Regulatory Commission.

(2) After receiving the Compliance Report from the sponsoring body, the Regulatory Commission shall examine the same and factual data in the manner it may deem fit, including spot inspection.

(3) The Regulatory Commission, after examination of the Compliance Report and the Undertaking as mentioned under Sub-section (2) above, finds any shortcomings in the same, it may direct the sponsoring body to remove the identified shortcomings at the earliest.

(4) The Regulatory Commission on being satisfied that the identified shortcomings, as mentioned under Sub-section (3) above, have been removed, it shall send its report regarding status of the proposal for establishment of the private university to the State Government within 15 days from the date of receipt of the report from sponsoring body regarding removal of identified shortcomings.

(5) The State Government may, after the receipt of the report from the Regulatory Commission mentioned under Sub-section (4) above, ask the University Grants Commission for inspection of the proposed private university.

Provided that University Grants Commission shall submit the report within a maximum period of three months, or else, the state government may take such decision as it may deem fit.

Establishment and Incorporation.

9. (1) The State Government, if satisfied considering the report submitted by the Regulatory Commission under Section 8 and Inspection Report of the UGC, if any, that the Sponsoring Body has complied with the provisions of Section 7 and a private university may be established on the basis of its proposal, shall establish, by amending the Schedule appended to this Act, a private university with such name and description as may be specified in this behalf.

(2) Such a private university shall be deemed to have been incorporated from the date of the amendment in the schedule in this behalf.

Provided that, the period between the date of incorporation as mentioned under sub-section (2) above, and the date of submission of the application mentioned under sub-section (1) of section 4, shall not be more than 6 months.

(3) The private university shall be a body corporate by such name, as shown in the Schedule, having perpetual succession, and common seal with powers subject to the provisions of this Act, to acquire and own property, to contract, and shall sue and be sued by the said name.

(4) In all the suits and other legal proceedings by or against such private university, the pleadings shall be signed and verified by the Registrar and all processes in such suits and proceedings shall be issued to and be served on the Registrar.

(5) The main campus of the private university shall be at such place as shown in column 5 of the Schedule

CHAPTER - III : OPERATION AND MANAGEMENT OF PRIVATE UNIVERSITY

Private university to be self-financed.

10. The private university shall be self-financed. However, the Government may consider providing it financial/physical incentives for reasons to be recorded in writing.

Endowment Fund.

11. (1) On receipt of the letter of intent from the State Government as provided under Section 6 (2) above, a sponsoring body willing to fulfill the conditions and give undertakings as mentioned in the letter of intent, shall establish an endowment fund for the private university by depositing the amount in the Fund of the Regulatory Commission, in the manner prescribed, as under :-

(a) *One crore rupees* in case the private university is to be established in a Scheduled Area of the State.

(b) *Three crore rupees* in other cases;

Provided that any deposit in the endowment fund prior to the commencement of this Act by the sponsoring body shall be adjusted.

(2) The endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the private university complies with the provisions of the Act, Statutes and Ordinances. The State Government, may forfeit, after giving notice, whole or part of endowment fund on the recommendation of the Regulatory Commission in case of a breach or contravention of any provisions of the Act, Statute, Ordinance, or Regulations by the sponsoring body.

(3) The mode of establishment of endowment fund, the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body shall be such, as may be prescribed.

General Fund.

12. Every private university shall establish a fund, which shall be called the general fund to which the following shall be credited, namely :-

(a) fees and other charges received by the private university;

(b) any contribution made by the sponsoring body;

(c) any income received from consultancy and other work undertaken by the private university in pursuance of its objectives;

(d) trusts, bequests, donations, endowment and any other grants; and.

(e) all other sums received by the private university.

Provided that one percent of the fees collected from the students under clause (a), shall be deposited through bank draft/banker's cheque with the Regulatory Commission within 15 days of the month next to the month in which such fees are received. If private university fails to deposit fees within stipulated period then it shall be liable to pay such fee with penal interest at the rate of 1.5% for every 30 days. If default continues further beyond 90 days, this would tantamount to violation of the Act for which necessary action may be taken by the Regulatory Commission.

Provided further that the Regulatory Commission shall credit this amount to the Consolidated Fund of the State in due course.

Application of General Fund.

13. The General Fund shall be utilized for the following purposes, namely :-

(1) repayment of debts including interest charges thereto incurred by the university for the purposes of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder;

(2) for upkeep of the assets of the private university;

(3) for the payment of the cost of audit of the funds created under Sections 11 and 12;

(4) meeting expenses of any suit or proceedings in the Court to which university is a party;

(5) for payment of salaries and allowances of the officers and employees of the private university and members of the teaching and research staff, and for payment of any provident fund contributions, gratuity and other benefits to any such officers and employees, and members of the teaching and research staff;

(6) for payment of travelling and other allowances of the members of the Governing Body, the Board of management, the Academic Council and other authorities so declared under the Statues of the private university, and to the members of any committee appointed by any of the authorities or by the Chairperson of the sponsoring body or the Vice-chancellor, in pursuance of any provision of the Act, Statute, Ordinances, or the Regulations made thereunder;

(7) for the payment of fellowships, free-ships, scholarships, assistantships and other awards to the students belonging to BPL families or research associates or trainees as the case may be, or to any student otherwise eligible for such awards under the Statues, Ordinances, Regulations or Rules of the private university made under the provisions of this Act;

(8) for the payment of any expenses incurred by the private university in carrying out the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances, or the Regulations made thereunder;

(9) for payment of cost of capital, not exceeding the prevailing bank rates of interest, incurred by the sponsoring body for setting up the private university and the investments made there for;

(10) for payment of charges and expenditure relating to the consultancy work undertaken by the private university in pursuance of the provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and the Regulations made thereunder;

(11) for the payment of any other expenses including service fee payable to any organization charged with the responsibility of providing any specific service, including the managerial services to the private university, on behalf of the sponsoring body, as approved by the Board of Management to be an expense for the purposes of the private university;

Provided that no expenditure shall be incurred by the private university in excess of the limits for total recurring expenditure and total non-recurring expenditure for the year, as may be fixed by the Board of Management, without the prior approval of the Board of Management;

Provided further that the general fund shall not be utilized for the objects specified under sub-section (1), without the prior approval of the Governing Body of the private university.

Officers of the University.

14. The following shall be the officers of the private university, namely :-

1. The Visitor;
2. The Chancellor;
3. The Vice-chancellor;
4. The Registrar;
5. The Chief finance and Accounts Officers;
6. Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Visitor.

15. (1) The Governor of Chhattisgarh shall be the Visitor of the private university.

(2) The Visitor shall, when present, preside at the convocation of the private university for conferring degrees and diplomas.

(3) The Visitor shall have the following powers, namely :-

(a) to appoint Vice-chancellor,

(b) to call for any paper or information relating to the affairs of the private university.

(c) if it appears on the basis of the information that any order, proceeding or decision taken by any authority of the private university is not in conformity with the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder, Visitor may ask for the opinion of the Regulatory Commission. On being satisfied that certain irregularity has taken place, he may issue such directions as he may deem fit in the interest of the private university and the directions so issued shall be complied with by the private university.

(d) to institute inquiry against the Vice-chancellor, on the report of the Chancellor or otherwise.

The Chancellor.

16. (1) The Chancellor shall be appointed by the sponsoring body for a period of three years with the approval of the Visitor.

Provided that, for establishing the private university and making it functional, the sponsoring body shall appoint the Chancellor in consultation with the State Government for a minimum period of one year, but not exceeding three years.

(2) The Chancellor shall be the head of the private university.

(3) The Chancellor shall preside over the meetings of the Governing Body and shall, when the Visitor is not present, preside over the convocation of the private university for conferring degrees, diplomas or other academic distinctions.

(4) The Chancellor shall have the following powers, namely :-

(a) to call for any information or record,

(b) to report to the Visitor for removal of the Vice-chancellor, if he is satisfied on the basis of complaints that the Vice-chancellor has acted in violation of the Act, statutes or ordinances of the private university, or committed financial irregularity.

The Vice-Chancellor.

17. (1) The Vice-chancellor shall be appointed by the Visitor from the panel recommended by the Search Committee constituted for the purpose.

(2) The Search Committee referred to in Sub-section (1) shall consist of the following :-

(i) Two eminent academicians nominated by the Sponsoring Body.

(ii) One eminent person nominated by the State Government in higher education department.

The Visitor shall appoint one of the members of the Search Committee as Chairman.

(3) The Search Committee shall submit a panel of at least three eminent academicians for the appointment of Vice Chancellor.

Provided that if the Visitor does not approve the recommendation of the

Search Committee, he may call for fresh recommendation from the Committee.

Provided further that the Vice Chancellor, to carry out the business of newly established private university, shall be appointed by the Visitor on the advice of the Chancellor for a period of 2 years.

(4) The Vice-chancellor shall, subject to the provision contained in sub-section (10), hold office for a term of four years.

Provided that, a Vice-chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till a new Vice-chancellor joins. However, in any case this period shall not exceed 6 months.

(5) The Vice-chancellor shall be the principal executive and academic officer of the private university, and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the private university and shall execute the decisions of various authorities of the private university.

(6) The Vice-chancellor shall preside at the convocation of the private university in the absence of the Visitor and the Chancellor.

(7) If in the opinion of the Vice-chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final;

Provided further that where any such action taken by the Vice-chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Body. The decision of the Governing Body shall be communicated to the person concerned within a maximum period of three months from the date of appeal.

(8) If, in the opinion of the Vice-chancellor any decision of any authority of the private university is not in conformity with the powers conferred by this Act, Statutes, Ordinances, or Regulations made there under or is likely to be prejudicial to the interests of the private university, he shall request the concerned authority to revise its decision. In case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor, and his decision thereon shall be final, which will be reported to the Governing Body for ratification.

(9) The Vice-chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

(10) If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Visitor that the Vice Chancellor

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act, or

(b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the private university, or

(c) is incapable of managing the affairs of the private university, the Visitor may notwithstanding the fact that the term of office of Vice Chancellor has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Vice Chancellor to relinquish his office as from such date as may be specified in the Order.

(11) No Order under sub-section (10) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Vice Chancellor and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(12) As from the date specified in the Order under sub-section (10), Vice Chancellor shall be deemed to have relinquished the office and the office of Vice Chancellor shall fall vacant.

The Registrar.

18. (1) The appointment of the Registrar shall be made by the Governing Body on the recommendation of the experts committee constituted for the purpose, as prescribed by the Statutes. However, the first registrar shall be appointed by the sponsoring body for a period of 2 years.

(2) All contracts shall be signed and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the private University.

(3) The Registrar shall be the Member-secretary of the Governing Body, Board of Management and Academic Council but he shall not have a right to vote.

(4) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other duties as may be prescribed by the Statutes.

(5) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the private university, the Vice-chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar.

Provided that before taking an action under this sub-section, the Registrar shall be given an opportunity of being heard.

The Chief Finance and Accounts Officer.

19. (1) The appointment of the Chief Finance and Accounts Officer shall be made by the Chancellor as may be prescribed by the Statues.

(2) The Chief finance and Accounts Officer shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes.

Other Officers.

20. (1) The private university may appoint such other officers as may be necessary for its functioning.

(2) The manner of appointment of other officers of the private university and their powers and functions shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Authorities of the University.

21. (1) The following shall be the authorities of the private university, namely :-

(a) the Governing Body;

(b) the Board of Management;

(c) the Academic Council;

(d) such other authorities as may be created by the Statutes shall be the authorities of the private university.

(2) The term of the nominated members on the Governing Body and the Board of Management shall be three years. No nominated member shall be nominated for more than two consecutive terms.

22. (1) The Governing Body of the university shall consist of the following, namely :- **The Governing Body.**

(a) the Chancellor;

(b) the Vice-chancellor;

(c) three eminent persons nominated by the sponsoring body out of whom at least one shall be noted educationist;

(d) three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the State Government.

(e) one representative of the State Government, not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The Chancellor shall be the ex-officio Chairman of the Governing Body.

(3) The Governing Body shall be the highest authority of the university. All the movable and immovable property of the university shall vest in the Governing Body. It shall have following powers, namely :-

(a) to provide general superintendence and directions and to control functioning of the private university by using all such powers as are provided by this Act or the Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;

(b) to review the decisions of other authorities of the private university in case they are not in conformity with the provisions of this Act or the Statutes, Ordinance, or Regulations made thereunder;

(c) to approve the budget and annual report of the private university;

(d) to lay down the policies to be followed by the private university;

(e) to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the private university if a situation arises when smooth functioning of the private university is not possible;

(f) such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Governing Body shall meet at least three times in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Body shall be five.

23. (1) The Board of Management shall consist of the following members, namely :- **The Board of Management.**

(a) the Vice-chancellor;

(b) two representatives nominated by the sponsoring body;

(c) two representatives nominated by the State Government;

(d) two senior most professors of the private university by rotation;

(e) two senior most teachers of the private university, other than in sub-section (1) (d), by rotation.

(2) The Vice-chancellor shall be the ex-officio Chairperson of the Board of Management.

(3) The powers and functions of the Board of Management shall be such as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Board of Management shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Board of Management shall be five.

The Academic Council.

24. (1) The Academic Council shall consist of the Vice-chancellor and such other members as may be prescribed by the Statutes.

(2) The Vice-chancellor shall be the Chairperson of the Academic Council.

(3) The Academic Council shall be the principal academic body of the private university and shall, subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulation, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the private university.

(4) The quorum for meetings of the Academic Council shall be such as may be prescribed by the Statues.

Other Authorities.

25. The composition, constitution, powers and functions of other authorities of the private university shall be such as may be prescribed by the Statutes.

The First Statutes.

26. (1) Subject to provisions of this Act, and the Rules made there under, the First Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the private university as may be constituted from time to time;

(b) the terms and conditions of appointment of the Vice-chancellor and his powers and functions;

(c) the manner and terms and conditions of appointment of the Registrar, Chief Finance and Accounts Officer and other Officers, and their powers and functions;

(d) the manner and terms and conditions of appointment of teachers.

(e) the terms and conditions of services of employees of the private university;

(f) the procedure for arbitration in case of disputes between officers, teachers, employees and students;

(g) the conferment of honorary degrees;

(h) the provisions regarding exemption of students from payment of tution fee and for awarding to them scholarships and fellowships;

(i) provisions regarding the policy of admissions, including regulation of reservation of seats specially for students below poverty line (BPL), SC/ST, handicapped and girls categories;

(J) provisions regarding fee to be charged from students and concession for the categories mentioned in (i) above;

(k) provisions regarding number of seats in different courses.

Provided that the private university shall not make any Statute relating to charging of donation or capitation fee from the students.

(2) The first Statues of the private university shall be made by the Governing Body and shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the First Statutes submitted by the private university within two months from the date of its receipt and shall give its approval with such modifications as it may deem necessary.

(4) The private university shall communicate its agreements to the First Statutes as approved by the Regulatory Commission and if it desires not to give effect to the modifications made by the Regulatory Commission under Sub-section (3), it may give the reasons therefore and the Regulatory Commission may or may not accept the suggestions made by the private university.

(5) The State Government shall publish the first Statute as approved by the Regulatory Commission in the official gazette and thereafter such Statute shall come into force.

The Subsequent Statutes.

27. (1) Subject to the provisions of this Act and the Rules made there under, the Subsequent Statutes of the private university may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) creation of new authorities of the private university;

(b) accounting policy and financial procedure;

(c) representation of teachers in the authorities of the private university;

(d) creation of new departments and abolition or restructuring of existing departments;

(e) institution of medals and prizes;

(f) creation of posts and procedure for abolition;

(g) revision of fees;

(h) alteration of the number of seats in different courses, and

(i) all other matters which under the provisions of this Act are to be prescribed by the Statutes.

(2) The Statues of the private university other than the first Statutes shall be made by the Board of Management with the approval of the Governing Body.

(3) The Statutes made under sub-section (2) shall be sent to the Regulatory Commission and the Regulatory Commission may, if it considers necessary, give suggestions for modifications in it within two months from the date of receipt of the Statutes;

(4) The Governing Body shall consider the modifications suggested by the Regulatory Commission and return the Statutes to the Regulatory Commission with its comments on the suggestions.

(5) The Regulatory Commission shall consider the suggestions made by the Governing Body and the Statutes, as finally approved by the Regulatory Commission, shall be published by the State Government in the gazette and on such publication the Statute shall come into force.

The First Ordinances.

28. (1) Subject to the provisions of this Act or the Rules or Statutes made there under, the first Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) admission of students to the private university and their enrolment mentioning clearly special consideration for the students of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, handicapped and girls categories;

(b) details of courses of study to be laid down for the degrees, diplomas and certificates of the private university;

(c) award of the degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the minimum qualifications for the same and the means to be adopted relating to the granting and obtaining of the same;

(d) conditions for award of fellowships, scholarships, stipends, medals and prizes;

(e) conduct of examinations, including the terms of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(f) examination fees to be charged for the various courses for degrees and diplomas of the university;

(g) conditions of residence of the students of the university;

(h) provision regarding disciplinary action against the students;

(i) creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic environment of the private university;

(j) manner of co-operation and collaboration with other universities and institutions of higher education;

(k) all other matters which, by this Act or Statutes made thereunder, are required to be provided by the Ordinances.

(2) The First Ordinances of the private university shall be made by the Vice-Chancellor which shall be submitted to the Regulatory Commission for approval.

(3) The Regulatory Commission shall consider the First Ordinances submitted by the Vice-chancellor under sub-section (2) within two months from the date of its receipt and shall either approve it or give suggestions for modifications.

(4) The Vice-chancellor shall give his comments on the suggestions made by the Regulatory Commission and shall return the first Ordinance to the Commission and on receipt of the same, the Commission shall either approve the comments of the Vice-chancellor or disapprove the same and on the basis of the final decision, the Ordinance as approved by the Regulatory Commission shall be notified by the State Government in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.

The Subsequent Ordinances.

29. (1) All Ordinance other than the First Ordinances shall be made by the Academic Council with the approval of the Board of Management.

(2) The State Government after approval of the Ordinances by the Regulatory Commission, shall publish all Ordinances made under sub-section (1) in the gazette and on such publication, the Ordinance shall come into force.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any Authority or Body of the University.

30. No act or proceeding of any authority or body of the private university shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling up of emergent vacancies.

31. Vacancies arising in the members of authorities or bodies of the private university due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member.

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the private university on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body for only the remaining period of the member in whose place he is appointed or nominated.

Committee.

32. The authorities or officers of the private university may constitute such committees with such terms of reference as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees and their duties shall be such as may be prescribed by the Statutes.

Mode of proof of University Record.

33. A copy of any receipt, application, notice, order, proceeding, or resolution of any authority or Committee of the private university or other documents in possession of the private university or any entry in any register duly maintained by the private university, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, application, notice, order, proceeding, resolution or documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

Regulations.

34. (1) The Authorities of the private university constituted by or under this Act may make regulations subject to the provisions of this Act, the statutes and the ordinances of the private university.

(2) The Board of Management may modify or annul any regulations made under this section by any authority.

Enforcement of Statute, Ordinance and Regulation.

35. All Statute, Ordinance or Regulation shall come into force after its publication in the official gazette.

CHAPTER - IV : REGULATION OF PRIVATE UNIVERSITY

Regulatory Commission.

36. (1) A Regulatory Commission shall be established by the state government for the purpose of providing a regulatory mechanism at the state level, and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standard of teaching, examinations, research, extension programmes, protection of interest of the students and ensuring reasonable service conditions of the employees, while the university has full freedom to function.

(2) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(3) The Regulatory Commission shall consist of :

(a) a Chairman, two full-time Members, out of which one Member shall be "Member-Academic" and another Member as "Member-Administration" and not exceeding two part-time members to be appointed by the Visitor.

(b) a full time or part time Secretary.

(4) The Chairman shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of eminent educationists who have a through knowledge of the working of the institutions of higher education.

(5) The members shall be appointed by the Visitor from a panel recommended by the State Government consisting of persons of repute in the field of education, finance, law, administration / management etc.

(6) The Chairman and the members shall not be connected in any way with any of the private universities established under this Act.

(7) Terms and conditions of services of Chairman and the members, mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and instruments issued by the Commission, procedure for meetings of the Commission, recruitment and service conditions of the staff of the Commission, temporary association of persons with the Commission for particular purposes, funds of the Commission, its budget, annual report, account, audit and such other matter as may be required for proper functioning of the Commission shall be provided in the rules made by the State Government in this regard.

(8) It shall be the general duty of the Regulatory Commission :-

(a) to take all such steps as it considers necessary for determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in the private universities;

(b) to ensure that private universities collect only such fees and other charges which cover the cost of education imparted by them and also give a reasonable surplus to enable them to maintain assets and carry out further expansion.

(c) to ensure that the teachers of the university have at least the minimum educational qualifications prescribed by the U.G.C. or other regulatory bodies

(d) to ensure that the staff of the private university is appointed in conformity with the Statutes, Ordinance, and norms /guidelines prescribed by UGC and other concerned Statutory Bodies.

(e) to ensure that students enrolled in the private university are not exploited and no un-ethical means are adopted to collect undue excessive fee from them;

(f) to take action pertaining to, and pursuant upon, liquidation of a private university by the state, including arrangement for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc. , by assigning the job to some other state university in such a manner that the interest of the students are not adversely affected. Expenditure made for these arrangements for the students along with the process of liquidation of the private university shall be made good from the money deposited in the Endowment Fund and / or General Fund;

(g) to regulate in consultation with the concerned private university, the study centres established at different places in the state.

(9) The State Government may issue directions on matters of policy to the Regulatory Commission

Annual Report.

37. (1) The annual report of the private university shall be prepared by the Board of Management which shall include among other matters, the steps taken by the private university towards the fulfillment of its objects and shall be approved by the Governing Body and a copy of the same shall be submitted to the sponsoring body.

(2) Copies of the annual report prepared under sub-section (1) shall also be presented to the Visitor and the Regulatory Commission.

Annual Accounts Audit.

38. (1) The annual accounts including balance sheet of the private university shall be prepared under the directions of the Board of Management and the annual accounts shall be audited at least once every year by the auditors appointed by the private university for this purpose.

(2) A copy of the annual accounts together with the audit report shall be

submitted to the Governing Body.

(3) A copy of the annual accounts and audit report along with the observations, if any, of the Governing Body shall be submitted to the Visitor and the Regulatory Commission.

(4) The Regulatory Commission shall examine the annual report and accounts and audit report. The direction of the Regulatory Commission on the subject arising out of the annual report and accounts and audit report of the private university shall be binding on the private university.

Periodic Inspection.

39. (1) The UGC may cause periodic inspection of the private university or any of its centres. For this purpose, the UGC may call for all relevant information from the concerned private university, as provided in the UGC (Returns of Information by Universities) Rule, 1979 as amended from time to time.

(2) After inspection and assessment of a private university providing first degree and / or post-graduate degree / diploma courses, the UGC may indicate to the university any deficiency and non-conformity with the relevant UGC Regulations and give it reasonable opportunity to rectify the same. If the Commission is satisfied that the private university has, even after getting an opportunity to do so, failed to comply with the provisions of any of the Regulations, the Commission may pass an order prohibiting the private university from offering any course for the award of the first degree and / or the post-graduate degree / diploma, as the case may be, till the deficiency is rectified.

(3) The UGC may take necessary action against a private university awarding a first degree and / or a post-graduate degree / diploma, which are not specified by the UGC, and inform the public in general through a public notification. A private university continuing such programme(s) and awarding unspecified degree(s) shall be liable for penalty under Section 24 of the UGC Act.

CHAPTER - V : WINDING OF PRIVATE UNIVERSITY

Management of University on dissolution of Sponsoring Body.

40. (1) If the Sponsoring Body proposes to dissolve itself or wants to discontinue the function of the private university established under the Act, it shall inform the Regulatory Commission of its plan by which it shall ensure completion of courses and conduct of examinations, and it shall announce the prospective date from which it shall not admit any new students.

(2) The Regulatory Commission on receipt of such information shall have the right to issue such directions to the Sponsoring Body for the fulfillment of its obligations under sub-section (1) as it may deem necessary. If the Sponsoring body contravenes the provisions of sub-section (1), the Endowment Fund shall be forfeited by Regulatory Commission and the Commission shall make arrangements for completion of courses, conduct of examinations, award of degrees etc., of students of the university either by undertaking the job itself or by assigning the job to some other university in such manner that the interest of the students are not affected adversely in any manner.

Expenditure made for these arrangements for the students shall be made good from the money deposited in the endowment fund and / or General Fund of the university.

Special Powers of the State Government in certain circumstances.

41. (1) On report of Regulatory Commission or otherwise if it appears to the State Government that any of the directions issued by it to the private university under this Act has been violated or a situation of financial mismanagement and maladministration has arisen in the private university, it shall issue notice requiring the private university to show cause within forty five days as to :-

(a) Why an order of its liquidation should not be made;

(b) Why the board of management should not be suspended and an administrator be appointed under sub-section (7).

(2) If the State Government considers it necessary to suspend the Board of Management for the proper investigation, it shall, by notification published in the Gazette, order suspension of the Board Management and shall make such arrangement in consultation with the sponsoring body for the administration of the business of the private university till the completion of investigation as it may consider necessary.

(3) If the State Government, on receipt of reply of private university in respect of notice issued under sub-section (1), is satisfied that there is a prima-facie case of financial mismanagement, maladministration or violation of any of the provisions of this Act or directions issued thereunder it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

(4) The State Government shall, for the purposes of any enquiry under sub-section (3), appoint an officer or authority to enquire into any of the allegations and to make report thereon.

(5) The enquiring authority appointed under sub-section (4) shall have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (No. 40 of 1908) while trying a suit in respect of the following matters namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any such document or any other material as may be predicable in evidence;

(c) requisitioning any public record from any court or office;

(d) any other matter which may be prescribed.

(6) Every enquiring authority enquiring under this Act shall be deemed to be a civil court for the purposes of Section 195 and Chapter 26 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

(7) If the State Government on receipt of the enquiry report is satisfied that owing to financial mismanagement and maladministration a situation has arisen where by the financial stability or administration of the private university has become insecure, it shall, by notification in the official Gazette, order liquidation of the private university or may cause the functioning of the private university to continue by appointing an Act who shall have the powers vested in the Governing Body.

Provided that no order of liquidation shall take effect unless the entry relating to such private university shall be deleted from the schedule appended to the Act.

(8) While issuing notification in respect of liquidation under sub-section (7), the State Government, shall, till the end of its current course, make

arrangement for the administration of business of the private university.

(9) The State Government during the period of management of private university under sub-section (8) shall use the funds available with the private university and the surplus, if any, shall be forfeited for itself.

(10) All the expenses incurred in the process of enquiry and till the completion of admission of the students, shall be met from the endowment fund or general fund of the university.

CHAPTER - VI : MISCELLANEOUS

Power to make Rules.

42. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the manner of making proposal to establish a private university and the fees payable under sub-section (1) of Section 4.

(b) other particulars to be contained in the Project Report; under sub-section (2) of Section 4.

(c) the mode of establishment of endowment fund, in the manner of its investment, the payment of income from it to the sponsoring body, its forfeiture and mode of its return to the sponsoring body under Section 11(3).

(d) mode of collection of fee from the private university and depositing amount so collected in the Consolidated Fund under proviso to Section 12(e).

(e) other matters to be provided for in the Statutes under sub-section (1) of Section 26.

(f) mode of authentication of orders and decisions of the Regulatory Commission and the instruments issued by the Commission, terms and conditions of services of Chairman and the members, procedure for meetings of the Commission, provision of staff to the Commission and their service conditions, temporary association of persons with the Commission, its budget, annual report, accounts and audit and such other matters as may be required for proper functioning of the Regulatory Commission under sub-section (9) of Section 30;

(g) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

(3) All rules for which provision in made in this Act, shall be Act in the state legislative Assembly.

Power to remove difficulties.

43. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as it may be deemed necessary or expedient for removing the difficulty.

Repeal and Savings.

44. The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya (Sthapana Aur Viniyaman) Adhiniyam, 2002 (No. 2 of 2002) and orders, rules, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Act, are hereby repealed and rescinded, as the case may be.

Provided that all orders made or actions taken under the Act so repealed except under Sections 5 and 6, shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of this Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 नवम्बर 2006—कार्तिक 12, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-8-2006 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोददार, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 29 सन् 2006)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम ''छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम 2006'' के नाम से जाना जावेगा.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

परिभाषाएं. 2. इस अधिनियम में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,—

''मूल अधिनियम'' से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005.

अनुसूची में संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जावेगी, यथा :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय	ऑल इंडिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेक्नालाजी (आई सेक्ट)	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-208 दिनांक 14-08-2002	करगी रोड, कोटा, जिला-बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तकनीकी (अभियांत्रिकी, प्रबंधन एवं सूचना), विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा तथा उससे संबंधित विषय.
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	श्री भगवान महावीर जैन एजेकेशनल एण्ड कल्चरल सोसायटी.	फर्म्स एवं सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-2342 दिनांक 07-05-2003	आरंग-खरोरा हाईवे ग्राम पंचायत गुल्लु, ग्राम गुल्लु तहसील आरंग जिला रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य	स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों की प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, जैवविज्ञान, फार्मेसी, कला एवं मानविकी, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2006

क्रमांक 13069/डी-342/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छ. ग. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 29 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार पोंद्दार, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 29 of 2006)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Seventh year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) (Amendment) Act, 2006. *Short title and commencement.*

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,— *Definition.*

"Principal Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

3. In Schedule in the Principal Act, the following shall be inserted, namely :— *Amendment of Schedule.*

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dr. C. V. Raman University	All India Society for Electronics and Computer Technology (AISECT)	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 208 dated 14-8-2002.	Kargi Road, (Kota) District : Bilaspur	Chhattisgarh State	Under Graduation, Post Graduation and Diploma Courses in the faculties of Technology (Engineering, Rural, Information) Science, Commerce, Education and matters related

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	MATS University	Shri Bhagwan Mahavir Jain Educational and Cultural Society.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. C. G. State 2342 dated 7-5-2003.	Arang Kharora Highway, Gram Panchayat : Gullu. Village : Gullu, Tehsil : Arang, District : Raipur	Chhattisgarh State	Under Graduation. Post Graduation and Research Courses in the faculties of Management. Business, Commerce. Engineering. Information Technology. Life Sciences. Pharmacy. Arts & Humanities. Law. Education and Science and matters related to.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 74] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च 2011—चैत्र 4, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24-02-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) अधिनियम के अनुसूची में सरल क्रमांक 2 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	कलिंगा विश्व-विद्यालय	भगवान श्री बाला सांई एजुकेशनल एंड चेरीटेबल सोसायटी, रायपुर.	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-2561 छ. ग. राज्य दिनांक 08-01-04.	ग्राम कोटनी, पलौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर.	छत्तीसगढ़ राज्य	मैनेजमेंट कम्प्यूटर साईंस इनफारमेशन टेक्नालॉजी, बायो टेक्नालाजी, बायो इंफार्मेटिक्स, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अनुसंधान पाठ्यक्रम.
4.	आई.सी.एफ. ए.आई. विश्वविद्यालय	दि आई.सी.एफ. ए.आई. सोसायटी रायपुर.	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) पंजीयन क्रमांक-छ.रा./203 दिनांक 25 जुलाई, 2002.	ग्राम चोरहा, आर.आई. सर्किल, अहिवारा, तह. धमधा जिला-दुर्ग (छ.ग.)	छत्तीसगढ़ राज्य	व्यवसाय प्रबंधन, व्यवसाय, वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कला, ह्यूमनटीज, विधि, शिक्षा, विज्ञान तथा उससे संबंधित विषय.

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2011

क्रमांक 2260/डी-73/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 06 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2011)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Ninth year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2006. **Short title, extent and Commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) Act after serial No. (2) the following serial and the entries related thereto, shall be added. **Amendment of Schedule.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Kalinga University	Bhagwan Bala Sai Educational and Charitable Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 2561 dated 8-1-2004.	Gram Kotni, Palod, Teh.- Arang District- Raipur (C.G.)	Chhattisgarh State.	Management Computer Science, Information Technology, Bio Technology, Bio Informatics, UG and PG in Arts, Science and Commerce faculties.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.	I.C.F.A.I. University	The I.C.F.A.I. Society, Raipur.	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. CG State 203 dated 25-6-2002.	Gram Chorha, R.I. Circle Ahiwara Dhamdha Distt.- Durg (C.G.)	Chhattisgarh State.	Business Management, Commerce, Information Technology, Arts, Humanities, Law, Education, Science & related subject.

सचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 145] रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मई 2010—वैशाख 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5184/116/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2010

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् कोई नया शिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से पुर:स्थापित किया जा सकेगा".

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5184/116/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 10 of 2010)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2010

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2010.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 9.

2. After sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that after the establishment of the University any new teaching programme may be introduced with the prior approval of the State Government".

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित— 2010.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 5 मई 2011—वैशाख 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 3290/112/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-05-2011 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 11 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

धारा 7 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य शासन अथवा इसकी एजेन्सी के द्वारा इस प्रयोजन के लिए दी गई अहस्तांतरणीय लीज (जो 30 वर्षों से कम की नहीं होगी) मान्य होगी."

धारा 9 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंक एवं शब्द "6 माह" के स्थान पर अंक एवं शब्द "2 वर्ष" प्रतिस्थापित किए जाएं.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2011

क्रमांक 3290/112/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 11 of 2011)

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty second year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 7.

2. After clause (b) of sub-section (2) of Section 7 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that non transferable lease (not less than 30 years), given for the purpose, by State Government or its Agency shall be admissible."

Amendment of Section 9.

3. In proviso to sub-section (2) of Section 9 of the Principal Act, for the figure and word "6 months" the figure and word "2 years" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से प्रकाशित

ग्राट

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 6 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में और संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 4 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :—

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	आई.टी.एम. विश्व-विद्यालय	आई.टी.एम. सोसायटी, रायपुर	फर्म्स एवं सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक-2755 छ.ग. राज्य दिनांक 13-08-2003	प.ह.नं. 137 ग्राम-उपरवारा तह.-अभनपुर जिला-रायपुर पिन-493661	छत्तीसगढ़	• कम्प्युटर साईंस • इनफॉरमेशन टेक्नालॉजी • बायो-टेक्नालॉजी • बायो-इंफॉर्मेटिक्स • कला • विज्ञान • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • माइक्रोबायआलॉजी • नैनोटेक्नालॉजी • फार्मेसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • व्यवसाय प्रबंधन • ह्यूमैनिटीज • विधि • शिक्षा विज्ञान • स्वास्थ्य विज्ञान • हॉटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाईनिंग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• पत्रकारिता एवं जनसंचार • प्रबंधन प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. तथा अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम."

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2012.

क्रमांक 868/डी. 24/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 6 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 6 of 2012)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2011. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the schedule of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment And Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number (4), the following serial number and entries relating thereto, shall be added, namely :—

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of establishment of Sponsoring body	Main campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	ITM University	ITM Society Raipur	Firms and Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. 2755 CG State dated 13-08-2003	P.H.No.-137, Village-Uparwara, Tehsil-Abhanpur, District-Raipur, Pin-493661	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses and M.Phil., Ph.D. and other Research courses in- • Computer Science, • Information Technology, • Bio-Technology, • Bio-Informatics, • Arts, • Science, • Commerce, • Engineering, • Microbiology, • Nano-technology, • Pharmacy, • Insurance, • Physical Education, • Business Management, • Humanities, • Law, • Education Science, • Health Sciences, • Hotel Management, • Fashion Designing, • Journalism and Mass Communication, • Management Technology subjects."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 458] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 अगस्त 2014— श्रावण 30, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी. 136/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — छत्तीसगढ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 13 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 9 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत स्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2क) उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु, राज्य सरकार, दो वर्ष से अधिक समय पूर्व प्रस्तुत आवेदन पर भी विचार कर सकेगी."

अनुसूची का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की अनुसूची में, सरल क्रमांक 5 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जायें, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की का नाम	मुख्य परिसर स्थापना की प्रक्रिया	क्षेत्राधिकार (मुख्यालय)	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	श्री रितनंद बलवेद इंटरनेशनल एजुकेशन फाउन्डेशन.	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) पंजीयन क्र. एस-30655 सन् 1996, दिनांक 19-12-1996	ग्राम-मांठ तहसील-तिल्दा जिला-रायपुर छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कला, • विज्ञान, • वाणिज्य, • इंजीनियरिंग, • नैनो-टेक्नोलॉजी, • व्यवसाय प्रबंधन, • विधि, • हॉटल मैनेजमेंट, • फैशन डिजाईनिंग, विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान पाठ्यक्रम.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	ओ. पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी	जिन्दल एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी	छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) पंजीयन क्रमांक बी. एस. 2171, दिनांक 4-5-1998.	ओ. पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम-पुंजीपथरा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• इंजीनियरिंग एवं टेक्नालॉजी संकाय, • मैनेजमेंट विज्ञान संकाय, • विज्ञान संकाय, • शिक्षा संकाय, • शारीरिक शिक्षा संकाय"

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्रमांक 7267/डी 136/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2014)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) .

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2014. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

2. After sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :- **Amendment of Section 9.**

"(2A) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), to establish a private university under sub-section (1) of this Section, the State Government may also consider any application submitted before the period of more than two years."

Amendment of Schedule. 3. In the Schedule to the Principal Act, after serial number 5, the following serial number and entries relating therto, shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"6.	Amity University	Shri Ritnand Balved International Education Foundation	The society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) Registration No. S-30655 of 1996, dated 19-12-1996.	Vallage-Manth Tahsil-Tilda District-Raipur Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research courses in - • Arts, • Science, • Commerce, • Engineering, • Nano-technology, • Business Management, • Law, • Hotel Management, • Fashion Designing.
7.	O. P. Jindal University	Jindal Education and Welfare Society.	The Chhattisgarh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration No. B. S. 2171, dated 4-5-1998	O. P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathra, Tehsil-Gharghoda, District-Raigarh Chhattisgarh	Chhattisgarh	• Faculty of Engineering & Technology, • Faculty of Management Science, • Faculty of Science, • Faculty of Education, • Faculty of Physical Education"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 288] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 मई 2015— वैशाख 25, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — छत्तीसगढ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-05-2015 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 21 सन् 2015)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2015

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 की उप-धारा (3) में, अंक "25,000" के स्थान पर, अंक "1,00,000" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 11 का संशोधन. 3. (1) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) में, शब्द "एक करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

(2) मूल अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द "तीन करोड़ रुपये" के स्थान पर, शब्द "पांच करोड़ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2015

क्रमांक 4562/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ.ग./15. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14-05-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 21 of 2015)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2015

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.**

(1) This Act may be called the Chhattistgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Section 7.** In sub-section (3) of Section 7 of the C hhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), for the figure "25,000", the figure "1,00,000" shall be substituted.

3. **Amendment of Section 11.**

(1) In clause (a) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "One crore rupees", the words "Three crore rupees" shall be substituted.

(2) In clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Principal Act, for the words "Three crore rupees", the words "Five crore rupees" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016— भाद्रपद 18, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 8573/डी. 221/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-08-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 31 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की अनुसूची में, सरल क्रमांक 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	आई.एस.बी.एम. यूनिवर्सिटी	अल्फा फाउन्डेशन	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत तथा बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 (1950 का सं. 29) के अधीन स्वीकृत सोसाइटी पंजीयन क्र.- एफ/ 18944/थाने, दिनांक 25-02-2010	ग्राम-छुरा तहसील-छुरा जिला-गरियाबंद छत्तीसगढ़ (अनुसूचित क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	· पत्रकारिता/जन संचार/मीडिया. · कला/मानविकी (ह्यूमेनिटीज)/सामाजिक विज्ञान. · शिक्षा/शिक्षक प्रशिक्षण · विधि · व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/ वित्त. · पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान. · ललित कला/कला प्रदर्शन/ दृश्य कला/ अनुप्रयुक्त कला.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						. होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा. . विज्ञान/अनुप्रयुक्त विज्ञान . अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/डिजाइन. . व्यावसायिक शिक्षा/कौशल विकास. . पैरामेडिकल/नर्सिंग . स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान. . संस्कृत साऊंडिंग उपाधि में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नात्तकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम तथा एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय पाठ्यक्रम."

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्रमांक 8573/डी. 221/21-अ/प्रारू./छ. ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09-09-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 31 of 2016)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2016

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2016. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Chhattisgarh Private Universities (Establisment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 7 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :- **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of the Private Universities	Name of the Sponsoring body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"8.	ISBM Universities	Alpha Foundation	Society registered under the Society Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) and approved under the Bombay Public Trust Act, 1950 (No. XXIX of 1950), Registration No. - F/18944/ Thane, dated 25-02-2010	Village - Chhura Tahsil - Chhura District - Gariyaband Chhattisgarh (Scheduled Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M.phil., Ph.d. and other research level courses in- · Journalism/Mass Communication/ Media. · Arts/Humanities/ Social Sciences. · Education/Teacher Training. · Law · Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance. · Library and Information Sciences.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						· Fine Arts/ Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts. · Hotel Mangement/ Hospitality/ Tourism/Travel. · Science/Applied Sciences. · Engineering/ Technology/ Architecture/ Design. · Vocational Education/Skill Development. · Paramedical/ Nursing. · Health and Applied Science. · Sanskrit Sounding Degrees.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 144] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018 — चैत्र 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्रमांक 3796/डी. 72/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 13-04-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 10 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"9.	एएएफटी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एण्ड आर्ट्स	सोसायटी फॉर मीडिया आर्ट्स	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी	ग्राम-माठ, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• पत्रकारिता • जन संचार • मीडिया • ललित कला • प्रदर्शन कला • दृश्य कला • अनुप्रयुक्त कला में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फ्लि., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम
10.	श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी	श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट	उप पंजीयक-सात, नई दिल्ली में भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 2726, दिनांक 29-03-2000	शदानी दरबार के पास, ग्राम-धनेली, पोस्ट ऑफिस-माना, धमतरी रोड, तहसील एवं जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़)	छत्तीसगढ़	• विज्ञान • व्यापार प्रबंधन • वाणिज्य • इंजीनियरिंग • कला • होटल प्रबंधन • फैशन डिजाईनिंग में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच. डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम
11.	महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी	महर्षि शिक्षण संस्थान	सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का सं. 21) के अधीन पंजीकृत एवं रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, दिल्ली, प्रशासन दिल्ली द्वारा अनुमोदित सोसाइटी	ग्राम-मंगला, तहसील एवं जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़ (सामान्य क्षेत्र)	छत्तीसगढ़	• संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम/ योग, वैदिक साइंस, ज्योतिष, कीर्तन एवं अन्य दर्शन • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य / प्रबंधन/वित्त • ललित कला/ प्रदर्शन कला/ दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/ यात्रा एवं पर्यटन • कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान • अभियांत्रिकी/डिजाईन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम"

नया रायपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्रमांक 3796/डी. 72/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17-4-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2018)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2018

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 8 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"9.	AAFT University of Media and Arts	Society for Media Arts	Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860)	Village-Manth, Tehsil-Tilda, District-Raipur, Chhattisgarh (General Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Journalism • Mass Communication • Media • Fine Art • Performing Art • Visual Art • Applied Art
10.	Shri Rawatpura Sarkar University	Shri Rawatpura Sarkar Lok Kalyan Trust	Sub Registrar-VII, New Delhi under the Indian Trust Act, 1882, Registration No. 2726, dated 29-03-2000	Near Shadani Darbar, Village-Dhaneli, Post Office-Mana, Dhamtari Road, Tehsil and District-Raipur (Chhattisgarh)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Science • Business Management • Commerce • Engineering • Arts • Hotel Management • Fashion Designing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	Maharishi University of Management and Technology	Maharishi Shikshan Sansthan	Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860) and approved under Registrar of Society, Delhi, Administration Delhi	Village-Mangla, Tehsil and District-Bilaspur, Chhattisgarh (General Area)	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Sanskrit Based courses/ Yoga, Vedic Science, Jyotish, Kirtan and Other Darshans • Business Administration/ Commerce/ Management/ Finance • Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts • Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism • Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science • Engineering/Design"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 290] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 अगस्त 2018 — श्रावण 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-07-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 14 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 11 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	के. के. मोदी यूनिवर्सिटी	मोदी इनोवेटिव एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी रजिस्ट्रेशन क्रमांक 2652, दिनांक 22-07-2003	ग्राम-महमरा, जलबांधा रोड, तहसील एवं जिला-दुर्ग छत्तीसगढ़ पिन कोड-491001	छत्तीसगढ़	• अभियांत्रिकी/डिजाईन • वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त • विज्ञान • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम.
13.	देव संस्कृति विश्वविद्यालय	वेद माता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार	उप पंजीयक हरिद्वार से पंजीकृत रजिस्ट्रेशन क्र. : बही क्र. : 4 जिल्द क्र.: 47, पृष्ठ : 270-271 स. क्र. : 84 दिनांक 14-11-1969	ग्राम-सांकरा, कुम्हारी, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• संस्कृत आधारित पाठ्यक्रम, योग, वैदिक विज्ञान एवं अन्य दर्शन • विधि • व्यवसाय प्रशासन/वाणिज्य/प्रबंधन/वित्त • ललित कला/प्रदर्शन कला/दृश्य कला/अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/यात्रा एवं पर्यटन/जन संचार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• कला/मानविकी/सामाजिक विज्ञान/विज्ञान • सूचना प्रौद्योगिकी • अभियांत्रिकी/डिजाईन में प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम. फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम."

नोट : धारा 11 की उप-धारा (1) में निर्धारित जमा राशि रुपये 5.00 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में रुपये 50.00 लाख होगी.

नया रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2018

क्रमांक 7993/डी. 148/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 14 of 2018)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2018

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2018.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 11 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"12.	K. K. Modi University	Modi Innovative Education Society	Society registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration Number 2652, date 22-07-2003	Village-Mahmara, Jalbhandha Road, Tehsil and District-Durg, Chhattisgarh Pin-491001	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Engineering/Design • Commerce/ Management/Finance • Sciences • Hotel Management/ Hospitality/Tourism/ Travel
13.	Dev Sanskriti Vishwavi dyalaya	Ved Mata Gayatri Trust, Haridwar	Registered with Deputy Registrar Haridwar Registration No: Book No: 4, Folio No: 47, Page : 270-271, S. No.: 84 Dated 14-11-1969	Village-Sankra, Kumhari, District-Durg Chhattisgarh	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M. Phil., Ph. D. and other research level only regular courses in - • Sanskrit Based Courses, Yoga, Vedic Science and other Philosophy • Law • Business Administration/ Commerce/ Management/Finance

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						• Fine Arts/Performing Arts/ Visual Arts/ Applied Arts • Hotel Management/ Hospitality/Travel and Tourism/Mass Communication • Arts/ Humanities/ Social Sciences/ Science • Information Technology • Engineering/Design"

Note : The deposit amount prescribed in sub-section (1) of Section 11 in this matter shall be Rs. 50.00 Lakhs in place of Rs. 5.00 Crores.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 9 जून 2020 — ज्येष्ठ 19, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक 4475/डी. 98/21—अ/प्रारू./छ.ग./20. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29—5—2020 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र. 12 सन् 2020)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2020

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 13 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायें, अर्थात् :–

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14.	श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी	श्री गंगाजली एजूकेशनल सोसाइटी	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक डी.आर. /डी.–दुर्ग/आर. क्र. 2005, दिनांक 17.02.2009	ग्राम–जुनवानी, भिलाई, तहसील एवं जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	• कम्प्यूटर साइंस • सूचना प्रौद्योगिकी • जैव प्रौद्योगिकी • बॉयो–इंफॉर्मेटिक्स • माइक्रोबॉयोलाजी • नैनोटेक्नोलॉजी • फॉर्मेसी • बीमा • शारीरिक शिक्षा • शिक्षा विज्ञान • पुस्तकालय विज्ञान • होटल मैनेजमेंट • फैशन डिजाईनिंग विषय में स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम."

अटल नगर, दिनांक 9 जून 2020

क्रमांक 4475/डी. 98/21–स/प्रारू./छ.ग./20. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9–6–2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2020)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2020.

An Act to further amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy First Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 13 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"14.	Shri Shankara charya Professional University	Shri Gangajali Educational Society	Society Registered under Chhattisgarh Societies Registration Act, 1973 (No.44 of 1973).	Village- Junwani, Bhilai, Tehsil and District - Durg, Chhattisgarh	Chhattisgarh	Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses in – • Computer Science, • Information Technology, • Bio-Technology, • Bio-Informatics, • Microbiology, • Nanotechnology,

			Registration number D.R./D.-Durg/ R.No. 2005, dated 17.02.2009			• Pharmacy, • Insurance, • Physical Education, • Education Science, • Library Science, • Hotel Management, • Fashion Designing, Subjects."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 अगस्त 2021 — भाद्रपद 5, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक 8956/डी. 94/21–अ/प्रारू./छ.ग./21. – छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17–08–2021 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2021)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2021

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

स. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
''15.	भारती विश्वविद्यालय	हॉलिस्टिक फाऊंडेशन, दुर्ग, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन पंजीकृत सोसाइटी पंजीयन क्रमांक 13053, दिनांक 25–08–2007	ग्राम–चंदखुरी, पोस्ट–तहसील एवं जिला–दुर्ग, छत्तीसगढ़ पिन–491001	छत्तीसगढ़	• कला / मानविकी / समाजिक विज्ञान संकाय • विज्ञान संकाय • शिक्षा / शिक्षक प्रशिक्षण संकाय • इंजीनियरिंग / प्रौद्योगिकी / डिजाइन संकाय • स्वास्थ्य और संबंद्ध विज्ञान संकाय • व्यापार प्रशासन / वाणिज्य / प्रबंधन / वित्त संकाय • पुस्तकालय और सूचना विज्ञान संकाय • विधि संकाय • पत्रकारिता / जनसंचार / मीडिया संकाय • होटल प्रबंधन में पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियमित पाठ्यक्रम।''

टीप :– धारा 11 की उप–धारा (1) में निर्धारित जमा राशि, रूपये 5.00 करोड़ के स्थान पर इस प्रकरण में रूपये 50.00 लाख होगी.

अटल नगर, दिनांक 27 अगस्त 2021

क्रमांक 8956/डी. 94/21–अ/प्रारू./छ.ग./21. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27–08–2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2021)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDEMENT) ACT, 2021

An Act to futher amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy Second Year of the Republic of India, as follows :-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Opreation) (Amendment) Act, 2021. **Short title, extent and commencement.**

(2) It extendes to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Esatblishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 14 and entries relating thereto, the following shall be added, namely :- **Amendment of Schedule.**

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"15.	Bharti Vishwavid yalaya	Holistic Foundation, Durg Chhattisgarh	Society Registered under Chhattisgarh societies registration Act, 1973 (No. 44 of 1973) Registration number 13053, dated 25-08-2007	Village-Chandkhuri, Post-Tahsil and District-Durg, Chhattisgarh Pin-491001.	Chhattisgarh	Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their intergrated courses, M.Phil., Ph.D. and other research level only regular courses in - • Arts/Humanities/Social Science Faculty • Science Faculty • Education/Teacher Training Faculty. • Engineerning/Technology/ design Faculty • Health and Allied Science Faculty

						• Business Administration/ Commerce/Management/ Finance Faculty • Library and Information Science Faculty • Law Faculty • Journalist/Mass Communication/Media Faculty • Hotel Management."

Note :- the deposit amount prescribed in sub section (1) of Section 11 in this matter shall be Rs. 50.00 Lakhs in place of Rs. 5.00 Crores.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 583] रायपुर, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 28, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2022

क्र. 10363/डी. 97/21–अ/प्रारू./छ.ग./22. – छत्तीसगढ़ विधान सभा में पारित निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनाँक 06–09–2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 14 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम, 2022।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप–धारा (1) के अंतर्गत निर्मित अनुसूची में, सरल क्रमांक 15 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

क्र	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	प्रायोजक निकाय की स्थापना की प्रक्रिया	मुख्य परिसर (मुख्यालय)	क्षेत्राधिकार	शिक्षण कार्यक्रम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"16.	आजनेय विश्वविद्यालय	एस.बी.ए एजुकेशन सोसाइटी	छत्तीसगढ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, पंजीयन क्रमांक 11944, दिनांक 20.07.2007	ग्राम–नरहदा, तहसील–मंदिर हसौद जिला–रायपुर, छत्तीसगढ पिन–	छत्तीसगढ	• पत्रकारिता / जन संचार / मीडिया • कला / मानविकी / समाज विज्ञान • विधि • व्यवसाय प्रशासन / वाणिज्य / प्रबधन / वित्त • पुस्तकालय और सूचना विज्ञान • ललित कला / प्रदर्शन कला / दृश्य कला / अनुप्रयुक्त कला • होटल प्रबधन / अतिथि सत्कार / पर्यटन / यात्रा • विज्ञान / अनुप्रयुक्त विज्ञान • अभियांत्रिकी / प्रौद्योगिकी / वास्तुशिल्प / डिजाईन • व्यावसायिक शिक्षा / कौशल विकास में स्नातक • स्वास्थ्य एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान • पैरामेडिकल / नर्सिंग • पुनर्वास विज्ञान • संस्कृत ध्वन्यात्मक उपाधि (संस्कृत साउन्डिग डिग्री) • शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र, पत्रोपाधि, स्नातक, स्नातकोत्तर उपाधि, एवं उनके समेकित पाठ्यक्रम, एम.फिल., पीएच.डी. और अन्य अनुसंधान स्तरीय केवल नियगित पाठ्यक्रम।"

अटल नगर, दिनांक 16 सितम्बर 2022

क्र. 10363 / डी. 97 / 21–अ / प्रारू. / छ.ग. / 22. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 14 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 14 of 2022)

THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) (AMENDMENT) ACT, 2022.

An Act further to amend the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Third Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) (Amendment) Act, 2022.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. In the Schedule made under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), after serial number 15 and entries relating thereto, the following shall be added, namely:-

S. No.	Name of the Private University	Name of the Sponsoring Body	Procedure of Establishment of Sponsoring body	Main Campus (Head Office)	Jurisdiction	Teaching Programmes
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"16.	Anjaneya Vishwavidyalaya	S.B.A. Education Society	Society Registered under the Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 (No.44 of 1973), Registration Number 11944, dated 20.07.2007	Village-Nardaha, Tahsil-Mandir Hasaud District-Raipur, Chhattisgarh. Pin-.....	Chhattisgarh	Certificate, Diploma, Under Graduate, Post Graduate Degree and their integrated courses, M.Phil., Ph.D. and other research level only regular courses in – • Journalism/Mass Communication /Media • Arts/Humanities/Social Science • Education/Teacher Training • Law • Business Administration/ Commerce/Management/Finance

						• Library and Information Science • Fine Arts/Performing Arts/Visual Arts/Applied Arts • Hotel Management/Hospitality/ Tourism/Travel • Sciences/Applied Science • Engineering/Technology/ Architecture/Design • Bachelor of Vocational Education/ Skill Development • Health and Applied Science • Paramedical /Nursing. • Rehabilitation Science • Sanskrit Sounding Degrees • **Physical Education."**

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 312] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2005—अग्रहायण 25, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-62/2005/38.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य शासन निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 का निम्नलिखित नियमन निर्धारित कर रही है.

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(क) ये नियम "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005" कहे जाएंगे.

(ख) इसका विस्तार समस्त छत्तीसगढ़ राज्य होगा।

(ग) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, सन् 2005)।

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 36 के अंतर्गत स्थापित विनियामक आयोग।

(ग) "उच्च शिक्षा" से अभिप्रेत है, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य।

(घ) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अंतर्गत निगमित निजी विश्वविद्यालय।

(ङ) "नियमन" से अभिप्रेत है, अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नियम।

(च) "प्रायोजक निकाय" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 29 में परिभाषित प्रायोजक निकाय।

(छ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

(ज) "विजिटर" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 38 द्वारा परिभाषित निजी विश्वविद्यालय के विजिटर।

(झ) उपयोग किये गये उन शब्दों या अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है और छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 में परिभाषित है, जैसा कि संदर्भ अपेक्षित करे, वही अर्थ होंगे जैसा कि अधिनियम में दिये गये हैं।

3. स्थापना हेतु आवेदन.

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इच्छुक प्रायोजक निकाय विनियामक आयोग को संलग्न प्रारूप–क में दर्शाएनुसार आवेदन देगा।

(ख) आवेदन पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे जिसे प्रायोजक निकाय के लिखतों को अभिप्रमाणित करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

(ग) आवेदन के साथ रू0 5,000/– (रू0 पॉच हजार) का आवेदन शुल्क क्रास्ड अकाउंट पेयी ड्राफ्ट के माध्यम से भेजना होगा जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम पर होगा तथा जो रायपुर में भुगतान योग्य होगा।

(घ) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन के साथ एक परियोजना प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

(ड.) प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पावती विनियामक आयोग द्वारा दी जावेगी।

4. विन्यास निधि की स्थापना.

(क) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना चाहने वाले प्रायोजक निकाय द्वारा अधिनियम की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आशय पत्र प्राप्त होने के उपरांत विन्यास निधि की स्थापना की जाएगी।

(ख) विन्यास निधि की राशि संलग्नक–ख में दिये गये प्रारूप में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के खाते में प्रायोजक निकाय के हस्ताक्षर से क्रास्ड एकांउट पेयी ड्राफ्ट द्वारा, जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के नाम से होगा तथा जो रायपुर में भुगतान योग्य होगा, जमा की जाएगी। इसकी पावती का प्रमाण पत्र संलग्न प्रारूप–ग में आयोग द्वारा दिया जावेगा।

5. विन्यास निधि का विनियोजन.

(क) निधि की तरलता, उसकी सुरक्षा तथा लाभदायकता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए विनियामक आयोग विन्यास निधि का किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में विनियोजन करेगा।

(ख) विनियोजन से आय की राशि का विनियामक आयोग अपने कार्यों के संचालन के लिए उपयोग कर सकेगा।

6. विन्यास निधि से आय.

(क) तत्समय भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत बैंक खाता में जमा राशियों पर दी जाने वाली ब्याज की दर से विनियामक आयोग, प्रायोजक निकाय को विन्यास निधि की राशि पर ब्याज देगा।

(ख) विन्यास निधि से प्राप्त आय किसी अनुसूचित बैंक में एक संयुक्त बचत खाते में जमा की जावेगी। संयुक्त खाता प्रायोजक निकाय तथा "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा।

(ग) विन्यास निधि की आय का उपयोग ऐसे किसी कार्य में नहीं किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजक निकाय से संबंधित हो। विन्यास निधि से प्राप्त आय का उपयोग निजी विश्वविद्यालय द्वारा मात्र विश्वविद्यालय के विकास कार्यों में ही किया जाएगा।

7. <u>विन्यास निधि का समपहृत किया जाना.</u>

(क) विनियामक आयोग का यह समाधान होने पर कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उसे अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) अथवा/एवं धारा 40 अथवा 41 के प्रावधानों के अंतर्गत सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन करना आवश्यक हो गया है तो इस संबंध में वह संबंधित निजी विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय को पूर्ण विन्यास निधि या उसके एक अंश तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, को अपने लिए समपहृत करने के लिए, अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु, कारण बताओं सूचना जारी करेगा।

(ख) विन्यास निधि को समपहृत करने हेतु जारी किये गये कारण बताओ सूचना का जवाब प्रायोजक निकाय को सूचना प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर देना होगा।

(ग) कारण बताओ सूचना के जवाब की प्राप्ति निर्धारित अवधि के अंदर प्रायोजक निकाय से प्राप्त न होने पर विनियामक आयोग, विन्यास निधि समपहृत करने हेतु आदेश प्राप्त करने की अनुशंसा राज्य शासन को कर सकेगा तथा आदेश प्राप्त हो जाने पर विन्यास निधि समपहृत कर ली जाएगी और समपहृत राशि राज्य के खाते में शीर्ष " 0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; (103) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) – निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियॉ " के अंतर्गत जमा की जाएगी।

8. <u>विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय की वापसी.</u>

(क) यदि प्रायोजक निकाय अपने द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन स्थापित निजी विश्वविद्यालय को किन्हीं कारणों से अथवा ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण में नहीं है स्वयं बंद करना चाहे तो इन परिस्थितियों में प्रायोजक निकाय को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उसके द्वारा स्थापित उस निजी विश्वविद्यालय में भर्ती किया गया कोई भी विद्यार्थी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा। इसके लिए प्रायोजक निकाय को अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम पूरा करने, परीक्षा सम्पन्न कराने तथा उसके आधार पर संबंधित विद्यार्थियों की उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की संपूर्ण योजना भी विनियामक आयोग को प्रस्तुत करना होगा। विनियामक आयोग पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर कि प्रायोजक निकाय ने प्रस्तुत की गई योजना के अनुसार छात्रों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर लिया है, प्रायोजक निकाय से इस आशय का शपथ प्रस्तुत करने को कहेगा कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों तथा अन्य किसी के प्रति कोई देनदारी नहीं है। शपथपत्र प्राप्त होने पर विनियामक आयोग शपथपत्र के तथ्यों का परीक्षण करेगा। इस बात से संतुष्ट होने पर कि शपथपत्र पूरी तरह से सही हैं, विनियामक आयोग विन्यास निधि तथा उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, प्रायोजक निकाय को वापस करेगा।

(ख) विनियामक आयोग प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का परीक्षण करेगा और यदि विनियामक आयोग प्रस्तुत शपथपत्र के तथ्यों से सहमत नहीं है, तो वह वहाँ विन्यास निधि और उससे प्राप्त आय के ऐसे अंश को, जिसे वह उचित समझे, रोक कर रखेगा और उस समय तक वापस नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात से संतुष्ट न हो जावे कि प्रायोजक निकाय की राज्य सरकार, विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के प्रति अब कोई देनदारी नहीं है तथा निजी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम व परीक्षा पूरी करने तथा इनके आधार पर विद्यार्थियों को उपाधि, पत्रोपाधि, प्रमाणपत्र आदि देने की व्यवस्था कर ली गई है।

(ग) परंतु यह भी कि, जहाँ किसी प्रायोजक निकाय ने निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने की मंशा से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अंतर्गत आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् विन्यास निधि की राशि विनियामक आयोग की निधि में जमा की है तथा जहाँ विनियामक आयोग इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव से, वह उन कारणों से सहमत नहीं हो सकता जिन्हें वह लिखित में उल्लेख करेगा और इसलिए इस स्थिति में नहीं है कि राज्य सरकार को यह सलाह दे कि अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये तो विनियामक आयोग विन्यास निधि की राशि प्रायोजक निकाय को उस पर प्राप्त आय, यदि कोई हो, के सहित वापस करेगा।

9. <u>शुल्क जमा करने की प्रक्रिया.</u>

(क) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से एकत्रित किये शुल्क का वह अंश जो विनियामक आयोग के पास अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अंतर्गत देय होगा, क्रॉस्ड एकाउण्टपेयी बैंक ड्रॉफ्ट/बैंकर चेक, जो कि "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से होगा तथा रायपुर में भुगतान योग्य होगा, संलग्न प्रारूप–घ में दर्शाये अनुसार किया जायेगा।

(ख) विनियामक आयोग निजी विश्वविद्यालयों द्वारा जमा की गई राशि 15 दिन के अंदर राज्य के कोषालय में शीर्ष "0202 – शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति; (103) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा; (0883) – निजी विश्वविद्यालय से प्राप्तियाँ" के अंतर्गत जमा करेगा जिसका विवरण संलग्न प्रारूप–ड. में दर्शाये अनुसार रखा जावेगा और इसकी एक प्रतिलिपि प्रायोजक निकाय को भेजी जाएगी।

(ग) इन नियमों के प्रावधानों के तहत निजी विश्वविद्यालयों से एकत्रित किया गया और शासकीय कोषालय में जमा किये शुल्क, तथा दंडात्मक ब्याज यदि कोई हो, जो लगाया गया हो और शासकीय कोषालय में जमा किया गया हो तो इस संबंध का जरूरी विवरण हर वित्तीय वर्ष में विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा । संलग्नक-च में दर्शाये अनुसार दण्डात्मक ब्याज की जानकारी रखी जावेगी।

10. <u>विनियामक आयोग की स्थापना.</u>

(क) राज्य में कार्यरत "छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" का उत्तराधिकारी "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" होगा तथा अधिनियमों एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा।

(ख) "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" का मुख्यालय रायपुर होगा।

11. विनियामक आयोग के कृत्य.

(क) विनियामक आयोग उन समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (8) में उल्लिखित है तथा ऐसे अन्य कृत्य भी जिन्हें वह अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझता है।

(ख) निजी विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र की उच्च शिक्षा संस्थाओं से संबंधित अन्य ऐसे विषय जो राज्य शासन द्वारा संदर्भित किया जावें।

12. विनियम बनाने की शक्तियॉं.

(क) आयोग अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन तथा प्रशासन और प्रबंध की प्रक्रिया विनियमन के रूप में निर्धारित करेगा।

(ख) जब तक इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमन नहीं बन जाते, विनियामक आयोग अपने प्रशासन और प्रबंध के लिए छत्तीसगढ़ शासन का, यथावश्यक परिवर्तन सहित, नियम अपना सकेगा या ऐसी व्यवस्था कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

13. कुलाध्यक्ष का सामान्य नियंत्रण.

(क) विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(ख) विनियामक आयोग के सामान्य नियंत्रण के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिए कुलाध्यक्ष विनियामक आयोग के क्रियाकलापों से संबंधित कोई भी कागज–पत्र या जानकारी मंगा सकेगा और ऐसा करने के कारण लिखित में अंकित किये जायेंगे तथा इस आधार पर लिखित में विनियामक आयोग को ऐसे निर्देश दिये जा सकेंगे ।

(ग) कुलाध्यक्ष ऐसा कोई निर्देश देने के पहले चाहे तो आयोग से विषय पर उसके विचार प्राप्त कर सकेगा तथा यदि वो चाहेगा तो किसी विषय पर निर्देश देने के पहले विनियामक आयोग से प्रकरण व्यक्तिशः प्रस्तुत करने के लिए भी कह सकेगा।

14. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवाओं का निबंधन तथा शर्तें.

(1)(क) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति 3 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

(ख) कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण कर चुका है, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में आगे एक और अवधि की नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(ग) कोई ऐसा व्यक्ति जो अधिनियम की व्यवस्था के तहत स्थापित निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं या छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित किसी निजी विश्वविद्यालय में पद धारण किया था या किये हैं, वह अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के पश्चात् पद पर नहीं रह सकेगा।

(3) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य कुलाध्यक्ष को संबोधित किये गये अपने हस्ताक्षरयुक्त लिखित पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा तथा वह उस त्याग पत्र की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग को पृष्ठांकित करेगा।

(4) यदि किसी समय किसी ज्ञापन के आधार पर या अन्यथा कारणों से कुलाध्यक्ष को यह प्रतीत होता है कि अध्यक्ष अथवा सदस्य द्वारा –

(क) अधिनियम के अंतर्गत उसको सौंपे गये कर्त्तव्यों के निवर्हन में चूक हुई है, या;
(ख) विनियामक आयोग के हितों के विपरीत पूर्वाग्रह से कार्य किया गया है, या;
(ग) विनियामक आयोग के कार्यों का प्रबंधन करने में अक्षम है, तो कुलाध्यक्ष यह मानते हुए भी कि उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई है, लिखित आदेश द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए, अध्यक्ष/सदस्य को पदमुक्त होने के लिए उस दिनांक से जैसा कि आदेश में उल्लेख हो, आदेशित कर सकता है।

(5) उप धारा (4) में उल्लिखित दिनांक से अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने कार्यभार से मुक्त माने जाएंगे और अध्यक्ष या सदस्य का कार्यालय रिक्त मान लिया जाएगा।

(6) यदि अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य या अंशकालिक सदस्य का पद मृत्यु के कारण, त्याग पत्र के कारण या अन्यथा भी आकस्मिक रूप से रिक्त होता है, तो नई नियुक्तियों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावेगी।

शिक्षा विभाग, कुलाध्यक्ष से सम्पर्क करके, किसी पूर्णकालिक सदस्य को अध्यक्ष के कार्यालय की आकस्मिक रिक्तता को भरने के लिये नियुक्त कर सकेगा जो दो माह से अधिक समय के लिये नहीं होगा।

(7) अध्यक्ष के छुट्टी पर रहने के कारण या उसकी रूग्णता के कारण या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों का पद पूर्णकालिक एवं वैतनिक होगा ।

(9) पूर्णकालिक सदस्य ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो समय–समय पर उन्हें अध्यक्ष द्वारा सौंपे जायेंगे ।

(10) अध्यक्ष को समग्र रूप से रूपये 25,000/– प्रतिमाह का वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान (ग्रेच्युटी) की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।

परंतु यदि अध्यक्ष को कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है तो उसे प्रतिमाह रूपये 25,000/– वेतन तथा उस पर छत्तीसगढ़ राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को समय–समय पर देय महँगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(11) अध्यक्ष को विनियामक आयोग के मुख्यालय में निःशुल्क साज–सज्जा युक्त आवास की पात्रता होगी, जिसका रख–रखाव राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।

(12) अध्यक्ष को एक कार, एक ड्राइवर तथा कार्यालय में एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित दूरभाष उपलब्ध कराए जावेंगे।

(13) पूर्णकालिक सदस्यों को समग्र रूप से रूपये 18,400/– प्रतिमाह वेतन, पेंशन तथा पेंशन के बराबर उपादान की पात्रता होते हुए भी प्राप्त होगा।

यदि किसी सदस्य को पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो तो उसे प्रतिमाह रूपये 18,400/– वेतन तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/कर्मचारी को देय समय–समय पर मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते की पात्रता होगी।

(14) पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को तत्समय दिये जाने वाले दर से मकान भाड़ा भत्ता की पात्रता होगी और इसके साथ ही उनके कार्यालय एवं निवास पर एस.टी.डी. सुविधा सहित टेलिफोन की पात्रता होगी।

(15) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश तथा 1 माह के अर्जित अवकाश/मेडिकल अवकाश की पात्रता होगी। अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों के अवकाश का लेखा विनियामक आयोग के कार्यालय में रखा जायेगा।

(16) आयोग अथवा शासन के कार्यो से यात्रा के दौरान राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को देय यात्रा एवं दैनिक भत्ते की दर से इन भत्तों की पात्रता अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को होगी। इसके साथ वे तीन सितारा तंक के होटल में रह सकेंगे जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(17) राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय मेडिकल सुविधाएँ या उसके बदले में मेडिक्लेम, जैसा कि शिक्षा विभाग तय करे, पात्रता अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्यों को होगी।

(18) अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्यों को आयोग से सेवानिवृत्ति संबंधी सुविधाएँ, प्राप्त नहीं होंगी जैसे पेंशन, उपादान या दोनों।

(19) अंशकालिक सदस्यों को रूपये 1,000/– प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क तथा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को देय दर से यात्रा भत्ते की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त कर्त्तव्य पर व्यतीत अवधि के लिए तीन सितारा तक के होटल में रूकने के व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

15. <u>आयोग का सम्मिलन.</u>

(क) आयोग ऐसे समय तथा स्थान पर सम्मिलन करेगा, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा तय किया जावेगा।

(ख) आयोग के सम्मिलनों में अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में आयोग के वरिष्ठतम् पूर्णकालिक सदस्य अध्यक्षता करेंगे।

(ग) आयोग के किसी सम्मिलन में विचारार्थ सभी प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर होगा।

परंतु यदि कोई भी सदस्य नहीं नियुक्त हुआ है तो अध्यक्ष प्रश्नों पर निर्णय सकारण जारी किये गये आदेश/संकल्पों द्वारा लेगा।

परंतु यह और भी कि यदि बैठक में अध्यक्ष और केवल एक सदस्य उपस्थित हों तो प्रश्नों पर निर्णय सकारण आदेश/संकल्प जारी करके अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्य का मत रिकार्ड करते हुए लिया जायेगा।

(घ) विनियामक आयोग की बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी पूर्णकालिक सदस्य या आयोग के अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा। कार्यवृत्त का अभिप्रमाणीकरण अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें विनियामक आयोग के स्थायी रिकार्ड के रूप में रखा जायेगा।

16. <u>रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना.</u>

आयोग की कोई भी कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि :–

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या
(ख) आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या
(ग) आयोग की कार्यवाही में कोई अनियमितता है;

किंतु जो कि प्रकरण की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है।

17. <u>विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों की अस्थायी सहयुक्ति.</u>

(क) आयोग किसी भी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए चाहता है, वह अपने साथ सहयुक्त कर सकेगा।

(ख) आयोग द्वारा उसके साथ उपनियम (1) के अधीन किसी भी प्रयोजन के लिए सहयुक्त किये गये व्यक्ति को उस प्रयोजन से संगत चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, किंतु उसे आयोग के सम्मिलन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

(ग) नियम 17 के अंतर्गत आयोग के साथ सहयुक्त किये गये व्यक्ति को रूपये 500/– प्रतिदिन की दर से बैठक शुल्क एवं छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों को तत्समय देय यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

18. <u>विनियामक आयोग के आदेशों तथा अन्य लिखितों का अभिप्रमाणीकरण.</u>

आयोग के समस्त आदेशों तथा विनिश्चय, सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किये जावेंगे और इस कार्य के लिए सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जावेगा और आयोग द्वारा जारी किये गये समस्त निर्णयों या अन्य लिखितों को सचिव या सचिव की नियुक्ति होते तक अध्यक्ष या अयोग के किसी अन्य व्यक्ति, जिसे इस संबंध में उसी रीति में प्राधिकृत किया गया है, अभिप्रमाणित किया जावेगा।

19. आयोग को संदाय.

छत्तीसगढ़ शासन, राज्य विधानसभा द्वारा सम्यक विनियोग के पश्चात्, आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी राशि का जो कि अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझा जाये, संदाय करेगा।

20. विनियामक आयोग की निधि .

(क) विनियामक आयोग की अपनी स्वयं की निधि होगी और ऐसी समस्त राशियाँ जिनका समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा उसे संदाय किया जाये तथा आयोग की समस्त प्राप्तियाँ (जिनमें विन्यास निधि, अतिरिक्त निधि तथा कोई भी ऐसी राशि सम्मिलित होगी जो किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा आयोग को सौंपी जाये) निधि में रखी जायेगी तथा आयोग द्वारा समस्त संदाय उसी में से किया जायेगा ।

(ख) निधि का समस्त धन किसी अनुसूचित बैंक, जैसा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) में परिभाषित किया गया है, में जमा किया जायेगा।

(ग) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए ऐसी राशियाँ, जो कि वह उचित समझे व्यय कर सकेगा, और ऐसी राशियों को विनियामक आयोग की निधि से चर्ख की जाने वाली मानी जावेंगी।

21. बजट.

आयोग प्रतिवर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि वह तय करे, आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगा जिसमें प्राक्कलित प्राप्तियाँ तथा व्यय दर्शाये जायेंगे और उसकी प्रतिलिपियाँ उच्च शिक्षा विभाग को इस आशय से अग्रेषित की जायेंगी कि वह राज्य विधानसभा द्वारा इस संबंध में किये गये सम्यक विनियोग के पश्चात् आयोग को राशियों का संदाय कर सके, जैसा कि ऊपर नियम 19 में उल्लिखित है।

22. वार्षिक रिपोर्ट.

आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार, ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर जैसा कि आयोग द्वारा तय किया जाये, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पिछले वर्ष के दौरान के उसके क्रियाकलापों का सही तथा पूर्ण लेखा–जोखा दिया जायेगा तथा उसकी प्रतिलिपि उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित की जायेगी । उच्च शिक्षा विभाग उसे राज्य विधानसभा के समक्ष रखवायेगा।

23. लेखा तथा सम्परीक्षा.

(क) विनियामक आयोग अपने लेखा के संबंध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य पुस्तकें ऐसे प्रारूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा कि उसके द्वारा तय किया जाये, रखवायेगा।

(ख) विनियामक आयोग अपनी वार्षिक लेखाओं को बंद करने के पश्चात्, यथाशीघ्र लेखाओं का विवरण ऐसे प्रारूप तथा ऐसी तारीख तक तैयार करेगा, जैसा कि आयोग तय करे।

(ग) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा चार्टर्ड अकांउटेंट द्वारा वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरंत बाद की जायेगी।

(घ) विनियामक आयोग की वार्षिक लेखा, जैसा कि चार्टर्ड अकांउन्टेंट द्वारा प्रमाणित किया गया है, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित किया जायेगा तथा उच्च शिक्षा विभाग उन्हें राज्य विधानसभा के समक्ष रखवायेगा।

24. विनियामक आयोग के कर्मचारीवृंद, आवास और अन्य सुविधाएँ.

(क) विनियामक आयोग उतने कर्मचारी जितने कि अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हो, प्रतिनियुक्ति पर या अन्य तरीके से नियुक्त करेगा।

(ख) विनियामक आयोग अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए आवास साज–सज्जा और ऐसी अन्य सुविधाएं प्राप्त करेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे।

25. नियमों का शिथिलीकरण (Relaxation of Rules).

इन नियमों द्वारा जिन प्रकरणों का समाधान न हो सकता हो उन प्रकरणों पर विनियामक आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ऐसा निर्णय ले सकेगा जो साम्य के सिद्धांत (Principle of Equity) द्वारा समर्थित है।

26. नियम विधानसभा के पटल पर रखा जाना.

ये नियम विधानसभा के पटल पर रखे जायेंगे।

27. निरसन एवं व्यावृति.

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय नियम 2004 एवं इस नियम के प्रभावशील होने के ठीक पहले तक यदि कोई आदेश, संकल्प प्रभावी हो, तो जैसी भी स्थिति हो, वे इसके उपरांत विखंडित या निरस्त माने जावेंगे।

परंतु इन निरस्त नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों द्वारा किया गया या की गई कार्यवाही समझी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप–सचिव.

संलग्नक – क

छत्तीसगढ़ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए आवेदन का प्रारूप

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत

[देखें नियम 3 से 6]

प्रति,

अध्यक्ष,
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर, (छ0ग0)

(1)	प्रायोजक निकाय का विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	पिन कोड क्रमांक	
	(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
	(ड.)	फैक्स क्रमांक	
	(च)	ई–मेल	
(2)	प्रायोजक निकाय के पंजीकरण एवं उसके संविधान तथा उपविधियों संबंधी विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
	(क)	प्रायोजक निकाय छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973 के अंतर्गत पंजीकृत है; या	
	(ख)	यह कोई सार्वजनिक न्यास है; या	
	(ग)	क्या कंपनी अधिनियम 1956 (सन् 1956 का क्रमांक–1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी है.	
	(घ)	क्या प्रायोजक निकाय एक ऐसा निकाय है जो उक्त (क), (ख), (ग) की व्यवस्था अनुसार पंजीकृत नहीं है किन्तु तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीकृत है ? यदि हॉ तो उस अधिनियम की जानकारी जिसके अंतर्गत पंजीकृत है.	
	(ड.)	पंजीकरण की प्रामाणिक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें.	
	(च)	संविधान तथा उपविधियों की प्रति संलग्न करें.	

(3)	प्रायोजक निकाय के विगत् 03 वर्षो के अंकेक्षण प्रतिवेदन की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(4)	प्रायोजक निकाय के वित्तीय संसाधन की विस्तृत जानकारी . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(5)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(6)	उस स्थान का पूरा पता जहाँ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(7)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उद्देश्य . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(8)	क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय, भारतीय संविधान की धारा 30 के प्रावधानों के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे की मांग करेगा, यदि हॉ, तो उसका विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(9)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.	
	(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर सीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है.	

(10)	**प्रस्तावित विश्वविद्यालय के उपयोग के लिए आवश्यक भूमि की जानकारी .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	आवेदन की तिथि में विश्वविद्यालय के पूर्ण उपयोग के लिए यदि कोई भूमि उपलब्ध है तो उसका विवरण.	
	(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
	(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
	(3)	भूमि का नक्शा.	
	(ख)	आशय पत्र प्राप्त होने के पश्चात् प्राप्त की जाने वाली भूमि संबंधी जानकारी.	
	(1)	भूमि का स्वामित्व (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
	(2)	भूमि का क्षेत्रफल.	
	(3)	भूमि का नक्शा.	
	(4)	भूमि किससे प्राप्त की जायेगी.	
	(5)	भूमि प्राप्त करने हेतु वित्त व्यवस्था.	
(11)	**विश्वविद्यालय प्रारंभ होने के पहले परिसर विकास का विस्तृत ब्यौरा .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसंरचनात्मक सुविधाएँ .	
	(ख)	उपकरणों को प्राप्त करने हेतु योजना	
	(ग)	आगामी पॉच वर्षों हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप–रेखा.	
(12)	**पूँजीगत व्यय का आगामी पॉच वर्षों के लिए चरणबद्ध विवरण तथा वित्त व्यवस्था के स्रोत .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(13)	**संकायों की प्रकृति (नाम) .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	संकायों का नाम यथा : विज्ञान, कला, वाणिज्य, तकनीकी शिक्षा आदि .	
	(ख)	प्रत्येक संकाय के अंतर्गत पाठ्यक्रमों के प्रकार यथा : स्नातक, स्नातकोत्तर आदि .	

	(ग)	प्रत्येक पाठ्यक्रम की राज्य के विकास के संदर्भ में प्रासंगिकता .	
	(घ)	प्रत्येक पाठ्क्रम में छात्रों की लक्षित संख्या .	
	(ड.)	पाठ्यक्रमों के लिए अगले 05 वर्षों हेतु चरणबद्ध प्रस्तावित कार्यक्रम .	
	(च)	प्रत्येक पाठ्यक्रम के संबंध में यह जानकारी की क्या इसे प्रारंभ करने के लिये केन्द्रीय नियामक अभिकरण अथवा/और राज्य नियामक अभिकरण की पूर्व अनुमति आवश्यक है ? यदि हॉ तो उसके संबंध में जानकारी, यदि पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गयी है तो प्राप्त न करने का विस्तृत विवरण, इस विवरण में यह भी स्पष्ट किया जाए कि केन्द्र/राज्य सरकार के किस अधिनियम/आदेश के तहत पूर्व अनुमति आवश्यक है.	
(14)	**प्रायोजक निकाय की संबंधित विधाओं में उपलब्ध (यदि कोई हो) पूर्व अनुभव तथा विशेषज्ञता .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(15)	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों एवं शोध हेतु आवश्यक अकादमिक सुविधाओं की उपलब्धता .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	अध्यापक.	
	(ख)	तकनीकी/गैर–तकनीकी कर्मचारी.	
	(ग)	उपकरण एवं प्रयोगशाला.	
(16)	**प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रमों पर अलग–अलग व्यय का विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	आवर्ती व्यय का अनुमान.	
	(ख)	उपलब्ध वित्त स्रोत.	
	(ग)	अनुमानित व्यय प्रति विद्यार्थी,	
(17)	**संसाधनों को गतिमान करने की योजना हेतु .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	पूँजी की लागत.	
	(ख)	स्त्रोतों के भुगतान की प्रक्रिया.	

(18)	**विभिन्न आंतरिक स्त्रोतों से प्रत्याशित आय से कोष निर्माण की योजना .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
	(क)	छात्र शुल्क द्वारा.	
	(ख)	परामर्श सेवा द्वारा.	
	(ग)	विश्वविद्यालय के उद्देश्यों से संबंधित अन्य गतिविधियों द्वारा.	
(19)	**प्रस्तावित पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित शुल्क ढाँचा, रियायत एवं छात्रवृत्ति .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
	(क)	सामान्य वर्ग हेतु.	
	(ख)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु.	
	(ग)	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु	
(20)	**पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रस्तावित प्रक्रिया .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
(21)	**अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रक्रिया .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
(22)	**शिक्षा प्रदाय की विधि .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
	(क)	परम्परागत शिक्षा पद्धति.	
	(ख)	दूरवर्ती शिक्षा पद्धति.	
	(ग)	उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार की शिक्षा पद्धति	
(23)	**यदि दूरवर्ती शिक्षा प्रस्तावित हो तो प्रस्तावित केन्द्रों के नाम तथा विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		
(24)	**स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरण .** (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में हैं)		

(25)	कृषक, महिलाओं तथा विशेष रूप से इस राज्य में स्थित उद्योगों के लाभ हेतु चलाये जाने वाले कार्यक्रम . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(26)	उपलब्ध या/प्रस्तावित अन्य सुविधाएँ .		
	(क)	छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता.	
	(ख)	खेल मैदान.	
	(ग)	राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काऊट एवं गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि.	
(27)	छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रस्तावित दूर परिसर केन्द्र/अध्ययन केन्द्र का विवरण . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(28)	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता एवं औचित्य . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(29)	यदि प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी जिसमें स्थापना की अधिसूचना क्रमॉक व दिनांक तथा पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 का क्रमॉक दर्शाएं । इसके साथ यह भी दर्शाएं कि क्या विन्यास निधि अथवा/अतिरिक्त निधि जमा की गई है या जमा है ? यदि हॉ, तो इसके संबंध में सप्रमाण सम्पूर्ण जानकारी . (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
(30)	आवेदन शुल्क की जानकारी (बतायें) :– (विस्तृत जानकारी परियोजना प्रतिवेदन की कंडिका .....में है)		
	(क)	रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि.	
	(ख)	उस बैंक का नाम जिसने डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी किया है.	
	(ग)	डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक.	
	(घ)	डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजक निकाय का तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम दें.	

उपरोक्तानुसार .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से .....
(प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना

एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार एतद् द्वारा आवेदन प्रस्तुत है। इस आवेदन के प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विवरण परियोजना प्रतिवेदन में दिया गया है। प्रत्येक बिन्दु के आगे दर्शायी परियोजना प्रतिवेदन की संदर्भित कंडिका/कंडिकाओं में विस्तृत जानकारी देखी जा सकती है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

(क) मुझे .....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि .....(प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा (संकल्प की प्रति संलग्न की जाये) ।

स्थान : .....
दिनांक: .....

हस्ताक्षर .....
नाम एवं पदनाम .....
प्रायोजक निकाय का नाम.....

संलग्नकों की सूची :

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :–

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शी टीप :–

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये आवेदन देने से पहले छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) में दिये गये प्रावधानों को सावधानीपूर्वक पढ़ लेवें।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, 29/776, प्लाट नं.–5, ब्लॉक नं.–3, राम मंदिर के सामने, मधुपिल्लै चौक, शांति नगर, रायपुर, पिनकोड – 492007 में रूपए 500/– (रू0 पॉच सौ मात्र) का क्रास्ड अकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट, जो कि "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम से हो तथा रायपुर में भुगतान योग्य हो जमा कर व्यक्तिशः या ऐसा ही रूपया 550/– (रू0 पॉच सौ पचास) का ड्राफ्ट भेजकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के आवेदन का प्रारूप अधिनियम तथा नियमों की प्रति डाक द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

(3) प्रायोजक निकाय या उनका प्रतिनिधि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में विनियामक आयोग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। मार्गदर्शक सत्र पहले से समय निर्धारित कराने पर ही आयोजित किया जा सकेगा।

* * * * * *

संलग्नक–ख

विन्यास निधि की स्थापना के लिए आवेदन

प्रति,

अध्यक्ष
छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर, (छ0ग0)

(1)	प्रायोजक निकाय का विवरण .		
	(क)	नाम	
	(ख)	पता	
	(ग)	पिन कोड क्रमांक	
	(घ)	दूरभाष क्रमांक (एस.टी.डी. कोड सहित)	
	(ड.)	फैक्स क्रमांक	
	(च)	ई–मेल	
(2)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम .		
(3)	उस स्थान का पूरा पता जहॉ प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रहेगा .		
(4)	विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का स्थानन, यदि सामान्य क्षेत्र से अलग हो .		
	(क)	प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर क्या किसी अनुसूचित क्षेत्र में रहेगा ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करें कि प्रस्तावित स्थानन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है.	
	(ख)	क्या विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर रायपुर नगर सीमा के अधीन स्थापित करना प्रस्तावित है ? यदि हॉ तो सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित स्थानन रायपुर नगर निगम सीमा के अधीन है.	
(5)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि का विवरण (बताए)*		

	(क)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का नाम.	
	(ख)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के प्रायोजक निकाय का नाम.	
	(ग)	अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था.	
	(घ)	पूर्व अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 1 में पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का क्रमांक.	
	(ड.)	क्या पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित था ?	
	(च)	पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय के विन्यास निधि की राशि जो विनियामक आयोग के पास जमा है (बैंक की पे–इन–स्लीप) की फोटो प्रति लगाकर प्रमाण दें.	
	(छ)	अधिनियम की धारा 11 के उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परंतुक में प्रावधानित अनुसार विन्यास निधि की वह शुद्ध राशि जो प्रायोजक निकाय द्वारा पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय की विन्यास निधि को समायोजित कर जमा करना प्रस्तावित है.	
(6)	विन्यास निधि का विवरण (बताए) .		
	(क)	विन्यास निधि की राशि	
	(ख)	बैंक ड्राफ्ट नं. तथा पूर्ण विवरण जिसमें बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, ब्रांच का नं., ब्रांच का कोड उस बैंक का शामिल हो जिसनें बैंक ड्राफ्ट जारी किया हो.	
	(ग)	बैंक ड्राफ्ट जारी करने का दिनांक.	
	(घ)	उस व्यक्ति का नाम तथा पदनाम जिसनें प्रायोजक निकाय की ओर से विन्यास निधि की राशि जमा की है.	
	(ड.)	बैंक ड्राफ्ट के पीछे प्रायोजक निकाय तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम लिखें.	

* यह जानकारी केवल उन प्रायोजक निकायों को देना है जिन्होंने पूर्ववर्ती विश्वविद्यालय स्थापित किये थे अन्य प्रायोजक निकाय यहॉ निरंक जानकारी देवें.

(7)	**विन्यास निधि से प्राप्त आय जमा करने के लिये बचत खाता खोलने का प्रमाण .**		
	(क)	उस अनुसूचित बैंक का नाम, उसके शाखा का नाम सहित जिसमें बचत खाता खोला गया है.	
	(ख)	वह राशि जिससे बचत बैंक खाता खोला गया है। बैंक द्वारा जारी पे–इन–स्लीप संलग्न करें.	
	(ग)	उस व्यक्ति का नाम एवं पदनाम जो कि प्रायोजक निकाय की ओर से बचत खाते का संचालन करेगा.	
	(घ)	बचत बैंक खाता क्रमांक एवं इस खाते की स्थापना का दिनांक.	
(8)	**आशय पत्र का विवरण (बताए) .**		
	(क)	जारी करने का क्रमांक और दिनांक.	
	(ख)	प्रायोजक निकाय को प्राप्त होने का दिनांक.	
	(ग)	आशय पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें.	
(9)	**विन्यास निधि की स्थापना के संदर्भ में अन्य कोई जानकारी जो प्रायोजक निकाय देना चाहे या कोई आवेदन जो इस संदर्भ में प्रायोजक निकाय करना चाहे .**		

उपरोक्तानुसार .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से ..... (प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) की विन्यास निधि की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) के प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :–

(क) मुझे .....(हस्ताक्षरकर्ता का नाम) को .....(प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से विन्यास निधि की स्थापना हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि .....(प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम) के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करेगा तथा रूपया (अंकों में) ..... रूपया (शब्दों में) ..... विन्यास निधि के रूप में जमा करेगा तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक – 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालयों के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाये गयें नियमों एवं प्रावधानों का पालन किया जायेगा और यह भी संकल्प किया है कि छत्तीसगढ़ निजी

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

स्थान : .....
दिनांक: .....

हस्ताक्षर .....
नाम एवं पदनाम .....
प्रायोजक निकाय का नाम.....

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :-

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

संलग्नक–ग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर.

दूरभाष क्र.	
फैक्स, क्र.	
ई–मेल	
दिनांक	

क्र.

विषयः– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के खाते में जमा "विन्यास निधि" के लिए प्रमाण पत्र।

संदर्भः– छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना तथा संचालन अधिनियम) 2005 की धारा 11(1) देखें।

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आशय पत्र का संदर्भ	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का क्षेत्र (सामान्य/अधिसूचित क्षेत्र)	राशि	जमा किये गये डिमांड ड्राफ्ट का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

प्रायोजक निकाय का नाम (पद मुद्रा सहित)

संलग्नक–घ

एकत्रित किये गये शुल्क का विवरण जो विनियामक आयोग को भेजा गया

विश्वविद्यालय का नाम			
पिनकोड सहित पता			
दूरभाष क्रमांक एस.टी.डी. कोड नम्बर सहित		फैक्स नं.	
		ई–मेल	
विवरण क्रमांक .....वर्ष			

उस माह का नाम, जिसके लिए शुल्क एकत्रित किया गया है .....

स.क्र.	परिसर/अध्ययन केन्द्र का नाम	परिसर/अध्ययन केन्द्र का पता	पाठ्यक्रम का नाम	नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	प्रतिमाह शुल्क की दर	कुल एकत्रित शुल्क	कॉलम 7 में दर्शाये कुल शुल्क का 1 %	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

कॉलम–7 का योग : रूपए .....(अंकों में) रूपये.....(शब्दों में)
कॉलम–8 का योग : रूपए .....(अंकों में) रूपये.....(शब्दों में)

(1) उस बैंक का तथा उसकी शाखा का नाम, जिसके द्वारा डिमांड ड्राफ्ट जारी किया गया.....
(2) डिमाण्ड ड्रॉफ्ट क्रमांक .....
(3) डिमाण्ड ड्रॉफ्ट जारी करने की तारीख .....

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विवरण में दी गई शुल्क एकत्रित करने की जानकारी हमारे द्वारा जॉच ली गई है तथा सही है।

दिनांक .....

कुलसचिव

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

मार्गदर्शी टीप :

(1) कॉलम क्रमांक – 4 : उस पाठ्यक्रम का उल्लेख करें, जिसके लिए शुल्क विद्यार्थियों से एकत्रित किया गया है।

(2) कॉलम क्रमांक – 6 : "शुल्क" से अभिप्रेत है निजी विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से लिया जाने वाला शुल्क जो किसी भी नाम से परंतु वापसी योग्य नहीं है।

संलग्नक–ड.

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

	दूरभाष क्रमांक	
	फैक्स क्रमांक	
	ई–मेल	
क्रमांक	दिनांक	

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया शुल्क का विवरण।
संदर्भ : छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, 2005) की धारा – 12 देखें।

कोषालय में जमा की गई शुल्क की राशि का विवरण

सं. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	वह माह जिसमें शुल्क एकत्रित की गई	विवरण क्रमांक तथा वर्ष	राशि	विविध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

कॉलम–5 का योग : रूपए .....(अंकों में) रूपये.....(शब्दों में)

(1) Payee का नाम : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर .....
(2) वह मद, जिसके अंतर्गत राज्य की संचित निधि में जमा की गई है .....
(3) कोषालय का नाम जिसमें राशि जमा की गई है .....
(4) Account Payee चेक का क्रमांक .....
(5) चेक जारी करने का दिनांक .....
(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया है .....
(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किये हैं .....

(1) हस्ताक्षर .....(2) हस्ताक्षर .....
पदनाम ..... पदनाम .....

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

मार्गदर्शी टीप :

(i) कॉलम क्रमांक – 4 : प्रत्येक माह में एकत्रित किये गये शुल्क और उसे विनियामक आयोग को भेजने संबंधी विवरण प्रारूप – तीन में है। प्रारूप – 3 में भेजे जाने वाले विवरण को संबंधित निजी विश्वविद्यालय क्रमांक देगा । निजी विश्वविद्यालय इसमें वर्ष भी लिखेगा। यह विवरण क्रमांक तथा वर्ष इस कॉलम में विनियामक आयोग के कार्यालय द्वारा अंकित किया जायेगा।

624 (24) छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर

दूरभाष क्रमांक	
फैक्स क्रमांक	
ई–मेल	
दिनांक	

क्रमांक

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया दंडात्मक ब्याज का विवरण।
संदर्भ : छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13, 2005) की धारा – 12 देखें।

स. क्र.	विश्वविद्यालय का नाम	विनियामक आयोग का संकल्प क्रमांक जिसके द्वारा दंडात्मक ब्याज लगाने और एकत्रित करने के लिए अधिकृत किया गया है	राशि	विवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

कॉलम–4 का योग : रूपए .....(अंकों में) रूपये .....(शब्दों में)

(1) Payee का नाम : छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर .....
(2) वह मद, जिसके अंतर्गत राज्य की संचित निधि में जमा की गई है .....
(3) कोषालय का नाम जिसमें राशि जमा की गई है .....
(4) Account Payee चेक का क्रमांक .....
(5) चेक जारी करने का दिनांक .....
(6) बैंक का नाम जिस पर चेक आहरित किया गया है .....
(7) विनियामक आयोग के उस अधिकारी का नाम एवं पदनाम जिसने चेक पर हस्ताक्षर किये हैं .....

(1) हस्ताक्षर .....(2) हस्ताक्षर .....
पदनाम ..... पदनाम .....

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्र. एफ 3-62/2005/38.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-62/2005/38 दिनांक 16-12-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. डी. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 16th December 2005

NOTIFICATION

No. F 3-62/2005/38.—In exercise of powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government hereby makes the following Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005.

1.Short title and Commencement:- (a) These rules may be called "Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation), Rules, 2005.

(b) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(c) It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette.

2.Definitions:- (a) "Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005);

(b) "Commission" means the Regulatory Commission established under section 36 of the Act;

(c) "Higher Education" means the Higher Education Department, State of Chhattisgarh;

(d) "Private University" means the Private Universities incorporated under the Act;

(e) "Regulation" means the regulation made under the provisions of the Act;

(f) "Sponsoring Body" means the sponsoring body as defined in clause 29 of section 2 of the Act;

(g) "State" means the State of Chhattisgarh;

(h) "Visitor" means the visitor of the private universities as defined in clause 38 of Section 2 of the Act.

"Words and Expression" used but not defined in these rules and defined in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation Act, 2005, as the context requires, have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Application for Establishment:- (a) Sponsoring body intending to establish a private university shall submit the application for establishment of the private university in prescribed form shown in Annexure "A" to the Regulatory Commission.

(b) Application shall be signed by the person authorized to authenticate instruments on behalf of the Sponsoring Body.

(c) Application fee of Rs.5000/- (Rs:five thousand only) shall be sent alongwith application through a crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur.

(d) Application for the establishment of the Private University shall be accompanied by a Project Report.

(e) Application submitted by the sponsoring body shall be duly acknowledged by the Regulatory Commission.

4. Establishment of Endowment Fund:-(a) Sponsoring Body intending to establish a Private University shall establish an Endowment Fund after receiving the Letter of intent as provided under sub-section (2) of Section 6 of the Act in accordance with the provision of Section 11 of the Act.

(b) The Endowment fund shall be deposited in the fund of the Regulatory Commission under the signature of Sponsoring Body through crossed account payee draft in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in form shown in Annexure "B" & shall be issued a certificate of receipt by the Commission in form shown in Annexure "C".

5. Investment of Endowment Fund:- (a) The Regulatory Commission shall invest the Endowment Fund in the form of Fixed Deposit in some Scheduled Bank, keeping in view of the various parameters for ensuing liquidity, security and profitability of the funds.

(b) Proceeds from the investment shall be utilised by the Commission for performing its function.

6. Income from Endowment Fund:- (a) The Regulatory Commission shall pay to the Sponsoring Body interest on the amount of the Endowment Fund at the rate at which the State Bank of India pay the interest, during the period under consideration, on the savings Bank Account.

(b) Income from the Endowment fund shall be deposited in a Joint Savings Bank Account opened in a Scheduled Commercial Bank. Joint Account will be in the name of the Sponsoring Body and "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission."

(c) Income from the Endowment Fund shall not be invested in any business connected directly or indirectly with the Sponsoring Body. This Income shall be used only for the development of the University

7. Forfeiture of Endowment Fund :- (a) If Commission is satisfied that such a situation has arisen that it has to discharge its responsibility according to provisions of Sub- section 2 of Section 11 or/ and Sections 40 or 41 of the Act, it shall issue a showcause notice to the Sponsoring Body of the concerned Private University for forfeiture of a part or whole of the Endowment Fund alongwith the income on this Endowment Fund, if any, for implementing the provisions of sub-section (2) of Section 11 of the Act.

(b) Sponsoring Body shall reply the showcause notice for forfeiture of the Endowment Fund within 45 days of its receipt.

(c) After receipt of notice if Sponsoring Body fails to reply within stipulated period, Commission may recommend to the State Government for permission to forfeit the Endowment Fund and after obtaining permission Endowment Fund shall be forfeited and credited in the Government Account under the Head "0202- Education, Sports, Art and Culture (103)- University and Higher Education, (0883).

8. Refund of Endowment Fund and its Income:- (a) If the Sponsoring Body proposes to dissolve or de-establish the Private University

established under the provisions of the Act due to any reasons or circumstances beyond its control, the Sponsoring Body shall have to ensure that no student admitted in the University shall be adversely affected. The Sponsoring Body shall also submit to the Regulatory Commission a complete plan for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding Degree, Diploma, Certificate etc. to the students studying in the University. On being fully satisfied that the Sponsoring Body has completed its responsibilities towards the students according to the plans so submitted, the Regulatory Commission shall ask the Sponsoring Body to submit an affidavit stating that the Sponsoring Body does not bear any liabilities due to State Government, Students, and Employees of the University or any other person. On receiving the Affidavit, Reguatory Commission will examine the facts stated therein. After being satisfied that the facts given in the Affidavit are true, Regulatory Commission will return the Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.

(b) Regulatory Commission shall examine the affidavit submitted by the Sponsoring Body and in case of disagreement with the facts shown in the affidavit, Regulatory Commission shall return such a portion of the Endowment Fund and income therefrom, if any, as it considers proper, and it will not return the same till it is fully satisfied that the Sponsoring Body does not bear any due liabilities to the State Government, students and employees of the private university, and that the arrangements have been made for completion of the courses, conduct of examination and on that basis awarding of degree, diploma and certificate, etc., to the students studying in the Private University.

(c) Provided that where the amount of Endowment Fund has been deposited in the Fund of the Regulatory Commission by a Sponsoring Body with an intention to start a Private University after receiving letter of intent, as per sub-section (2) of Section 6 of the Act, and where the Regulatory Commission is satisfied as per Section 8 of the Act, that the proposal to establish a Private University can not be approved by it for the reasons to be recorded in writing and thus is not in a position to advise the State Government to issue a Notification for establishment of the Private University under sub-section (1) of Section 9 of the Act, the Regulatory Commission shall refund the amount of Endowment Fund and income therefrom, if any, to the Sponsoring Body.

9. Procedure for fees deposit:- (a) Every Private University shall deposit the portion of the fees collected from the student due under the provisions of section 12 of the Act through a crossed Account Payee Bank Draft/Banker's cheque in the name of "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable at Raipur in the prescribed form shown in Annexure-D.

(b) Regulatory Commission shall credit the amount of fees received from the Private Universities within 15 days in the Treasury under the Head "0202-Education, Sports, Art and Culture, 03-University and Higher Education, 0883-receipt from Private Universities"and information shall be kept in form shown in Annexure-E and a copy of the same be transmitted to Sponsoring Body.

(c) Information with regard to fees collected from the Private Universities under the provisions of these rules and deposited in Government Treasury, and penal interest, if any, imposed and deposited in the Government Treasury, and other relevant information in this regard for every financial year shall be maintained in the office of the Regulatory Commission. Penal interest information shall be kept in the form shown in Annexure-F

10. Establishment of the Regulatory Commission:- (a) Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidyalaya Viniyamak Ayog functioning in the State shall be succeeded by Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission and shall function in accordance with the provisions of the Act and Rules made thereunder.

(b) The Head Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission shall be at Raipur.

11. Functions of the Regulatory Commission:- (a) The Regulatory Commission shall perform all functions as laid down in Sub-section (8) of Section 36 of the Act as well as such other functions as it may deem fit to achieve the objectives laid down in sub-section (1) of Section 36 of the Act.

(b) Any other such matter concerning the Private Universities and Private Institutions of Higher Education which may be referred by the State Government.

12. Power to make Regulations:- (a) The Commission shall lay down the procedures for performance of its functions and for administration and management of the Commission in the form of Regulations.

(b) Till regulations are made as provided in these Rules, the Regulatory Commission may adopt for purpose of administration and management of the Commission, Rules, if any, mutatis mutandis, of Government of Chhattisgarh, or may make such arrangements as it may deem fit.

13. General Control of Visitor:- (a) The Regulatory Commission shall function under the general control of the Visitor.

(b) The Visitor in performance of his duties of general control of the Regulatory Commission, may call for any paper or information relating to the affairs of the Regulatory Commission for reasons to be recorded and thereon, by an order in writing, give such directions to the Regulatory Commission on that basis.

(c) The Visitor may before issuing any direction, call comment of the Commission and may also direct for personal presentation on any matter before giving any direction.

14.Terms and Conditions of Service of Chairman and Members:-

(1)- (a) A person appointed as Chairmn or Full Time Member or Part Time Member shall hold office for a term of 3 years.

(b) Person who has held office as Chairman or Member shall be eligible for further appointment for one more term.

(c) No person shall be eligible for the post of Chairman or Full Time Member or Part Time Member who has held or is holding an office with any of the Private Universities establishes under the Act or Private Universities established outside the State of Chhattisgarh.

(2) No person shall hold the office after the age of 70 years.

(3) The Chairman or a Full-Time Member or a Part Time Member may resign his office by writing under his hand addressed to the visitor, and shall forward a copy of that resignation letter to the Higher Education Department.

(4) If at any time upon representation made or otherwise it appears to the Visitor that the Chairman or Member;

(a) has made default in performing any duty imposed on him by or under the Act, or

(b) has acted in manner prejudicial to the interest of the Regulatory Commission, or

(c) is incapable of managing the affairs of the Regulatory Commission, the visitor may notwithstanding the fact that the term of office has not expired, by an order in writing, recording the reasons therein, require the Chairman/Member to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

Provided that no such order shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to the Chairman and he is given reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

(5) As from the date specified in the order under sub-section (4), Chairman or Member shall be deemed to have relinquished the office and the office of the Chairman or Member shall fall vacant.

(6) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman or Full-Time Member or Part-Time Member, whether by reason of death, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled by a fresh appointment.

Education Department may, in consultation with the visitor, fill any casual vacancy of the office of the Chairman by appointing any Full Time Member for not exceeding two monti

(7) During the absence of the Chairman due to leave, illness, or any other cause, the Full-Time Member nominated by the Chairman shall discharge functions and duties of the Chairman

(8) The Office of the Chairman as well as all the Full Time Member shall be whole-time and salaried one.

(9) The Full Time Members shall perform such functions as may be assigned to them by the Chairman from time to time.

(10) The Chairman shall receive a consolidated salary of Rs.25000/- per month,irrespective of the pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him.

Provided that, if the Chairman is not getting any pension he shall be entitled to receive a salary of Rs.25000/-per month and dearness allowance and other allowance as admissible for class-I, State Government Servants of Government of Chhattisgarh, from time to time.

(11) The Chairman shall be entitled to free furnished residential accommodation at the Headquarters of the Regulatory Commission, maintained by the State Government.

(12) The Chairman shall be provided with one Car alongwith one Driver, Telephones with STD facility in office and at his residence.

(13) The Full Time Member shall receive a consolidated salary of Rs.18,400/- per month irrespective of pension and pension equivalent to gratuity that may be admissible to him.

A Member not getting pension shall be entitled for salary of Rs.18,400/- per month with Dearness Allowance and other allowances admissible for Class-I State Government Servants of the State Government.

(14) The Full Time Member shall be entitled to House Rent Allowance (HRA) admissible as per Government of Chhattisgarh rules regarding House Rent Allowance for the time being in force and applicabel to Class-I, State Government Servants, alongwith Telephones with STD facility in office and at his residence.

(15) The Chairman and Full Time Members shall be entitled to 13 days casual leave and one month's earned leave/medical leave in one calendar year. Leave Record of the Chairman and the Full Time Members shall be kept in the office of the Regulatory Commission.

(16) During travel for the work of the Regulatory Commission or the Government, Chairman and Full Time Members of the Commission would be entitled to Traveling Allowance and Dearness Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I of State Government Servants, and in addition reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.

(17). The Chairman and Full Time Members shall be entitled to such medical benefits as may be admissible for Class-I of State Government Servants of of Chhattisgarh or to Medi-claim in lieu thereof, as may be decided by the Education Department.

(18). The Chairman and the Full Time Members shall not receive any retirement benefits such as pension, gratuity or both from the Regulatory Commission.

(19). A Part Time Member shall be entitled to sitting fee of Rs.1,000/-per day and Traveling Allowance at the rates applicable at the time to Class-I of State Government Servants, and in addition, for the period spent on duty, reimbursement of stay in a hotel categorized upto 3 Stars.

15. Meeting of the Commission:- (a) The Regulatory Commission shall meet at such time and place as may be decided by the Chairman.

(b) The Chairman and in his absence, senior most Full-Time Member /Part Time Member of the Commission shall preside over the meetings of the Commission.

(c) All questions which come up before any meeting of the Commission shall be decided by a majority of the votes of the members present and voting.

If, no Member is appointed then Chairman shall decide the questions by passing Speaking Orders/Resolutions.

If the Chairman and only one Member is present in the meeting then decision shall be taken by Chairman by speaking orders after recording the views of the Member present in the meeting.

(d) Minutes of every meeting of the Regulatory Commission shall be recorded by one of the Full Time Members of the Commission or by an officer of the Commission authorized for the purposes

by the Chairman. The minutes shall be validated by signature of the Chairman and shall be kept as a permanent record of the Regulatory Commission.

16. Vacancy etc. not to invalidate the proceedings of the Commission:- No act or proceedings of the Commission shall be invalidated merely by reasons of :-

(a) any vacancy in or any defect in the constitution of the Commission; or

(b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Commission; or

(c) any irregularity in the procedure of the Commission, but not affecting the merits of the case.

17. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes:- (a) The Regulatory Commission may associate with itself any person whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of the Act or rules made thereunder.

(b) A person associated with it by the Commission under Sub-section (a) for any purpose may be invited by the Commission to take part in the discussions relevant for the purpose, or in any meeting of the Commission in which the relevant purpose is included as an agenda item of the meeting of the Commission. But such person shall not have a right to vote at a meeting of the Commission and shall not be a member for any other purpose.

(c) A person associated with the Commission for the purpose of this rule 17 shall be paid a sitting fee of Rs. 500/- per day and

Traveling Allowance at the rates admissible and applicable to Class-I Chhattisgarh State Government Servants for the time being in force.

18. Authentification of Orders and other instruments of the Regulatory Commission:- All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any person authorized by the Chairman in this behalf, and all other instruments issued by the Commission shall be authenticated by a signature of the Secretary and till Secretary is appointed by the Chairman or any other person of the Commission authorized in a like manner in this behalf.

19. Payment to the Commission:- The Government of Chhattisgarh may, after due appropriation made by the State Legislative Assembly by law in this behalf, pay to the Regulatory Commission in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of functions of the Commission under the Act.

20. Fund of the Regulatory Commission:- (a) The Regulatory Commission shall have its own Fund and all sums which may from time to time be paid by the State Government and all the receipts of the Commission (including Endowment Fund, Additional Fund and any sum which any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund, and all payments of the Commission shall be made therefrom.

(b) All the money belonging to the Fund shall be deposited in a Scheduled Bank as defined in the Reserve Bank of India, Act,1934 (No.2 of 1934).

(c) The Commission may spend such sum as it may think fit for performing its functions under the Act, and such sums shall be treated as an expenditure payable out of the Fund of the Regulatory Commission.

21. Budget:- The Regulatory Commission shall prepare in such form and at such time each year as may be decided by the Commission, a budget in respect of the financial year next ensuing showing an estimated receipts and expenditures and copies thereof shall be forwarded to the Education Department, with a view to obtain due appropriation by the State Legislative Assembly and payments thereafter of appropriated sums to the Regulatory Commission, as provided under rule 19 above.

22. Annual Report: The Regulatory Commission shall prepare once in every financial year, in such form and at such time as may be decided by the Commission, an Annual Report giving true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall be forwarded to the Higher Education Department. The Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

23. Account & Audit:- (a) The Regulatory Commission shall cause to maintain such Books of Account and other account in relation to its account in such form and in such manner as may be decided by the Commission.

(b) The Regulatory Commission shall, as soon as may by after closing its Annual Account, prepare a statement of account in such form and by such date as the Regulatory Commission may determine.

(c) The accounts of the Regulatory Commission shall be audited by a Chartered Accountant immediately after closing of the financial year.

(d) The accounts of the Regulatory Commission as certified by the Chartered Accountant together with the Audit Report

thereon shall be forwarded to the Higher Education Department and the Higher Education Department shall cause the same to be laid before the State Legislative Assembly.

24. Staff, Accommodation and other Facilities of Regulatory Commission:
(a) The Regulatory Commission shall appoint on deputation or otherwise such number of officers and other employees as may be necessary for the purpose of enabling it to efficiently discharge its functions under the Act.

(b) For its officers and employees, the Regulatory Commission shall take decision and accordingly acquire accommodation, equipments and other facilities as it may consider necessary.

25. Relaxation of Rules:- On such matters which are not covered under these Rules, State Government may take decision on the basis of recommendation of the Regulatory Commission, which is supported by the Principle of Equity.

26. Laying of the Rules on the Table of the Legislative Assembly:- These Rules shall be laid on the Table of the Legislative Assembly.

27. Repeal and Savings:-The Chhattisgarh Niji Kshetra Vishwavidhyalaya Rules, 2004 and orders, resolutions, if any, in force immediately before the commencement of this Rule, are hereby repealed and rescinded as the case may be.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. D. GUPTA, Deputy Secretary.

ANNEXURE – A

APPLICATION FORMAT FOR ESTABLISHMENT OF A PRIVATE UNIVERSITY IN THE STATE OF CHHATTISGARH

(UNDER THE PROVISIONS GIVEN IN SECTION 4 OF THE CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND OPERATION) ACT, 2005)

(1)	Details of Sponsoring Body (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Pin code	
	(d)	Telephone No. (with STD Code)	
	(e)	Fax No.	
	(f)	E-mail	
(2)	Particulars of registration of the Sponsoring Body and its constitution and bye laws (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	the Sponsoring Body is a Registered Society under Chhattisgarh Society's Registrykaran Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973); or	
	(b)	Is a Public Trust; or	
	(c)	Is a Company registered under Section 25 of the Companies Act,1956 (No. 1 of 1956).	
	(d)	Whether the Sponsoring Body is a body which is not registered under any of the arrangements as provided under (a), (b) and (c) but is registered under another Act which is for the time being in force. If yes, give particulars of that Act.	

	(e)	Attach certified copies of the Registration	
	(f)	Attach Constitution and Bye-laws	
(3)	Attach certified copies of the audited accounts of the Sponsoring Body for the past 3 years. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(4)	Information regarding financial resources of the Sponsoring Body (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(5)	Name of the proposed University (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(6)	Full address where the main campus of the proposed University to be established (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(7)	Objectives of the proposed University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(8)	Whether proposed University would demand minority status under Article 30 of the Constitution?, If yes, give details. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(9)	Whether the Main Campus of the University will be located in an area which is not a general area ? (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

(10)	Details about the land for the use of the proposed University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)			
	(a)	Details of the land for full use of the University, if available on the date of application.		
		(i)	Ownership of land (with necessary proof)	
		(ii)	Area of land	
		(iii)	a map of the land	
	(b)	Land that will be acquired after receipt of the Letter of Intent		
		(i)	Ownership of land (with necessary proof)	
		(ii)	Area of land	
		(iii)	a map of the land	
		(iv)	Land will be acquired from whom ?	
		(v)	Financial arrangement for acquisition of land.	
(11)	Details of campus development before the commencement of functions of the University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)			
	(a)	Construction of buildings, development of structural amenities and infrastructural facilities		
	(b)	Plan for procurement of equipments		
	(c)	Outline of phase-wise programme for the coming 5 years.		

(12)	Details of phased outlays of Capital Expenditure proposed for 5 years and its sources of finance. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(13)	Nature of faculties (Name) (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Names of faculties like Science, Arts, Commerce, Technical Education, etc.	
	(b)	Courses under each faculty like graduate, post-graduate, etc.	
	(c)	Relevance of each course in the context of development of the State.	
	(d)	Targeted students strength in each course	
	(e)	Proposed phased programmes for courses for next 5 years.	
	(f)	For each course, give information whether for starting it, prior approval from Central Regulatory Body or / and State Regulatory Body is necessary. If yes, give details of the same. If prior approval has not been obtained, give details mentioning the provision under which Central / State Act, prior permission is necessary.	
(14)	Experience and expertise, (if any), in the concerned disciplines at the command of the Sponsoring Body. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(15)	Availability of academic facilities required for the courses of study and research. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Teaching Staff	
	(b)	Technical and Non-technical Staff	

	(c)	Equipments and Laboratories	
(16)	Details about the expenditure on each of the proposed courses (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Estimate of recurring expenditure	
	(b)	Sources of finance	
	(c)	Estimated expenditure per student	
(17)	Scheme for mobilizing resources (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Cost of capital	
	(b)	Manner of repayment	
(18)	Scheme for generation of funds internally from various sources (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Fee from Students	
	(b)	Consultancy Services	
	(c)	Other activities relating to the objects of the Private University.	
(19)	Proposed fee structure for different Courses, Concessions, and Scholar-ships (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	For General Category	
	(b)	For economically Weaker Sections	
	(c)	For Scheduled Castes and Scheduled Tribes	
(20)	System proposed to be followed for admissions to the courses of study. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		

(21)	System proposed to be followed for appointment of Teachers and other Employees (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(22)	Mode of imparting education (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Conventional Method	
	(b)	Distance Education Method	
	(c)	Both, as above	
(23)	In case Distance Education is proposed, then names of the proposed Study Centres and their details (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(24)	Details of programmes related to local needs, nature of the specialized teaching, training and research activities. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(25)	Programmes for the benefit of Farmers, Women and Industries especially located in this State. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(26)	Available or/ proposed other facilities :- (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Hostel facility for the students (Boys / Girls)	
	(b)	Play grounds	
	(c)	National Cadet Corps, Scouts and Guides, National Service Scheme,etc.	
(27)	Details of the proposed Off-campus Centres and Study Centres in the Scheduled areas of the State. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
(28)	Justification for the necessity of establishing the proposed Private University. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		

(29)	If the Sponsoring Body had established erstwhile University, then full details giving number and date of the Notification regarding establishment and serial number in the Schedule – I of the Earlier Act. Also, mention whether Endowment Fund or / and Additional Fund was deposited or is in deposit ? If yes, then give full particulars with proof. (Detailed information given in section ..... of the Project Report)	

(30)	Details of application fee (mention) :- (Detailed information given in section ..... of the Project Report)		
	(a)	Amount in the crossed account payee demand draft	
	(b)	Name of the bank which has issued the demand draft.	
	(c)	Date and Number of the demand draft	
	(d)	Mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University on the back of the Demand Draft.	

The above application for establishment of _____ (mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act,2005 (No. 13 of 2005) is submitted hereby on behalf of _____ (name of the Sponsoring Body). Detailed particulars of every point of this application is given in the Project Report. Detailed information may be seen in the Sections of the Project Report referred at every point.

I certify that :-

(a) I am authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body, _____ (name of the Sponsoring Body).

(b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of _____ and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No.13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure)

Signature

Place : Name and Designation

Date : Name of Sponsoring Body

Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

Explanatory note for submitting application for establishment of a Private University

(1) Before applying for establishment of a University in the State of Chhattisgarh in Private Sector, please read carefully the provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 (No: 13 of 2005).

(2) The Act and the Rules can be obtained in person from the Office of the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, 29/776, Plot No.5, Block No.3, Opp: Ram Mandir, Shantinagar, Madhu Pillai Chowk, Raipur : 492007 by producing a crossed Account Payee draft for Rs.500/- or by post by sending a crossed Account Payee draft for Rs.550/- in the name of the "Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission" payable in Raipur.

(3) The Sponsoring Body or its Representative can seek guidance with regard to the establishment of the University from the Regulatory Commission. Guidance session shall be arranged only with prior appointment.

ANNEXURE - B

APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF ENDOWMENT FUND

To

Chirman,
Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission,
RAIPUR, (C.G.)

(1)	Details of Sponsoring Body		
	(a)	Name	
	(b)	Address	
	(c)	Pin code	
	(d)	Telephone No. (with STD Code)	
	(e)	Fax No.	
	(f)	E-mail	
(2)	Name of the proposed Private University		
(3)	Full address where the main campus of the proposed Private University is to be established		
(4)	Location of Main Campus of the Private University.		

	(a)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be in a Scheduled Area ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location area is a Scheduled Area.	
	(b)	Whether the main campus of the University proposed to be established will be within the Municipal Corporation Limits of Raipur ? If yes, attach proof from the Competent Authority to the effect that the proposed location is within the Municipal Corporation Limits of Raipur	

5.	Details of the Endowment Fund of the erstwhile University (mention) *		
	(a)	Name of the erstwhile University	
	(b)	Name of the Sponsoring Body of the erstwhile University	
	(c)	Notification Number and date under which erstwhile University was established.	
	(d)	Serial Number in Schedule – I of the earlier Act of the erstwhile University	
	(e)	Whether main campus of the erstwhile University was established in the Scheduled Area ?	

* This information is to be furnished only by those Sponsoring Bodies which had established erstwhile University. Other Sponsoring Bodies may furnish NIL here.

	(f)	Amount of Endowment Fund of the erstwhile University which is in deposit with the Regulatory Commission. (give proof by attaching a photo copy of the Bank Pay-in-Slip).	
	(g)	Net amount of the Endowment Fund that the Sponsoring Body proposes to deposit after adjusting the Endowment Fund of the erstwhile University, as provided in proviso to clause (b) of Sub-section (1) of Section 11 of the Act.	

(6)	Details of Endowment Fund (mention)		
	(a)	Amount of Endowment Fund	
	(b)	Bank Draft Number, full particulars about the name of the Bank including its Branch name, Branch Number and Branch Code which has issued the Bank Draft.	
	(c)	Date of issue of Bank Draft	
	(d)	Name & designation of the person who has sent the amount of the Endowment Fund on behalf of the Sponsoring Body	
	(e)	On the back of the Demand Draft, mention the name of the Sponsoring Body and the name of the proposed University.	
(7)	Proof of opening the Savings Bank Account in the name of Sponsoring Body for depositing income from Endowment Fund		

	(a)	Name of the Scheduled Bank and its branch in which the Savings Bank Account has been opened.	
	(b)	Amount with which the Savings Bank Account has been opened. Attach photo copy of Deposit Slip issued by the bank as Annexure	
	(c)	Name & Designation of the person who will operate the Savings Bank Account on behalf of the Sponsoring Body.	
	(d)	Savings Bank Account Number and the date of establishment of this account.	

(8)	Details of Letter of Intent (mention)		
	(a)	Number and date of issue	
	(b)	Date of receiving by the Sponsoring Body	
	(c)	Attach a photo copy of Letter of Intent	

(9)	Any other information that the Sponsoring Body would like to provide or any request that the Sponsoring Body would like to make in the context of the establishment of the Endowment Fund.	

The above application for establishment of Endowment Fund for _____(mention name of the proposed University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act 2005 (No. 13 of 2005) is submitted hereby on behalf of the _____ (name of the Sponsoring Body) .

I certify that :-

(a) I am authorized to submit the application for establishment of the Endowment Fund on behalf of the _____ (name of the Sponsoring Body).

(b) The Sponsoring Body has Resolved to establish a Private University by name of _____ and to deposit Rs._____(Rupees _____) as Endowment Fund and to follow in this connection all provisions made in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

Signature

Place :

Name and Designation

Date :

Name of Sponsoring Body

Signature, name & address of 2 witnesses :-

(1)	Signature	
	Name	
	Address	

(2)	Signature	
	Name	
	Address	

ANNEXURE - C

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION , RAIPUR

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Date	

No.

Sub:- Certificate for the "Endowment Fund " deposited in the Account of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur.

Ref:- See Section 11(1) of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005.

Sl. No.	Name of the University	Reference of letter of Intent issued by Higher Education Department, Govt. of Chhattisgarh.	Area of the establishment of proposed Private University (General / Scheduled Area	Amount	Particulars of Demand Draft deposited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Place :

Date :

Signature

Name and Designation

Name of the Sponsoring Body (with seal)

ANNEXURE - D

STATEMENT OF FEES COLLECTED & SENT TO THE REGULATORY COMMISSION

Name of the University		
Address with Pin code		
Phone No. with STD Code		Fax No :
Statement No. Year		E-mail :

Name of the month for which the fee collection relates _____

Sl. No.	Name of the Campus/ Study Centre	Address of campus/ study centre	Name of course	Number of enrolled students	Rate of fees per month	Total fees collected	1 % column No. 7	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Total of column 7 : Rs. _____ (in figures). Rs. _____(In words)
Total of column 8 : Rs. _____ (in figures). Rs. _____(in words)

(1) Name of the bank alongwith its branch which has issued the Demand Draft _____
(2) Demand Draft No. _____
(3) Date of issue of Demand draft : _____

Certified that the statement of fees collection as given here is verified by us and is correct.

Date : _____ Registrar Chief Finance & Accounts Officer

Explanatory Note

(1) Column No.4 : Mention name of the course for which the fee is collected from the student
(2) Column No.6 : "Fee means " collection made by the University from the students by whatever name it may be called but which is not refundable.

ANNEXURE - E

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMIION, RAIPUR

Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Date	

No.

Sub:- Statement of fees credited to the Consolidated Fund of the State of Chhhattisgarh

Ref:- See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Statement of Fee amount deposited in Treasury

Sl. No.	Name of the University	Month in which fees was collected	Statement Number & Year	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Total of column 5 : (Rs.) _____(in figures) (Rupees _____(in words)

(1) Name of Payee : Government of Chhattisgarh ,Raipur,_____

(2) Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State_____

(3) Name of the Treasury in which amount is deposited :_____

(4) No. of Account Payee Cheque

(5) Date of issue of Cheque

(6) Name of the bank on which the Cheque is drawn

(7) Name and designation of the Officer of Regulatory Commission signing the Cheque

(1) Signature
Designation

(2) Signature
Designation

Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur

Explanatory Note

(1) Column No.4 : Information about the fees collected in each month and sent to the Regulatory Commission is contained in the Form . Information for every month in the Form shall be numbered by the concerned University as Statement Number. Private University shall also mention the year. This statement number and year should be mentioned in this column in the office of the Regulatory Commission.

ANNEXURE - F

CHHATTISGARH PRIVATE UNIVERSITIES REGULATORY COMMISSION, RAIPUR

	Phone No.	
	Fax No.	
	E-mail	
No.	Date	

Sub:- Statement of Penal Interest credited to the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh
Ref:- See Section 12 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005).

Sl. No.	Name of the University	Resolution Number of the Regulatory Commission empowering to impose and collect the penal interest	Amount	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Total of column 4 : (Rs.) _________(in figures) (Rupees ____________________(in words)

(1) Name of Payee : Government of Chhattisgarh ,Raipur,____________________
(2) Head under which the amount is to be credited in the Consolidated Fund of the State.________
(3) Name of the Treasury in which amount is deposited :________________
(4) No. of Account Payee Cheque
(5) Date of issue of Cheque
(6) Name of the bank on which the Cheque is drawn
(7) Name and designation of the Officer of the Regulatory Commission signing the Cheque

(1) Signature
Designation

(2) Signature
Designation

Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission , Raipur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 85] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 मार्च 2013—फाल्गुन 23, शक 1934

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

अधिसूचना

क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2.—छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो 1 जनवरी, 2006 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रवृत्त होगा, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 14 के उप-नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(10) अध्यक्ष को प्रतिमाह रु. 75000/- समेकित वेतन निकालने की पात्रता होगी:

परन्तु यदि अध्यक्ष को, शासकीय या अर्धशासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से, पेंशन प्राप्त हो रही है तो वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा पुनरीक्षित वेतनमान) में देय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जो रुपये 75,000/- से कम न हो) में से देय पेंशन (संराशिकरण के पूर्व की) + महंगाई राहत घटाने के पश्चात् किया जायेगा :

परन्तु यदि सेवानिवृत्ति वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के पूर्व हुई है तो वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (जो रु. 75000/- से कम न हो) से पुनरीक्षित मूल पेंशन + राहत (यदि कोई हो), जो वास्तविक पेंशन से अधिक न हो, को घटाने के पश्चात् किया जायेगा."

2. नियम 14 के उप-नियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(13) पूर्णकालिक सदस्यों को प्रतिमाह रु. 52,120/- समेकित वेतन निकालने की पात्रता होगी: —

परन्तु यदि सदस्य को, शासकीय या अर्धशासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से, पेंशन प्राप्त हो रही है तो वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति के समय, वेतन संरचना (यथा पुनरीक्षित वेतनमान) में देय मूल वेतन + महंगाई भत्ता (जो रुपये 52,120/- से कम न हो) में से देय पेंशन (संराशिकरण के पूर्व की) + महंगाई राहत घटाने के पश्चात् किया जायेगा.

परन्तु यदि सेवानिवृत्ति वर्तमान पुनरीक्षण वेतनमान लागू होने के पूर्व हुई है तो वेतन निर्धारण, सेवानिवृत्ति के समय लागू वेतनमान के तत्स्थानी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम मूल वेतन (जो रु. 52,120/- से कम न हो) से पुनरीक्षित मूल पेंशन + राहत (यदि कोई हो), जो वास्तविक पेंशन से अधिक न हो, को घटाने के पश्चात् किया जायेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 मार्च 2013

क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1059/एफ 5-6/2012/38-2, दिनांक 13-03-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. चौधरी, उप-सचिव.

Raipur, the 13th March 2013

NOTIFICATION

No. 1059/F 5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, with retrospective effect from 1st January, 2006, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For sub-rule (10) of rule 14, the following shall be substituted, namely:—

"(10) The Chairman shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs. 75000/-per month:

Provided that if the Chairman is getting pension from Government or Semi Government/ Government aided institutions, the pay shall be fixed by deduction the pension (before commutation) + dearness relief from the basic pay in pay structure (as per revised pay scale) + dearness allowance at the time of retirement (which should not be less than Rs. 75,000/-):

Provided further that if retirement is prior to commencement of present revised pay scale than pay shall be fixed, by deducting basic revised pension + relief (if any) which may not exceed actual pension from the minimum basic pay applicable for direct recruitment (which shall not be less than Rs. 75000/-) in corresponding revised pay structure on the pay scale admissible at the time of retirement."

2. For sub-rule (13) of rule 14, the following rule shall be substituted, namely :—

"(13) The full time Member shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs. 52,120/- per month:

Provided that, if the Member is getting any pension from Government or Semi Government/Government aided institutions, the pay would be fixed by deducting the pension (before commutation) + dearness relief from the basic pay in pay structure (as per revised pay scale) + dearness allowance at the time of retirement (which should not be less than Rs. 52,120/-).

Provided further that if retirement is prior to commencement of present revised pay scale than pay shall be fixed, by deducting basic revised pension + relief (if any) which may not exceed actual pension from the minimum basic pay applicable for direct recruitment (which shall not be less than Rs. 52,120/-) in corresponding revised pay structure on the pay scale admissible at the time of retirement."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. CHOUDHARY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 491] रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2014— भाद्र 26, शक 1936

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 14 के उप-नियम (19) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 1,000/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 2000" प्रतिस्थापित किया जाये.

2. नियम 17 के खण्ड (ग) में, शब्द, अंक एवं चिन्ह " रुपये 500/-" के स्थान पर, शब्द एवं अंक "रु. 1000" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2014

क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-6/2012/38-2, दिनांक 16-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

Raipur, the 16th September 2014

NOTIFICATION

No. F 5-6/2012/38-2.—In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules. 2005. namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In sub-rule (19) of rule 14, for the word, figure and symbol "Rs. 1000/-", the word and figure " Rs. 2000" shall be substituted.

2. In clause (c) of rule 17, for the word, figure and symbol "Rs. 500/-", the words and figure "Rs. 1000" shall be substituted.

'By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M. L. GUPTA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 220] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 मई 2017— ज्येष्ठ 9, शक 1939

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–6/2012/38–2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र.13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों मे, –

नियम 14 में,–

(क) उप–नियम (10) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(10) अध्यक्ष को, प्रतिमाह रू. 75,000 समेकित वेतन आहरित करने एवं उस पर नियमानुसार देय अन्य भत्तों की पात्रता होगी :

परंतु यदि अध्यक्ष को, शासकीय/अर्ध–शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से पेंशन प्राप्त हो रही है, तो मूल वेतन का निर्धारण, सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय मूल वेतन (जो रू. 75,000/– से कम न हो) में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशिकृत राशि को सम्मिलित करते हुए) को घटाकर किया जायेगा। अध्यक्ष को, इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को, समय–समय पर, अनुज्ञेय दरों से मंहगाई भत्ता की पात्रता होगी, पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत पृथक से देय होगी।"

(ख) उप–नियम (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(13) पूर्णकालिक सदस्य, रू. 37,400–67,000 के वेतन बैंड में, मूल वेतन रू. 52,120 (42,120 बैंड वेतन + 10,000 ग्रेड वेतन) एवं उस पर नियमानुसार देय भत्तों के हकदार होंगे:

परंतु, यदि सदस्य को, शासकीय/अर्ध–शासकीय/शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं से पें ान प्राप्त हो रही है, तो मूल वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्ति की तारीख पर अनुज्ञेय मूल वेतन (जो रू. 52,120/– से कम न हो) में से सेवानिवृत्ति पर निर्धारित मूल पेंशन (संराशिकृत राशि को सम्मिलित करते हुए) को घटा कर किया जायेगा। उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को, समय–समय पर अनुज्ञेय दरों से मंहगाई भत्तों की पात्रता होगी, पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत पृथक से देय होगी।"

(ग) उप–नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(14) पूर्णकालिक सदस्य, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष आवास, मकान किराया भत्ते एवं वाहन के हकदार होंगे।"

(घ) उप–नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(17) अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य, राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारी के समकक्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति अथवा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित चिकित्सा बीमा के हकदार होंगे।

No. F 5-6/2012/38-2. — In exercise of the powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules, 2005, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 14,-

(a) for sub-rule (10), the following shall be substituted, namely :-

"(10) The Chairman shall be eligible to draw a consolidated pay of Rs 75,000 per month and other allowances payable thereon as per rules:

Provided that if the Chairman is getting pension from Government/Semi-Government/Government-aided institutions, the basic pay shall be fixed by deducting the basic pension determined (inclusive of commuted amount) on retirement from admissible basic pay (which should not be less than Rs 75,000/-) on the date of retirement. The Chairman shall be eligible for dearness allowance on the basic pay so fixed at rates admissible to employees of the State Government, from time to time, pension and dearness relief on pension shall be payable separately."

(b) for sub-rule (13), the following shall be substituted, namely :-

"(13) The full time Members shall be entitled to basic pay of Rs. 52,120 (42,210 Band Pay+10,000 Grade Pay) in pay band of Rs. 37,400-67,000 and allowances payable thereon as per rules:

Provided that if the Member is getting pension from Government/Semi-Government/Government-aided institutions, the basic pay shall be fixed by deduction of the basic pension determined (inclusive of commuted amount) on retirement from admissible basic pay (which should not be less than Rs. 52,120/-) on the date of retirement. He shall be eligible for dearness allowance on the basic pay so fixed at rates admissible to employees of the State Government, from time to time, pension and dearness relief on pension shall be payable separately."

(c) for sub-rule (14), the following shall be substituted, namely :-

"(14) The full time Members shall be entitled to residence, house rent allowance and vehicle equivalent to Class-I Officer of the State Government."

(d) for sub-rule (17), the following shall be substituted, namely :-

"(17) The Chairman and full time Members shall be entitled to medical reimbursement equivalent to Class-I Officer of the State Governemnt or medical insurance as decided by the Department of Higher Education."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डॉ. समरेन्द्र सिंह, राज्य एनएसएस अधिकारी व पदेन उपसचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451] रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020 — आश्विन 6, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–1/2017/38–2 (पार्ट).— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के निजी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

नियम

भाग–एक : प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 कहलायेंगे।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005);

(ख) "मुख्य परिसर" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ में स्थित निजी विश्वविद्यालयों का मुख्य परिसर, जिनके न्यूनतम पांच विश्वविद्यालयीन के शिक्षण विभाग अथवा अध्ययन शालायें हो और जहाँ कुलपति एवं कुलसचिव निवास करते हों तथा विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यालय भी स्थित हो;

(ग) "दूर–परिसर केन्द्र" से अभिप्रेत है निजी विश्वविद्यालय का केन्द्र, जो मुख्य परिसर से बाहर स्थापित हो, किन्तु राज्य के भीतर हो, जिसका संचालन एवं संधारण इसकी (विश्वविद्यालय की) घटक इकाई के रूप में होता हो;

(घ) "निजी विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित एवं निगमित निजी विश्वविद्यालय;

(ङ) "विनियामक निकाय" से अभिप्रेत है उच्च शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने हेतु मानदण्ड एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिये केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित केन्द्र अथवा राज्य विनियामक

निकाय;

(च) "विनियामक आयोग" से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा 36 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग;

(छ) "नियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005;

(ज) "अध्ययन केन्द्र" से अभिप्रेत है दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मंत्रणा या किसी अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निजी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में स्थापित तथा संधारित केन्द्र, जो किसी दो या दो से अधिक संचार माध्यमों जैसे रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन, पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम और इसी प्रकार की किसी अन्य पद्धति के संयोजन से शिक्षा प्रदान करता है।

(2) शब्द या अभिव्यक्तियाँ, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित है।

भाग–दो : दूर–परिसर केन्द्र

3. **स्थापना और संचालन.**– (1) मुख्य परिसर की स्थापना एवं विकास के पांच वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्, दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना के लिए इच्छुक निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग को अनुलग्नक–क में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रायोजक निकाय, दूर–परिसर केन्द्र स्थापित करने का संकल्प पारित करेगा तथा आवेदन पत्र में कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा।

(3) आवेदन के साथ रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार) का आवेदन शुल्क क्रास किये गये एकाउन्ट पेयी ड्राफ्ट के माध्यम से "छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग" के नाम पर भेजा जायेगा और रायपुर में भुगतान योग्य होगा।

4. **दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु शर्तें.**– (1) विश्वविद्यालय निम्नानुसार भूमि प्राप्त करेगाः–

(क) 1.5 एकड़ भूमि, यदि रायपुर जिले के नगर निगम की सीमा के अन्दर दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित हो।

(ख) 2.5 एकड़ भूमि, यदि किसी अन्य स्थान में दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित हो।

(2) वह प्रशासकीय तथा शैक्षणिक प्रयोजन के लिए न्यूनतम 10,000 वर्गफीट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।

(3) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा समय समय पर विहित नियमों तथा शर्तों का पालन करेगा।

5. प्रस्ताव का मूल्यांकन.– (1) विनियामक आयोग, दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर यथा उल्लिखित तथ्यों के संबंध में ऐसी जांच करेगा, जैसा कि आवश्यक समझे।

(2) प्रस्ताव/आवेदन पत्र का मूल्यांकन करते समय, विनियामक आयोग निम्नलिखित बातों को विचार में रखेगा :–

(क) जहां दूर–परिसर केन्द्र प्रस्तावित है, वहां शिक्षा और शोध के क्षेत्र में विश्वविद्यालय का योगदान।

(ख) यथोचित संसाधनों की व्यवस्था।

6. आशय पत्र.– नियम 5 में यथा उपबंधित जांच और मूल्यांकन के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग संतुष्ट हो जाता है कि विश्वविद्यालय को, दूर–परिसर केन्द्र स्थापित करने का अधिकार दिया जा सकता है, तो विनियामक आयोग, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से, विश्वविद्यालय को दूर–परिसर केन्द्र स्थापित करने का आशय पत्र जारी कर सकेगा।

7. पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुति.– (1) विश्वविद्यालय, आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करेगा।

(2) विश्वविद्यालय, पालन प्रतिवेदन के साथ निम्नलिखित शुल्क विनियामक आयोग में प्रस्तुत करेगाः–

(क) राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में दूर–परिसर केन्द्र स्थापित किये जाने की स्थिति में, रूपये पांच लाख।

(ख) अन्य प्रकरण में, रूपये दस लाख।

8. पालन प्रतिवेदन का सत्यापन तथा निरीक्षण.– (1) नियम 7 के प्रावधान के अनुसार पालन प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात्, विनियामक आयोग, एक समिति का गठन करेगा, जो तथ्यात्मक आंकड़ों की जांच करेगी, जिसमें स्थल

निरीक्षण भी सम्मिलित होगा।

(2) विनियामक आयोग, उप–धारा (1) के अधीन पालन प्रतिवेदन के परीक्षण के पश्चात्, इसमें कोई कमी पाता है, तो वह विश्वविद्यालय को शीघ्रातिशीघ्र चिन्हांकित कमियों को दूर करने का निर्देश दे सकेगा।

(3) चिन्हांकित कमियों को दूर करने के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात्, निरीक्षण समिति, अपनी अनुशंसा विनियामक आयोग को प्रस्तुत करेगी।

9. स्थापना संबंधी अधिसूचना.– विनियामक आयोग, यदि निरीक्षण समिति की अनुशंसा से संतुष्ट हो तो, दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना संबंधी अधिसूचना राज्य शासन के पूर्वानुमोदन से जारी कर सकेगा।

10. शुल्क की राशि के संबंध में.– निजी विश्वविद्यालय, उक्त नियम के नियम 9 का पालन सुनिश्चित करेगा।

11. कतिपय परिस्थितियों में विनियामक आयोग की विशेष शक्तियां.– (1) दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग को यह प्रतीत होता है कि दूर–परिसर केन्द्र का संचालन, अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश तथा विनियमन के अनुसार नहीं हो रहा है अथवा वित्तीय कुप्रबन्धन तथा कुशासन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तो वह ऐसे निजी विश्वविद्यालय को 45 दिनों का कारण बताओ सूचना इस आशय का जारी करेगा कि क्यों न दूर–परिसर केन्द्र स्थापना संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने का आदेश प्रसारित किया जाये।

(2) यदि विनियामक आयोग, इस नियम के उप–नियम (1) के अधीन जारी सूचना के संबंध में निजी विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर संतुष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, कुप्रबंधन, कुप्रशासन या अधिनियम के किसी उपबंधों या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी उपबंधों या इसके अधीन जारी किये गये निर्देशों का उल्लंघन का है, तो वह ऐसी जांच के लिये आदेश कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात्, यदि विनियामक आयोग संतुष्ट होता है कि वित्तीय कुप्रबंधन और कुशासन के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि दूर–परिसर केन्द्र का संचालन कर पाना सुरक्षित नहीं है, तो वह दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना की अधिसूचना को निरस्त कर सकेगा।

(4) दूर–परिसर केन्द्र में संचालित पाठ्यक्रमों को, इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन जारी आदेश के अनुसार मुख्य परिसर में स्थानांतरित किया जायेगा।

(5) इस नियम के उप–नियम (3) के अधीन जारी आदेश के विरूद्ध अपील, कुलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा तथा अपील पर कुलाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

12. विनियामक आयोग द्वारा की गयी कार्यवाही का नियमन.– इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व विनियामक आयोग द्वारा कोई अनुमति अथवा आदेश जारी किया गया हो, तो इन नियमों के अधीन कोई अनुमति अथवा आदेश जारी किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह कि संबंधित विश्वविद्यालय को नियम 4 एवं नियम 7 के उप–नियम (2) में उल्लिखित उपबंधों का अनुपालन विनियामक आयोग द्वारा विहित समय सीमा के भीतर करना होगाः

परन्तु यह और कि यदि विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम परन्तुक में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाता हो, तो विनियामक आयोग विद्यमान दूर–परिसर केन्द्र को बंद करने का आदेश पारित कर सकेगा।

भाग– तीन : अध्ययन केन्द्र

13. अध्ययन केन्द्र की स्थापना.– (1) दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में अध्ययन केन्द्र की स्थापना निजी विश्वविद्यालय द्वारा की जा सकेगी।

(2) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्मित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा) विनियम, 2017 में यथा विहित दूरस्थ शिक्षा के संचालन हेतु अनुमति प्राप्त कर सकेगा।

(3) निजी विश्वविद्यालय, इस नियम के उप–नियम (2) में यथा निर्दिष्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, विनियामक आयोग से अध्ययन केन्द्र स्थापित करने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर सकेगा।

(4) निजी विश्वविद्यालय, प्रत्येक अध्ययन केन्द्र के लिए रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार) की दर से प्रतिवर्ष विनियामक आयोग में शुल्क जमा करेगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय, इन नियमों के नियम 10 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

14. उपाधि, पत्रोपाधि एवं प्रमाणपत्रों के संबंध में.– (1) निजी विश्वविद्यालय केवल उन्हीं उपाधियों, पत्रोपाधियों एवं प्रमाणपत्रों के लिए पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा, जिनके लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की जा चुकी हो।

(2) निजी विश्वविद्यालय, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (4) के खण्ड (ड) के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भाग–चार : विविध

15. नियमों का शिथिलीकरण.– ऐसे प्रकरण, जो इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, पर राज्य शासन विनियामक आयोग की अनुशंसा के आधार पर निर्णय ले सकेगा, जो कि साम्य के सिद्धान्त द्वारा समर्थित होगा।

16. विधान मण्डल के पटल पर नियमों का रखा जाना.– इन नियमों को इनके बनाये जाने या जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल.सांकला, उप–सचिव.

अनुलग्नक–क

प्रति,

सचिव,

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग,

रायपुर, छत्तीसगढ़

(1) विश्वविद्यालय का नाम, पता, फैक्स एवं ई–मेल सहितः

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना की अधिसूचना की छायाप्रतिः

(3) विश्वविद्यालय के दूर–परिसर का पूरा पता, जहाँ दूर–परिसर केन्द्र स्थापित किया जाना हैः

(4) क्या विश्वविद्यालय का प्रस्तावित दूर–परिसर केन्द्र, रायपुर नगर निगम की सीमा के भीतर स्थापित है? यदि हाँ, तो सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्रः

(5) दूर–परिसर केन्द्र के उपयोग के लिए भूमि के विषय में विवरणः

1.	भूमि का स्वामित्व अथवा लीज (आवश्यक प्रमाण के साथ)	
2.	भूमि का क्षेत्रफल	
3.	भूमि, किससे अर्जित की जायेगी	
4.	भूमि अर्जित करने हेतु वित्तीय व्यवस्था	

(6) दूर–परिसर केन्द्र प्रारंभ होने के पूर्व, दूर–परिसर केन्द्र के विकास का विवरणः

(क)	भवन निर्माण, अन्य संरचनात्मक सुविधायें एवं अधोसरंचनात्मक सुविधायें	
(ख)	उपकरणों को प्राप्त करने हेतु योजना	
(ग)	आगामी पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा	

(7) दूर–परिसर केन्द्र में प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का विवरणः

टीपः– केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किया जा सकेगा, जिनकी अनुमति का उल्लेख उक्त अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (7) में हुआ है तथा अध्यादेश पारित हो चुका है एवं केन्द्रीय विनियामक निकाय (यदि आवश्यक हो) से अनुमति प्राप्त कर ली गयी हो।

(8) स्थानीय आवश्यकताओं पर विचार करते हुए दूर–परिसर केन्द्र में प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यचर्या तथा विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या शोध गतिविधियों का विवरणः

(9) उपलब्ध या प्रस्तावित अन्य सुविधायेंः

(क)	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास की उपलब्धता	
(ख)	खेल मैदान	
(ग)	राष्ट्रीय कैडेट कोर, स्काऊट एवं गाईड, राष्ट्रीय सेवा योजना	

(10) प्रस्तावित दूर–परिसर केन्द्र की आवश्यकता एवं क्षेत्राधिकारः

(11) आवेदन शुल्क का विवरणः

(क)	रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि	
(ख)	उस बैंक का नाम, जिसने डिमाण्ड ड्राफ्ट जारी किया है।	
(ग)	डिमाण्ड ड्राफ्ट का क्रमांक एवं दिनांक	
(घ)	डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे की ओर प्रायोजक निकाय का नाम तथा विश्वविद्यालय का नाम का उल्लेख करें।	

उपरोक्तानुसार ..... (प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से ..... (विश्वविद्यालय के नाम का उल्लेख करें) के दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा आवेदन प्रस्तुत है।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(क) मुझे ..... (कुलसचिव का नाम) को प्रायोजक निकाय ..... (प्रायोजक निकाय का नाम) की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है।

(ख) प्रायोजक निकाय ने यह संकल्प किया है कि ..... छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) में निर्मित समस्त उपबंधों तथा ऐसे अन्य नियम, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा बनाये गये हैं, का पालन किया है और उन निर्देशों का भी पालन करने का संकल्प किया हैं जो कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किया जायेगा (संकल्प की प्रति अनुलग्नक के रूप में लगाई जाये)।

संलग्नकों की सूची:

स्थान:.....
दिनांक: .....

हस्ताक्षर .....
कुलसचिव का नाम.....
विश्वविद्यालय का नाम .....

दो गवाहों के हस्ताक्षर, नाम एवं पता :–

(1)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता
(2)	हस्ताक्षर
	नाम
	पता

अनुलग्नक–ख

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक ..... रायपुर, दिनांक .....

दूर–परिसर केन्द्र स्थापना हेतु आशय पत्र

विषय: ..... (विश्वविद्यालय का नाम) को दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना के संदर्भ में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्याय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र स्थापना) नियम, 2020 के नियम 6 के अधीन दूर–परिसर केन्द्र की स्थापना हेतु आशय पत्र जारी करने हेतु।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक क्रमांक ..... दिनांक .....।

.....(विश्वविद्यालय का नाम) ने दूर–परिसर केन्द्र ..... (दूर–परिसर केन्द्र का पूरा विवरण) की स्थापना हेतु प्रस्ताव दिया है। मूल्यांकन समिति की अनुशंसा की प्राप्ति पर विचारोपरान्त छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग..... (विश्वविद्यालय का नाम) को ..... (दूर–परिसर केन्द्र का पूरा पता) में दूर–परिसर केन्द्र स्थापना हेतु नीचे दर्शाये शर्तों के साथ आशय पत्र जारी करता है:–

(एक) निजी विश्वविद्यालय, शपथपत्र के प्ररूप में यह अभिवचन देगा कि वह छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 4 एवं नियम 7 का अनुपालन करेगा।

(दो) निजी विश्वविद्यालय, अभिवचन में यह भी उल्लेख करेगा कि दूर–परिसर केन्द्र में उक्त अधिनियम की अनुसूची में अनुमोदित तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार पाठ्यक्रमों का संचालन करेगा।

(तीन) निजी विश्वविद्यालय, इस आशय पत्र के जारी होने के उपरान्त एक वर्ष की कालावधि के भीतर, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 7 के अनुसार अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

(चार) इस आशय पत्र को विनियामक आयोग द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुए निरस्त किया जा सकेगा तथा विश्वविद्यालय को इस संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा।

इस आशय पत्र को राज्य शासन के सम्यक् अनुमोदन से जारी किया गया है।

सचिव
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

अनुलग्नक–ग

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग
रायपुर (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक .....

क्र. ..... छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उप–धारा (1) के अधीन अनुसूची के सरल क्रमांक ..... में उल्लिखित ..... (विश्वविद्यालय का नाम) को छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) तथा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 के नियम 9 के प्रावधानानुसार .... (केन्द्र परिसर का नाम एवं पता) में दूर–परिसर केन्द्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यह अनुमति, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की बैठक कमांक ..... दिनांक ..... के परिपालन में जारी की जाती है।

3. इस अधिसूचना को राज्य शासन के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् जारी किया गया है।

सचिव
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
विनियामक आयोग, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 20–1/2017/38–2 (पार्ट).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18–09–2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी.एल.सांकला, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 18th September 2020

NOTIFICATION

No. F 20-1/2017/38-2 (Part).— In exercise of powers conferred by Section 42 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following rules relating to establishment of the Campus Centre and Study Centre by Private Universities of State, namely:-

RULES

PART – I: PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions**.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005);

(b) "Main Campus" means Main Campus of the Private University situated in Chhattisgarh Consisting Minimum Five University teaching departments or schools of studies and where Vice Chancellor and Registrar reside and also main office of the University is located;

(c) "Off – Campus Centre" means centre of a Private University established outside the main Campus but within the State operated and maintained as its constituent unit;

(d) "Private University" Means a Private University established and incorporated under the said Act ;

(e) "Regulatory Body" means a Central or a State Regulatory Body established by the Central or State Government for laying down norms and conditions for ensuring standards of higher education;

(f) "Regulatory Commission" means, the Regulatory Commission established under section 36 of the said Act ;

(g) "Rules" means Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Rules 2005;

(h) "Study Centre" means centre established in the State and maintained by the private university for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students in the context of distance education which implies imparting education by combination of any two or more means of communication, namely, broadcasting, telecasting, correspondence course, seminars, contact programmes and any other such methodology.

(2) Words or Expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

PART – II : OFF – CAMPUS CENTRE

3. **Establishment and Operation**.- (1) A Private University, after completing 5 years of establishment and development of main campus, intending to establish Off – Campus Centre shall submit the application in Annexure-A to the Regulatory Commission.

(2) The Sponsoring body shall pass a resolution to establish off- campus centre and Application shall be signed by the Registrar.

(3) Application fee of Rupees 5000/-(Rupees Five Thousand) shall be sent along with application through a crossed account payee draft in the name of **"Chhattisgarh Private University Regulatory Commission"** payable at Raipur.

4. **Conditions for establishment of Off–Campus Centre.**- (1) The University shall procure land as under:-

(a) 1.5 acres land in case the Off – Campus Centre is proposed to establish within the limit of Municipal Corporation of Raipur District.

(b) 2.5 acres of land in case the Off – Campus Centre is proposed to be establish at any other place.

(2) It shall make available a minimum built-up area of 10,000 Square Feet for administrative and academic purpose.

(3) The Private University shall follow the rules and conditions prescribed by the University Grants Commission and other Regulatory Bodies, from time to time.

5. **Evaluation of the Proposal.**- (1) The Regulatory Commission shall, on receipt of the application for establishment of Off–Campus Centre shall make scrutiny as deem necessary regarding the facts as mentioned.

(2) In course of evaluation of proposal/application, the Regulatory Commission shall take into consideration, the followings:-

(a) Contribution of the University in the field of education and research, where the Off – Centre Campus is proposed.

(b) Suitable resources to be arranged.

6. **Letter of Intent.-** After inquiry and evaluation as provided in rule 5, if the Regulatory Commission is satisfied that right to established Off–Campus Centre, may be given to the University, the Regulatory Commission may issue Letter of Intent to the University to establish Off-Campus Centre with a prior approval of the State Government.

7. **Submission with Compliance Report.**- (1) The University shall fulfil all essential conditions within a period of one year from issue of the Letter of Intent.

(2) The University shall submit following fees along with the Compliance Report to the Regulatory Commission:-

(a) Rupees Five Lac, in case Off-Campus Centre is to be established in a Scheduled Area of the State.

(b) Rupees Ten Lac, in other cases.

8. **Verification and Inspection on Compliance Report.-** (1) After receiving the Compliance Report as per provision of rule 7, the Regulatory Commission shall constitute a Committee which shall examine the factual data including spot inspection.

(2) The Regulatory Commission, after the examination of Compliance Report under sub-rule (1), it finds any shortcomings in it, it may direct the University to remove expeditiously the identified shortcomings.

(3) After receiving information regarding the removal of identified short comings, the Inspection Committee shall submit its recommendations to the Regulatory Commission.

9. **Notification regarding Establishment.- The Regulatory Commission, if satisfied with recommendation of Inspection Committee, may issue notification regarding the establishment of Off-Campus Centre with a prior approval of the State Government.**

10. **Regarding the amount of Fee. - The Private University shall ensure with Compliance of rule 9 of said Rules.**

11. **Special Powers of the Regulatory Commission in Certain Circumstances.**- (1) After the establishment of Off-Campus Centre, it appears to the Regulatory Commission that operation of the Off-Campus Centre is not in accordance to the Act, Statutes, Ordinances and Regulations or situation of financial mismanagement and mal-administration has arisen, it shall issue show-cause notice of 45 days to such private University with intent that why an order shall not be made that the Off-Campus Centre establishment notification be cancelled.

(2) If the Regulatory Commission, on receipt of the reply of the Private University, in respect of the notice issued under sub-rule (1) of this rule is satisfied that there is a prima-facie case of mismanagement, mal-administration or violation of any provision of the Act or any provision made under this Act or direction issued there under, it shall make an order of such inquiry as it may consider necessary.

(3) If, the Regulatory Commission, on receipt of Enquiry Report, is satisfied that owing to financial mismanagement and mal-administration, such situation has arisen that to conduct the Off Campus is not secured, it shall cancel the notification of establishment of the Off-Campus Centre.

(4) The courses conducted at the Off-Campus Centre shall be transferred to the main Campus as the order issued under sub-rule (3) of this rule.

(5) An appeal against the order issued under sub-rule (3) of this rule may be preferred before the Visitor and the decision of the Visitor, upon the appeal, shall be final.

12. **Regularisation of Action taken by the Regulatory Commission.**- Any permission or order issued by the Regulatory Commission prior to enforcement of these Rules shall be deemed to have been issued under these rules:

Provided that the concerned University shall have to comply with the provisions mentioned in rule 4 and sub-rule (2) of rule 7 within prescribed time limit by the Regulatory Commission:

Provided further that the Regulatory Commission may pass an order to close the existing Off-Campus Centre, if provision mentioned in first proviso is not complied by the University.

PART – III : STUDY CENTRE

13. **Establishment of Study Centre**.- (1) Study Centre may be established by a Private University in reference to distance education.

(2) A private University may get permission to conduct the distance education as prescribed in University Grants Commission (Open and Distance Learning) Regulation, 2017 made by the University Grants Commission.

(3) A Private University may get approval to establish Study Centre from the Regulatory Commission after the permission obtained by the University Grants Commission as referred to in sub-rule (2) of this rule.

(4) A Private University shall deposit fees at the rate of Rupees 50,000/- (Fifty thousand rupees) per study centre per annum to the Regulatory Commission.

(5) The Private University shall ensure to comply with the provisions of rule 10 of these rules.

14. **Regarding Degrees, Diplomas and Certificate.**- (1) A private University shall conduct the courses for only those degrees, diplomas and certificates for which the permission has been obtained from the University Grant Commission or any other competent authority.

(2) A private University shall ensure to comply with the provisions of clause (m) of sub-section (4) of Section 7 of the said Act.

PART – IV : MISCELLANEOUS

15. **Relaxation of rules.**- On such matters which are not covered under these rules, the State Government may take the decision on the basis of recommendation of the Regulatory Commission which is supported by the principles of equity.

16. **Laying the rules on the Table of the legislative Assembly**.- These rules shall be laid down, as soon as may be after it is made or issued, on the table of the State Legislative Assembly.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G.L. SANKLA, Deputy Secretary.

ANNEXURE-A

To,

The Secretary,

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,

Raipur, Chhattisgarh.

(1) Name of University with Address, Fax and E-mail :

(2) Photocopy of Notification of Establishment of the University :

(3) Complete address of Off-Campus of the University, where Off Campus Centre is to be established :

(4) Whether proposed Off-Campus Centre of the University to be established is within the Municipal Corporation limits of Raipur? If yes then certificate from competent authority :

(5) Details about the land for the use of Off-Campus Centre :

1	Ownership or lease of the land (with necessary proof)	
2	Area of the Land	
3	From whom the Land will be acquired	
4	Financial Arrangement to acquire the land	

(6) Details of Off-Campus Development before the commencement of Off-Campus Centre :

(a)	Construction of buildings, other structural amenities and infrastructural facilities	
(b)	Plan for procurement of equipment's	
(c)	Outline of phase-wise programme for the upcoming 5 years	

(7) Details of proposed courses at Off-Campus Centre :

Note: Only those courses may be started for which permission is mentioned in column (7) of Schedule of the said Act and Ordinances have been passed and permission obtained from Central Regulatory Body (If essential).

(8) Details of Curriculums and special teaching, training or research activities to started at Off-Campus Centre considering local requirement:

(9) Existed or proposed other facilities :

(a)	Availability of Hostel's for Boys and Girls	
(b)	Play Ground	
(c)	National Cadet Core, Scout and Guide, National Service Scheme	

(10) Necessity and justification of proposed Off-Campus Centre :

(11) Details of Application fee:

(a)	Amount in the Crossed Demand Draft	
(b)	Name of the Bank, Which has issued the Demand Draft	
(c)	Number and Date of the Demand Draft	
(d)	Mention the name of sponsoring body and name of the University on the reserve side of the University	

The above application for establishment of Off Campus Centre of _____ (mention name of the University) under the provisions of Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005) and Chhattisgarh Private University (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020 is submitted, hereby, on behalf of _____ (name of the Sponsoring Body).

I certify that :-

(a) I_____, (Name of the Registrar), am Registrar duly authorized to submit the application on behalf of the Sponsoring Body, _____ (name of the Sponsoring Body).

(b) The Sponsoring Body has Resolved to follow all provisions made in the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005 (no. 13 of 2005) and such other rules as the State Government may make in this behalf, and has also Resolved to follow the instructions that will be issued by the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, from time to time. (Attach a copy of the Resolution as Annexure).

List of the Annexure:

Signature_____

Name of Registrar_____

Name of the University_____

Place :

Date :

Signature, name and address of 2 witnesses:-

(1)	Signature :	
	Name :	
	Address :	

(2)	Signature :	
	Name :	
	Address :	

ANNEXURE - B

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,

Raipur (Chhattisgarh)

No._____ Raipur, Dated_____

LETTER OF INTENT FOR ESTABLISHMENT OF OFF CAMPUS CENTRE.

Subject: Letter of Intent issued to _____ (Name of University) for establishment of Off-Campus Centre under Rule 6 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rule, 2020 made under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act 2005 (No. 13 of 2005).

Ref.: Meeting No. _____ Dated _____ of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

_____ (name of the University) has put up a proposal for the establishment of Off-Campus Centre at _____ (full details of Off-Campus Centre), on getting recommendation of the Evaluation Committee and after consideration, the Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission is issuing this Letter of Intent to _____ (name of the University) to establish Off-Campus Centre at _____ (full address of Off-Campus Centre) with conditions as below:-

(i) The Private University shall give an undertaking in form of an affidavit that it shall comply with Rule 4 and Rule 7 of Chhattisgarh Private Universities (Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.

(ii) The Private University shall also mention in undertaking that it will run only those courses in the Off campus Centre which are approved in the schedule of the said Act and in accordance with the Statutes and Ordinances.

(iii) The Private University shall submit Compliance Report within a period of one year after issue of Letter of Intent in accordance with Rule 7 of Chhattisgarh Private Universities (Establishment of Off-Campus Centre and study Centre) Rules, 2020.

(iv) This letter of Intent may be cancelled by the Regulatory Commission by mentioning the reasons thereof and in this regard the University shall have no right.

This Letter of Intent is issued with due approval of the State Government.

Secretary
Chhattisgarh Private Universities
Regulatory Commission, Raipur

ANNEXURE - C

Chhattisgarh Private University Regulatory Commission,

Raipur (Chhattisgarh)

NOTIFICATION

Raipur, Date_____

No. _____. – The permission is granted to _____ (Name of the University) which is mentioned in the Schedule as serial number _____, under sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act, 2005, to established Off-Centre Campus at _____ (Name and address of Centre Campus) as per provision of clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of Chhattisgarh Private University (Establishment and Operation) Act 2005 and Rule 9 of Chhattisgarh Private University (Establishment of Off-Campus Centre and Study Centre) Rules, 2020.

2. This permission is issued in Compliance of Meeting No. _____ Dated _____ of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission.

3. This Notification is issued after due approval of the State Government.

Secretary
Chhattisgarh Private Universities
Regulatory Commission, Raipur

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.